उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

तीनपानी बाईपास रोड़, ट्रांसपोर्ट नगर, हल्द्वानी-263139

फोन नं. : 05946-261122, 261123

टॉल फ्री नं. : 18001804025

Fax No.- 05946-264232, E-mail- info@uou.ac.in

http://uou.ac.in

AECC-H-102-1(004158)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

मानविकी विद्याशाखा

हिन्दी भाषा : स्वरूप

AECC-H-102

हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ विभाग

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

मानविकी विद्याशाखा

हिन्दी भाषा : स्वरूप

AECC-H-102

हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ विभाग
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

विशेषज्ञ समिति

प्रो. रेनू प्रकाश मानविकी विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	प्रो.शिरीष कुमार मौर्य कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल
प्रो.प्रभा पंत हिन्दी विभाग एमबीपीजी कॉलेज, हल्द्वानी	डॉ. जगत सिंह बिष्ट हिन्दी विभाग सो. सिं. जी. विश्वविद्यालय, अल्मोडा
डॉ. शशांक शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	डॉ. राजेन्द्र कैड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल
डॉ. अनिल कुमार कार्की असिस्टेंट प्रोफेसर,हिन्दी विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	डॉ. मंगलम कुमार रस्तोगी असिस्टेंट प्रोफेसर,हिन्दी विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
श्रीमती पुष्पा बुढ़लाकोटी असिस्टेंट प्रोफेसर,हिन्दी विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	

पाठ्यक्रम समन्वयक, संयोजन एवं संपादन

डॉ. शशांक शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	डॉ. राजेन्द्र कैड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल
डॉ मंगलम कुमार रस्तोगी असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	डॉ अनिल कुमार कार्की असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल
श्रीमती पुष्पा बुढ़लाकोटी असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	

इकाई लेखक	इकाई संख्या
डॉ. शशांक शुक्ला एसोसिएट प्रोफेसर,हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी	1,3, 4, 6, 7
श्रीमती पुष्पा बुढ़लाकोटी असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	2
डॉ चंद्र प्रकाश मिश्रा उपाचार्य,मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली	5, 8
डॉ. अनिल कार्की असिस्टेंट प्रोफेसर,हिन्दी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी	9

कापीराइट@उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

संस्करण: 2024

प्रकाशकः उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी ,नैनीताल -263139

मुद्रक : **प्रीमियर प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर** **प्रतियाँ : 603**

ISBN -

हिंदी भाषा:स्वरूप	पृष्ठ संख्या
इकाई 1 हिन्दी भाषा की प्रकृति	1-8
इकाई 2 भाषा एवं समाज	9-19
इकाई 3 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास	20-30
इकाई 4 हिन्दी: उपभाषाएँ एवं बोलियाँ	31-40
इकाई 5 पत्राचार: कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र	41-70
इकाई 6 भारतीय संविधान एवं हिन्दी	71-84
इकाई 7 देवनागरी लिपि: उद्भव एवं विकास	85-98
इकाई -8 भाषा कंप्यूटिंग (कंप्यूटर और हिंदी	99-117
इकाई 9 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा-संदर्भ	118-133

इकाई 1- हिन्दी भाषा की प्रकृति

इकाई की रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 हिंदी भाषा का ऐतिहासिक संदर्भ
1.4 हिंदी भाषा का सांस्कृतिक संदर्भ
1.5 हिंदी भाषा का राजभाषागत संदर्भ
1.6 हिंदी भाषा की प्रकृति
1.7 सारांश
1.8 पारिभाषिक शब्दावली
1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
1.11 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

हिंदी भाषा पर बात करते हुए सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि एक भाषा और राष्ट्रीयता का सम्बन्ध अनिवार्य रुप से किन बिन्दुओं पर जुड़ जाता है ? भाषा और संस्कृति या भाषा और जातीयता का प्रश्न अनिवार्य रुप से जुड़ा हुआ है और इसे समझे बिना हमारा व्यवहार और हमारा सिद्धांत स्पष्ट नहीं हो सकता।

हिंदी भाषा का संबंध मध्यदेश की भाषा से है। मध्यदेश की भाषा होने के कारण इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। एक ओर जहां यह उत्तर भारत, पश्चिमी भारत की भाषा बनती है। दूसरी ओर पूर्वी भारत पर प्रभाव रखती है। हैदराबाद तक दकनी के रूप में यह भाषा विस्तृत होती रही है। अपनी प्रकृति के कारण यह भाषा ग्रहणशील प्रकृति की रही है। तकनीकी दक्षता व सांस्कृतिक लोच की भंगिमा के कारण हिन्दी पूरे राष्ट्र की प्रतिध्वनि बनती चली गई। इस इकाई में हम हिंदी भाषा की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे।

1.2 उद्देश्य

हिंदी भाषा एवं स्वरूप नामक इस पुस्तक की यह प्रथम ईकाई है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप

* हिंदी भाषा की प्रकृति को समझ सकेंगे।
* हिंदी भाषा के ऐतिहासिक क्रम को समझ सकेंगे।
* हिंदी भाषा की जातीय संस्कृति को समझ सकेंगे।
* हिंदी भाषा के राजभाषा गत आयामों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

1.3 हिंदी भाषा का ऐतिहासिक संदर्भ

हिंदी भाषा की जातीयता के प्रश्न को भारतीय नवजागरण के सन्दर्भ में समझें तो बात थोड़ी और स्पष्ट होगी। भारतीय समाज की प्रगतिशीलता के महत्वपूर्ण बिंदु वेद का निर्माण, महाकाव्यों का गठन, बुद्ध एवं महावीर का आगमन, भक्तिआन्दोलन एवं प्रादेशिक भाषाओँ का उदय, आधुनिक नवजागरण एवं राष्ट्रीय आन्दोलन....रहे हैं। इन बड़ी घटनाओं के बीच भाषा की भूमिका कैसे बनती- बिगड़ती रही है, इस तथ्य को समझना आवश्यक है। वेदों का निर्माण छांदस संस्कृत में हुआ, महाकाव्यों का लौकिक संस्कृत में, बौद्ध साहित्य का केंद्र पालि बनी तो जैन साहित्य का प्राकृत। इस सन्दर्भ में 1000 ईस्वी के आस-पास का समय भी महत्वपूर्ण है। यह समय जनपदीय भाषाओँ के उदय का है। इसी समय हिंदी,बंगला,गुजराती,मराठी...जैसी भाषाएँ अपना स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति आन्दोलन की चेतना के मूल में रीतिवादी वृत्तियों का नकार है और इसीलिए जनपदीय भाषाओँ का उभार भी इस सम्बन्ध में विशेष अर्थ रखता है। ब्रजभाषा,अवधी,मैथिली,हिंदी...जैसी भाषाएँ अपने रुप को ग्रहण कर रही थीं। आधुनिक काल में आकर खड़ी बोली को केन्द्रीयता...। राष्ट्रीय आन्दोलन ....भारतीय नवजागरण की अपनी भाषा। इस प्रकार भारतीय संस्कृति के जातीय चेतना के उभार में भाषा एक आवश्यक केंद्र बिंदु के रुप में उभरी है। जब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि राष्ट्रीय आन्दोलन में हिंदी ही "सांस्कृतिक भाषा " क्यों बनी ? जातीय भाषा क्यों बनी ? तब इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम भारत की सांस्कृतिक परम्परा के अध्ययन से स्वत: ही प्राप्त कर लेते हैं।

अभ्यास प्रश्न)1

सत्य/असत्य का चुनाव कीजिए।

1. हिंदी प्रदेश का तात्पर्य ऐसे प्रदेश से है, जहां हिंदी प्रथम राजभाषा से है।

2. बिहार, हिंदी प्रदेश के अंतर्गत आता है।

3. तमिलनाडु हिंदी प्रदेश का अंग है।

4. हिंदी भाषा का संबंध सौरसैनी अपभ्रंश से है।

5. अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदूई शब्द का प्रयोग किया है।

1.4 हिंदी भाषा का सांस्कृतिक संदर्भ

हर भाषा की अपनी 'प्रकृति' होती है। उसकी इस प्रकृति के बनने में उस क्षेत्र-देश की भौगोलिकता, आचार-विचार, इतिहास-धर्म....परम्पराएँ सभी का योगदान होता है। एक भाषा के बनने में केवल व्याकरण या भौगोलिक रुप के बनने का योगदान प्राथमिक रुप से होता है, अंतिम रुप से नहीं। किसी समृद्ध भाषा होने के लिए उसे एक जातीय-सांस्कृतिक रुप होना ही पड़ता है। वैसे तो प्रत्येक भाषा संस्कृति ही होती है,क्योंकि उसमें उस भाग के व्यक्तियों की चेतना क्रियाशील होती है, लेकिन भाषा के जातीय बोध का प्रयोग हम यहाँ व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। व्यापक रुप में जातीयता, राष्ट्रीयता का बोधक हो जाती है और राष्ट्रीयता का बोधक हो जाती है और राष्ट्रीयता संस्कृति का रुप ले लेती है। प्रश्न है कि कोई भाषा राष्ट्रीय कैसे हो जाती है ? राष्ट्रीय भाषा का अर्थ यहाँ केवल बड़े भू-भाग से नहीं है, नहीं तो अंग्रेजी भाषा हमारे या अन्य कई देशों की जातीय संस्कृति बन चुकी होती; हालाँकि कुछ लोग 'अंगेजी संस्कृति' की वकालत भी करते रहे हैं, लेकिन यह "आरोपित संस्कृति" है। 'औपनिवेशिक संस्कृति ' के औज़ार कभी भी हमारे लिए जातीयता के भेदक लक्षण नहीं बन पाते। "विश्व बाज़ार " के हथियार के रुप में अंग्रेजी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आज भी "सुरक्षित नाव " हो किन्तु "संस्कृति की विस्मृति" के लिए आज भी अंग्रेजी भाषा से घातक और कुछ भी नहीं,बावजूद अंग्रेजीदा कुछ लोग अब भी जातीयता व संस्कृति के गीत गाये जा रहे हैं। किसी भी भाषा की जातीयता कुछ बिन्दुओं पर स्थिर होते हैं। एक भाषा में उस सम्पूर्ण राष्ट्र की संस्कृति को व्यक्त/अभिव्यक्त करने की क्षमता है या नहीं ? इस सन्दर्भ में एक बड़ा प्रश्न है। "सम्पूर्ण राष्ट्र की संस्कृति का तात्पर्य" उस देश की 'मूलभूत विशेषता ' से है। मूलभूत विशेषता का तात्पर्य उस राष्ट्र के बनने के भेदक लक्षणों एवं प्रक्रियाओं से जुड़ना है। राष्ट्र के भेदक लक्षण उस देश की चेतना एवं व्यवहार है। व्यवहार एवं चेतना के धरातल पर कोई राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र से अलग व्यवहार करने लगता है। "यह अलग व्यवहार" करने की प्रवृत्ति एवं प्रकृति उस देश का आधारभूत व्यक्तित्व होता है। प्राय: हमारा व्यक्तित्व अलग धरातल की ओर तभी जाता है जब हम आत्मनिष्ठ तत्वों की ख़ोज की ओर प्रवृत्त होते हैं। बाह्य लक्षण तो प्राय: एक जैसे ही होते हैं। भौतिक प्रगति में भेदकता की सम्भावना कम-ही होती है।

जैसे भारत की भिन्नता का धरातल केवल यह नहीं है कि यहाँ कई समृद्ध भाषाएँ एवं बोलियाँ हैं बल्कि यह भी है कि यहाँ अपनी "आंतरिक संस्कृति" को खोजने की अकुलाहट दूसरे देशों से ज्यादा ही रही है। आंतरिक रचाव में हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न है...इस भिन्नता को पकड़ लेने वाली संस्कृति व भाषा दोनों ही समृद्ध हो जाती हैं। अनायास नहीं कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति बहु-भाषा की संकल्पना के साथ विकसित हुई और पश्चिमी संस्कृति,भौतिकता प्रधान संस्कृति एक भाषा की उदघोषणा व नारे के साथ...।प्रश्न यह है कि भाषा और राष्ट्रीयता का सम्बन्ध अनिवार्य रुप से कैसे घटित होता है ? राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में "हिंदी" ही राष्ट्रीय व्यंजना की बोधक कैसे बनी ? इस प्रश्न को समझना अनिवार्य है।प्रश्न है क्या व्याकरणिक सम्पन्नता के कारण ? इस ढंग से देखें तो संस्कृत,बांग्ला,तमिल, तेलुगु....जैसी भाषाएँ भी समृद्ध रही हैं, फ़िर ? नहीं इसका उत्तर तो जातीयता और राष्ट्रीयता के भेदक लक्षणों को ध्यान में रखकर ही दिया जा सकता है। कुछ लोग इस सन्दर्भ में राजनीतिक कारणों (दिल्ली की केन्द्रीयता) को केंद्र में रखते हैं ।यह व्याख्या गलत तो नहीं लेकिन अंतिम भी नहीं। प्रश्न है जिस दिल्ली के आस-पास के केंद्र से खड़ी बोली विकसित हो रही थी...जिस क्षेत्र में रासो ग्रन्थ और राष्ट्रीयता (?) के लक्षण तैयार किये जा रहे थे ,उस प्रदेश में कोई भाषाई आन्दोलन (19 वीं शताब्दी से पूर्व तक) खड़ा हो पाया ? या क्यों नहीं खड़ा हो पाया ?(क्या पाली -प्राकृत या अपभ्रंश को हम भाषाई आन्दोलन मानें ?) किसी केंद्र से ...उस भाषा के प्रति आग्रह का न होना कई बार खटकता है। दिल्ली के आस-पास की भाषा तभी तक राष्ट्रीय भाषा बन सकती थी,जब तक कि वह सम्पूर्ण राष्ट्र पर शासन करने वाली भाषा होती....लेकिन हिंदी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ। हिंदी उस ढंग से राजदरबार या सत्ता की भाषा भी कभी नहीं बनी, जिस प्रकार संस्कृत-क्लासिक परम्परा में, पालि-बौद्ध शासन काल में ,प्राकृत- जैन शासन काल में ,फ़ारसी-मुस्लिम शासन काल में या अंग्रेजी - अंग्रेजों के शासन काल में...। यदि राजनीतिक कारणों से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा होने का गौरव प्राप्त होता तो उसे राजदरबार या सत्ता की भाषा भी होना चाहिए था। राजनीतिक भाषा का चरित्र आधिपत्य का होता है। वह दूसरी भाषाओँ को दबाकर...उन पर आधिपत्य स्थापित कर विकसित होती है। हिंदी ने किसी भी प्रादेशिक भाषा या बोली को दबाने की कोशिश नहीं की...। राजभाषा बनने के बाद भी (सरकारी संरक्षण मिलने के पश्चात भी ...) हिंदी ने अपने आधिपत्य को स्थापित करने का प्रयत्न उस रुप में नहीं किया,जैसा कि अंग्रेजी ने दूसरी बोलियों के साथ किया था। फ़िर भी दिल्ली के आस-पास की भाषा के फलने-फूलने का विस्तृत अवसर मिला तो उसमें उसकी राजनीतिक स्थिति की भूमिका को अस्वीकार कैसे किया जा सकता है। इस सन्दर्भ मइ भाषा और व्यापार की बात भी अक्सर की जाती है। अंग्रेजी भाषा के विकास को जिस प्रकार रिनैशा से जोड़कर देखा जाता है,उसी प्रकार हिंदी भाषा के विकास में व्यापारिक जातियों की भूमिका की बात बीही स्वीकार की जाती है। इस सन्दर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल व रामविलास शर्मा जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आचार्य शुक्ल की उपस्थापना है कि मुग़ल साम्राज्य के ध्वंश के पश्चात व्यापारिक जातियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर चलीं। इसी क्रम में वे अपनी भाषायें भी लेती चली

गयीं। पूर्व (बंगाल) से हिंदी पत्रकारिता, हिंदी नवजागरण का गहरा सम्बन्ध रहा है। हालाँकि इस सन्दर्भ में "हिंदी प्रदेश" की भूमिका या उसके महत्व को कम करके नहीं आँका जा सकता। व्यापार से एक भाषा दूसरे क्षेत्र तक जाये ,इस बात में क्या संदेह ? उर्दू भाषा का जन्म शिविर व युद्ध (यानी एक -क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक की यात्रा व संक्रमण) से कैसे हुआ ,यह हम जानते ही हैं। उसी प्रकार हिंदी (खड़ी बोली) एवं तेलुगु भाषा के मिश्रित रुप से "दकनी भाषा" कैसे बनी, इस तथ्य को भी हम जानते हैं। यहाँ ठहरकर यह यह प्रश्न किया जा सकता है कि संस्कृत मूल रुप से धर्म-संस्कृति-साहित्य-कर्मकाण्ड की भाषा बनी रही,वह व्यापार की भाषा नहीं बनी;क्या इसलिए ही संस्कृत धीरे-धीरे सिमट कर 'आभिजात्य' की भाषा बनती गयी (हालाँकि रामविलास शर्मा जी ने संस्कृत को लोकभाषा ही माना है...) ? संस्कृत भाषा के सामानांतर प्राकृत-पालि भाषाएँ कर्मकांड से हटकर व्यापार की भाषा भी बनीं। आज अंग्रेजी भाषा व्यापार की भाषा बन गई है ,लेकिन हिंदी ? हिंदी संवेदना की भाषा तो बनी, किन्तु व्यापार की भाषा नहीं बन पाई है। क्या कारण है कि संस्कृत एवं हिंदी दोनों व्यापार की भाषाएँ नहीं बन पायीं हैं ?इसके उत्तर की ख़ोज में हम प्रवृत्त हों उससे पूर्व हम भाषा और धर्म के अंतर्संबंध को समझ लें। संस्कृत इस ढंग से सम्पूर्ण भारत में प्रचलित रही है। धर्म-कर्म की भाषा उत्तर से दक्षिण तक संस्कृत ही रही है। धर्म की भाषा बनने से वह भाषा सांस्कृतिक रुप तो ले लेती है लेकिन उस भाषा में अपेक्षाकृत गतिशीलता का अभाव भी हो जाता है।" संसकिरित है कूप जल/भाखा बहता नीर " जैसी उक्तियाँ इस बात की ही द्योतक हैं। अनायास नहीं है कि संस्कृत की इस सीमा को हिंदी ने समझा और वह कर्मकाण्ड से नहीं जुड़ी। कर्मकाण्ड चाहे भाषा का हो या समाज का, उसमें जड़ता का होना अनिवार्य ही है। धर्म-कर्म की भाषा होने की सर्वाधिक काम्य स्थिति,किसी भाषा के ललिए यह होती है कि वह धर्म-संस्कृति को एक पहचान का माध्यम बनने में मदद करती है।52 शक्तिपीठ ,4 आश्रम या 12 ज्योर्तिलिंग इत्यादि जैसे धार्मिक पीठ की एकसूत्रता या एकरूपता में संस्कृत भाषा के महत्व से इनकार नहिन् किया जा सकता। लेकिन यहीं प्रश्न किया जा सकता है कि "धार्मिक पहचान" बनने के बावजूद संस्कृत राष्ट्रीय भाव बोध कइ भाषा क्यों नहीं बनी ? यह सम्मान हिंदी को ही क्यों मिला? इसका उत्तर हमें भारतीय संस्कृति के विभिन्न पड़ाओं को देखकर ही प्राप्त हो सकता है। किसी भाषा के बनने -गठन होने के "जातीय कारण" होते हैं। संस्कृत भाषा के बनने....निर्मित होने के कारणों की समझ यहाँ हमें इस प्रश्न का उत्तर तलाशने में ममदद करती है। संस्कृत भाषा का सम्बन्ध प्राकृतिक सत्ता की स्तुति...तीव्र भावावेग के साथ छंद के अनुशासन से जुड़ा हुआ है। अपनी सहजता में भाषा तीव्र भावावेग से ही फूटती है। भाव के अभाव में वाणी मौन हो जाती है। अपने से प्राकृतिक सत्ता की निकटता...ईश्वर और ममनुष्य की ननिकटता के क्रम में वेद की ऋचाएँ निर्मित हुई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा के छंद के अनुशासन से बंधने का मूल ककारण भावातिरेक एवं विषय का "अलग प्रवाह " ही था,जिसने उस भाषा की संरचना को स्थिर किया किसी भाषा के बनने की कोई एक तिथि नहीं होती और न एक घटना। हाँ एक लम्बी प्रक्रिया के पश्चात वह अपना स्वरुप ग्रहण करती है। ऊपर हमने भाषा की केन्द्रीयता के कारक तत्वों की संक्षेप में चर्चा

की। हमें समझना होगा कि वह भाषा ही केन्द्रीय भूमिका में स्थिर होती है जो अपने युग -समाज की सम्भावना का नेतृत्व करती है। संस्कृत ने अपने समय में, पालि-प्राकृत ने यही कार्य अपने समय में किया। संक्रान्तिकाल में यही कार्य अपभ्रंश-अवहट्ट ने किया।10-11 वीं शताब्दी के बाद यही कार्य हिंदी एवं जनपदीय भाषाओँ ने किया। समाज-संस्कृति की परम्परा की तरह ही भाषा की भी परम्परा होती है। जहाँ नवीन भाषा अपने पूर्व की भाषा के दाय को स्वीकार कर उसे आगे ले जाती है। यहाँ न तो पूर्व भाषा का नकार ही होता है और न स्वीकार ही,बस "युग-धर्म" के अनुरूप 'रुपांतरण' होता है। और जो भाषा समाज-संस्कृति के इस दाय को जितने लम्बे समय तक निभा ले जाती है,वह "क्लासिक भाषा " होती है।क्लासिक भाषा की उम्र कम-से-कम 1000 साल होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से संस्कृत, तमिल,तेलुगु ,मलयालम...हिंदी जैसी भाषाएँ भारत की क्लासिक भाषाएँ हैं। पालि-प्राकृत जैसी भाषाएँ तत्कालीन युग की केन्द्रीय भूमिका निभाने के बावजूद किसी धर्म-जाति से सम्बद्ध ज्यादा रहीं,इसलिए बड़ा साहित्य होने के बावजूद.....राजनीतिक संरक्षण मिलने के पश्चात भी वे नष्ट (सिमट) हो गईं। या व्यवहार से ग़ायब हो गयीं। इस बिंदु पर आकर हम हिंदी भाषा के बनने एवं "हिंदी संस्कृति" पर बातचीत कर सकते हैं।

1.5 हिंदी भाषा: राजभाषागत संदर्भ

संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी और राजभाषा के संदर्भ में संविधान में उल्लिखित है कि -

* अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी।
* अनुच्छेद 343 के अनुसार संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता रहेगा।
* अनुच्छेद 351 प्रादेशिक भाषाओं एवम् अष्टम सूची की बात करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ का पहला दायित्व है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए।
* राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार संपूर्ण देश को क, ख एवम् ग में विभक्त किया गया। हिंदी भाषी राज्य क क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए। ख क्षेत्र के अंतर्गत वे क्षेत्र आयेंगे जहां हिंदी द्वितीय राजभाषा है। ग क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्य आते हैं।

अभ्यास प्रश्न - 2

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

6. सिद्ध साहित्य का क्षेत्र .....भारत रहा है।
7. नाथ साहित्य देश के .....में प्रचारित रहा है।
8.जैन साहित्य का केंद्र.....भारत रहा है।
9. आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का उदय.....ई के आसपास माना जाता है।

10. हिंदी अनुच्छेद.....के अनुसार देश की राजभाषा है।

1.6 हिंदी भाषा की प्रकृति

प्रिय छात्रों, अभी तक आपने हिंदी भाषा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व भाषागत संदर्भों का अध्ययन किया। अब हम सूत्र रूप में हिंदी भाषा की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे।

* ऐतिहासिक-सांस्कृतिक दाय - हिंदी भाषा की समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपरा रही है। एक ओर यह संस्कृत भाषा से जुड़ती है तो दूसरी ओर लोक भाषा की ऊर्जा भी ग्रहण करती है। यह भाषा राष्ट्र से इस क़दर जुड़ी रही कि यह संपूर्ण राष्ट्र का बोधक बन गई। कोई भी राष्ट्र अपनी लंबी जातीय परंपरा के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रश्न यह होता है कि उसकी इस परंपरा को उसकी कोई भाषा ग्रहण कर पा रही है या नहीं। हिंदी ने इस दाय को स्वीकार किया।

* ग्रहणशीलता का गुण - एक समृद्ध भाषा की मुख्य ताकत उसका लचीलापन होता है। कोई भी भाषा अपने को विस्तृत कर पा रही है या नहीं, इस बात से सिद्ध होता है कि वह भाषा ग्रहणशील प्रकृति की है नहीं। हिंदी ने भारतीय भाषाओं को आत्मसात किया है। हिंदी ने अपनी बोलियों से शब्द लिए हैं। हिंदी ने अंग्रेजी समेत विदेशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया है। यह ग्रहण की वृत्ति हिंदी भाषा को व्यापक आधार प्रदान करती है।

* असांप्रदायिक दृष्टि का साहित्य -हिंदी भाषा की प्रकृति को समझने के लिए इसके साहित्य का अध्ययन आवश्यक होगा। हिंदी साहित्य का चरित्र असांप्रदायिक रहा है। हिंदी साहित्य के पहले कवि अमीर खुसरो हैं। सूफ़ी कविता में जायसी, कुतुबल, मंझन जैसे श्रेष्ठ कवि हुए। ये कवि हिंदी साहित्य के मुख्य अंग हैं। रहीम, रसखान जैसे मुस्लिम कवियों ने हिंदू देवताओं के ऊपर कविता की। यही स्थिति आधुनिक कवियों की भी है। हिंदी साहित्य का मुख्य चरित्र, प्रकृति असांप्रदायिक रही है।
* हिंदी भाषा और तकनीक - भाषा और तकनीक का गहरा संबंध है। आज कोई भाषा इसलिए टिक पाएगी, जीवित रह पायेगी कि उसने तकनीक को ग्रहण किया है नहीं? भाषा की वैज्ञानिकता के कारण हिंदी भाषा तकनीक से सहज ही जुड़ कर अपना विस्तार कर रही है।

1.7 सारांश

प्रिय दिद्यार्थियों, अपने इकाई में हिंदी भाषा की प्रकृति को समझने का प्रयास किया। हिंदी की अपनी जातीय परंपरा रही है, जिसके कारण वह इस देश की आत्मा बन सकी। हिंदी भाषा

किसी खास क्षेत्र की भाषा न होकर एक समूह व चेतना की भाषा बनी। हिंदी की अपनी ऐतिहासिक परंपरा रही है। इसकी बोलियों के कारण यह आम जन की भाषा रही है। हिंदी बिना राजाश्रय के भी व्यापक स्वीकृति की भाषा बनी है। तकनीकी दक्षता को धारण कर हिंदी वैज्ञानिक भाषा भी बन रही है।

1.8 परिभाषिक शब्द

जनपदीय चेतना - किसी स्थान विशेष की संस्कृति का आत्मसातीकरण
जातीयता - किसी प्रदेश व राष्ट्र की मूलभूत संस्कृति
मध्यदेश - देश का मध्य भाग
नवजागरण - दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न वैचारिक -सांस्कृतिक ऊर्जा।

1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.सत्य
2.सत्य
3.,असत्य
4. सत्य
5.सत्य
6. पूर्वी भारत
7.राजस्थान, उत्तर भारत
8.पश्चिमी भारत
9. 1000ई
10. 343

1.10 संदर्भ ग्रंथ

हिंदी भाषा और संवेदना का विकास, चतुर्वेदी, रामस्वरूप
हिंदी भाषा, ब्रजेश्वर वर्मा
हिंदी नवजागरण, शर्मा, रामविलास

1.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. हिंदी भाषा की प्रकृति पर एक विस्तृत निबंध लिखिए।

इकाई 2- भाषा एवं समाज

इकाई की रूपरेखा

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 भाषा: प्रकृति, तत्व, विशेषताएं
- 2.3.1 भाषा का अर्थ
- 2.3.2 भाषा के तत्व
- 2.3.3 भाषा की विशेषताएं

2.4 समाज का अर्थ : परिभाषा एवं विशेषताएं
- 2.4.1 समाज का अर्थ
- 2.4.2 समाज की परिभाषा
- 2.4.3 समाज की विशेषताएं

2.5 भाषा एवं समाज का संबंध
- 2.5.1 पहचान
- 2.5.2 शक्ति
- 2.5.3 विभिनत्ता

2.6 भाषा का समाज में योगदान

2.7 सारांश

2.8 बोध प्रश्न

2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

2.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

2.12 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

2.1 प्रस्तावना:

प्रस्तुत इकाई भाषा एवं समाज पर आधारित है। भाषा हमें मनुष्य के रूप में परिभाषित करती है और हमें अपनी पहचान बनाने की अनुमति देती है। भाषा की बदौलत हम एक प्रजाति के रूप में विकसित हो पाए हैं और यह हमें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भाषाएँ हैं जो हमारे लिए कुशलता से संवाद करने के लिए आवश्यक हैं। विचारों और भावनाओं को भी व्यक्त करने में भाषा आवश्यक उपकरण हैं। भाषा मौखिक या लिखित हो सकती है और इसका उद्देश्य स्पष्ट है: लोगों की जरूरतों, विचारों, विचारों, सूचनाओं को साझा करना आदि के बीच संवाद करना। मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनि समूह ही भाषा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार भाषा मनुष्य के सभ्यता का विस्तार हेतु है। मनुष्य के भाव व विचार भाषा के माध्यम से ही संप्रेषित होते हैं। अतः भाषा की समझ मनुष्य की समझ का ही पर्याय है। इस इकाई में हम भाषा के कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे।

2.2 उद्देश्य:

विद्यार्थियों! प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप -

* भाषा के अर्थ, प्रकृति को समझ सकेंगे।
* भाषा एवं समाज को समझ सकेंगे।
* भाषा के प्रमुख सिद्धांतों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
* भाषा और समाज के अंतरसंबंधों को समझ सकेंगे।
* भाषा और समाज के योगदान को समझ सकेंगे।

2.3 भाषा: प्रकृति, तत्व, विशेषताएं

2.3.1 भाषा का अर्थ

भाषा का संबंध भाष धातु से है। भाष का अर्थ है कहना। यानी भाषा में कहने की प्रवृत्ति मुख्य या केंद्रीय रूप में उपस्थित होती है। कहना व अपने को संप्रेषित करना मनुष्य का स्वभाव है। सम्प्रेषण की अनिवार्यता या प्राकृतिक मजबूरी भाषा को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। भाषा की अनिवार्यता ही भाषा को सैद्धांतिक व व्यावहारिक दोनों रूपों में प्रतिष्ठित करती है।

2.3.2 भाषा के तत्व

भाषा एक ध्वनि संरचना है। किंतु भाषा के संदर्भ में ध्वनि सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि के अतिरिक्त भी पद, पदबंध, वाक्य जैसी मुख्य इकाइयां होती हैं। इस प्रकार भाषा ध्वनि से लेकर

वाक्य तक मुख्य रूप से फैली हुई है। किंतु भाषा की यह संरचना व्यापक है। भाषा के संदर्भ में सबसे पहले सार्थक ध्वनि समूह आते हैं। फिर इन्हें क्रमवद्ध रूप देना पड़ता है। जैसे कमल को हम इसीलिए समझ पाते हैं, क्योंकि क म और ल का एक क्रमबद्ध रूप स्थिर हुआ है। यदि म या ल को क की जगह प्रयुक्त कर दें तो ध्वनि का सार्थक रूप बाधित हो जाएगा और यह प्रक्रिया शब्द तक नहीं पहुंचेगी। शब्द निर्माण की प्रक्रिया भी विशेष है। भाषा के संदर्भ में शब्द रूढ़ भी होते हैं और शब्द बनाये भी जाते हैं। शब्द निर्माण के पश्चात पद व पदबंध और फिर वाक्य। लेकिन भाषा के संदर्भ में प्रयोक्ता के अनुसार शब्द, पद व वाक्य के रूप बदलते रहते हैं। अतः भाषा सरल भी है और गहन भी। यही कारण है कि ध्वनिविज्ञान के लिए फोनेटिक्स, पद विज्ञान के लिए सोफोलॉजी, वाक्य विज्ञान के लिए सिंटैक्स व अर्थ विज्ञान के लिए सिमेंटिक्स जैसे अनुशासनों या शाखाओं का प्रचलन तीव्र हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा का एक अपना विज्ञान है, अनुशासन है।

2.3.3 भाषा की विशेषताएं

विद्यार्थियों! आपने पढ़ा कि भाषा की एक आवयविक संरचना होती है। ध्वनि, वर्ण,शब्द पदए वाक्य इसके घटक हैं। यह घटक मिलकर भाषा को एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं,कुछ विशेषताएं देते हैं। अतः भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखना उचित होगा।

1. भाषा यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक का अर्थ यह है कि किसी भी शब्द और उसके अर्थ में भाषा वैज्ञानिक विकास परंपरा तो होती है, किन्तु उनमें अनिवार्य रूप से तार्किकता नहीं होती। पेड़ को हम पेड़ और पौधे को पौधे क्यों कहते हैं. इसका कोई संतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिल सकता। फिर हर भाषा की अपनी शब्द संरचना होती है। अंग्रेजी में पेड़ को ट्री और पौधे को हम प्लांट कह देंगे। इसी प्रकार हर भाषा की अपनी यादृच्छिकता है।

2. रूढ़ता. भाषा रूढ़ प्रतीक रचते हैं। ऊपर हमने पेड़ का उदाहरण दिया। पेड़ कहने से हम एक तने पत्तियों वाले बिम्ब की ही कल्पना करेंगे। क्योंकि हर शब्द एक खास अर्थ को धारण करता है या वह अपनी अर्थ प्रतीक योजना में रूढ़ है।

3. भाव व विचार की अभिव्यक्ति. भाषा का प्राथमिक कार्य भाव व विचार की सम्प्रेषणीयता है। व्यक्ति के भाव व विचार भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते हैं। अतः सम्प्रेषण भाषा का महत्वपूर्ण घटक है।

4.सृजन की क्षमता. अपने प्राथमिक रूप में भाषा जहां सम्प्रेषण का माध्यम है वहीं उच्च रूप में सृजन का हेतु भी है। भाषा मनुष्य के भीतर के भाव व विचार को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। मनुष्य के गहरे भाव व विचार भाषा के माध्यम से प्रकट होकर रचनात्मक हो उठते हैं।

5. सांस्कृतिक उपादान. भाषा संस्कृति की वाहिका भी है। एक संस्कृति अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषिक माध्यम की तलाश करती है। भाषा के बिना कोई संस्कृति मूक होती है। भाषा संस्कृति को गति व लालित्य प्रदान करती है।

5. सौंदर्य व लालित्य की वाहक. भाषा मनुष्य के लालित्य व सौंदर्य को उद्घाटित करती है। मनुष्य का मनए उसकी इच्छाएं सामान्य रूप में विकारों या स्थूल रूपों से युक्त रहती हैं। किंतु भाषा का संसर्ग पाकर वह सौंदर्यवान हो उठते हैं।

भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में किसी सर्वमान्य सिद्धांत का सर्वथा अभाव है। यह तो तय है कि मनुष्य ने पहले चित्र लिपि विकसित की थी। मनुष्य की अनेक सभ्यताओं में चित्रात्मक लिपि के अवशेष मिले हैं। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मनुष्य का विकास एकदम से या यकायक नहीं हुआ। जैविक विकासक्रम से सभ्य बनने तक मनुष्य सभ्यता ने लंबी यात्रा की है। जैविक विकासए सामाजिक विकास तथा मनुष्य संस्कृति द्वारा सीखे गए अंश को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करनाए ये कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, जो भाषा के विकास में महत्वपूर्ण रहे हैं।

2.4 समाज का अर्थ एवं परिभाषा: एवं विशेषताएं

2.4.1 समाज का अर्थ-

समाजशास्त्र मे समाज का अर्थ एक विशेष अर्थ मे लिया जाता हैं। समाजशास्त्र मे व्यक्तियों के मध्य पाये जाने वाले सामाजिक सम्बन्धों के व्यवस्थित स्वरूप को 'समाज' कहते हैं। समाज व्यक्तियों के एक समूह से नही, वरन् उनके बीच संबंधों की व्यवस्था से हैं।

समाजशास्त्र मे समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता हैं। व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अनेक संबंध होते है जो एक समाज का निर्माण करते हैं। समाज मे मानव व्यवहार व संबंधों के नियंत्रण की व्यवस्था होती है जो समाज मे संगठन व उपेक्षित स्थिरिता प्रदान करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखती है।

2.4.2 समाज की परिभाषा

गिडिंग्स के अनुसार," समाज स्वयं संघ है वह एक संगठन और व्यवहारों का योग है, जिसमे सहयोग देने वाले एक-दूसरे से सम्बंधित होते हैं।"

मैकाइवर व पेज के अनुसार," समाज चलनों व प्रणालियों की, सत्ता व पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों व भागों कि, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वाधीनताओं कि एक व्यवस्था हैं। अत: समाज सामाजिक संबंधों का जाल हैं

2.4.3 समाज की विशेषताएं –

समाज की निम्नलिखित विशेषताएं हैं--

1. समाज अमूर्त हैं

समाज व्यक्तियों का समूह नही हैं, अपितु यह मानवीय अन्तः सम्बन्धों की एक जटिल व्यवस्था हैं। मानवीय अन्तः सम्बन्धों को न तो देखा जा सकता है और न ही उन्हे स्पर्श किया जा सकता हैं। अमूर्त का अर्थ हैं जिसे देखा ना जा सके, स्पर्श ना किया जा सके। समाज को कोई वस्तु

नही जिसका हम हमारी ज्ञान इन्द्रियों के माध्यम से देखकर, सूँघकर, सुनकर, चखकर, अथवा स्पर्श कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके। इस प्रकार समाज मूर्त नही अमूर्त हैं।

2. पारस्परिक निर्भरता

समाज का एक प्रमुख विशेषता पारस्परिक निर्भरता हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नही कर सकता हैं। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता हैं। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण ही समाज के सदस्य सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण करते हैं।

3. समाज संबंधों की व्यवस्था हैं

समाज सामाजिक संबंधों का जाल हैं जो सामाजिक संबंधों के तानेवाने से बना होता हैं। समाज कोई अखण्ड वस्तु नही हैं। यह विभिन्न खण्डों व उपखण्डों से बना हैं जिनमें एक व्यवस्था होती है। यह संबंधों का मात्र एक संकलन नही है, वरन् एक जटिल व्यवस्था है। संबंधों का क्रम-विन्यास समाज की संरचना को व्यक्त करता है। समाज के विभिन्न भागों मे परस्पर संबंध व निर्भरता होती है।

2.5- भाषा और समाज के संबंध

किसी भी सामाजिक समूह का अंग बनने में भाषा एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति समूह के सदस्यों के मध्य अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की बहुत सी बातों को अपने जीवन में अपनाता है और वह समाज के रीति-रिवाजों, आदर्शों, परम्पराओं एवं नियमों को सीखता है। एलिस के अनुसार, "भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है।" भाषा एवं समाज का सम्बन्ध तीन रूपों में देखा जा सकता है-

2.5.1 पहचान (Identity) –

भाषा के माध्यम से ही बहुत से प्रान्त के लोग पहचाने जाते हैं। एक प्रान्त के अधिकांश व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वहाँ के निवासियों को उसी भाषा से पहचाना जाता है। सिन्धी भाषा से सिन्धियों को पहचाना जाता है तो पंजाबी भाषा से पंजाब के लोगों को, कश्मीरी भाषा से कश्मीर के लोग जाने जाते हैं और मराठी भाषा से महाराष्ट्र के लोग। यही गुजराती, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल, उड़िया आदि भाषाएं वहाँ के लोगों को एक पहचान प्रदान करती हैं। यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से तो देश एक है परन्तु आन्तरिक दृष्टि से यह विभिन्न प्रान्तों, क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों के आधार पर विभाजित है। सामान्यतया व्यक्ति जिस स्थान, क्षेत्र, प्रदेश में जन्म

लेता है और जो भाषा बोलता है, उनसे वह अधिक स्नेह रखता है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति उस भाषा में अधिक सरलता से कर लेता है।

2.5.2 शक्ति (Power)-

विभिन्न प्रान्तों में कितने लोग किसी भाषा को बोलते हैं, इस आधार पर उस प्रान्त की शक्ति पहचानी जाती है। भाषा के आधार पर ही प्रान्तीय आकांक्षाएँ जन्म लेती हैं और अलगाववादी ताकतें उत्पन्न होती। अलगाववादी भावना प्रान्तीय आकांक्षाओं का ही प्रमुख कारण है। इसी आधार पर विभिन्न राज्यों की माँग होती है। एक भाषा-भाषी व्यक्ति पृथक् राज्य की माँग करने लगते हैं जिससे वे शक्ति बन सके और राजनीति में उनका दबदबा कायम हो सके। भाषा के आधार पर कई राजनीतिक दलों का भी उदय होता है जो एक भाषा भाषियों को राजनीति में पृथक् एवं विशिष्ट सत्ता का लोभ दिखाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ भाषा के माध्यम पर शक्ति केन्द्र बनाने का प्रयास करती हैं और उन्हें एकत्र करने का कार्य करती हैं। भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा (ऑफिशियल लैंग्वेज) कहा गया है। लोकतान्त्रिक प्रणाली में जहाँ सत्ता (Power) किसी व्यक्ति या वर्ग के हाथ में नहीं होती, सरकार का समस्त कार्य ऐसी भाषा में होना चाहिए जिसे अधिकांश लोग समझ या बोल लें। इस सार्वजनिक सत्य को ध्यान में रखकर ही हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो भाषा राजभाषा होती है, उस भाषा भाषियों की स्थिति अधिक सुदृढ़ मानी जाती है।

2.5.3 विभिन्नता (Discrimination)-

भाषा के आधार पर समाज में विभिन्नता भी उत्पन्न होती है। इससे अलगाववादी ताकतें उत्पन्न होती हैं। किसी राज्य को पृथक् भाषा के आधार पर विशेष अधिकार प्रदान कराने में राजनेताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेषकर कश्मीर को क्षेत्रीय आधार पर विशेष राज्य का दर्जा एवं सुविधाएँ दी गई हैं जो उचित नहीं है। भाषा के आधार पर विभिन्न प्रान्तों को शक्ति सुविधाएँ एवं विशेष दर्जा देने से सभी राज्यों में विभिन्न का जन्म होता है। विभिन्न भाषाओं का एक राष्ट्र में होना राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक तत्त्व है क्योंकि सभी प्रान्त अपनी भाषाओं को सर्वश्रेष्ठ तथा दूसरी भाषाओं को हेय दृष्टि से देखते हैं। इसी आधार पर वे राजभाषा हिन्दी का भी विरोध करते हैं। राष्ट्र के कई प्रान्तों में बँटने के कारण हर प्रान्त की अपनी अलग भाषा तथा संस्कृति हो गयी है तथा एक ही राष्ट्र के लोग अपने को अलग-अलग क्षेत्रवासी मानने लगे हैं। अतः हर भाषा को सम्मान देना चाहिए।

2.6 भाषा का समाज में योगदान

भाषा व्यक्तियों द्वारा सम्प्रेषण करने का माध्यम है। भाषा व्यक्तियों को जोड़ती है तथा उन कार्यों को सम्भव बनाती है जो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। भाषा मनुष्य के अस्तित्व का केन्द्र बिन्दु है । भाषा के बिना समाज, व्यक्ति व संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाजीकरण का मुख्य साधन भाषा है। भाषा ही है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक संरचना की शक्तियों का वर्णन करती है। भाषा ज्ञान व विचारों का निर्माण एवं आदान-प्रदान करती है। इसके अलावा भाषा व्यक्ति को पहचान व शक्ति प्रदान करती है। सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भाषा समाजिकता के विकास का माध्यम है। भाषा व समाज एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषा समाज का एक हिस्सा है और भाषा के बिना समाज का निर्माण सम्भव नहीं है। भाषा के बिना व्यक्ति के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाषा व समाज एक-दूसरे पर आधारित है व एक-दूसरे को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं-

1. भाषा समाज को प्रभावित करती है –

i. सामाजिक सम्बन्धों की स्थापना – भाषा की सहायता से ही आपसी सम्बन्ध बनते हैं बातचीत से जानकारी प्राप्त होती है तथा एक दूसरे से सम्बन्ध बनते हैं।

ii. व्यक्ति की पहचान – भाषा व्यक्ति को पहचान दिलाती है। भाषा एक जादू की तरह कार्य करती है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट करता है तथा अनुचित भाषा के प्रयोग से व्यक्ति स्वयं का भी सम्मान खो सकता है। भाषा समाज व संस्कृति को जीवित तथा सुरक्षित रखती है |

2. समाज भाषा को प्रभावित करता है –

i. भाषा का स्तर – व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहाँ के अनुसार भाषा का चुनाव करता है। विभिन्न वर्ग अपनी अपनी विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे शहरी क्षेत्र की भाषा ग्रामीण क्षेत्र से अलग होती है, वहीं शिक्षित वर्ग व अनपढ़ वर्ग की भी भाषा अलग होती है।

ii. भाषा को नियन्त्रित करना- समाज भाषा को नियन्त्रित करती है। समाज भाषा के जिस रूप को स्वीकार करता है, समाज में वही रूप प्रयोग में लाया जाता है। एक समाज के द्वारा वही भाषा स्वीकार्य होती है, दूसरे समाज के लिए अपमानजनक होती है। अपराध जगत व शिक्षित समाज की भाषा में यह अन्तर दिखाई देता है।

iii. भाषा में परिवर्तन लाता है- समाज में परिवर्तन आने से भाषा में भी परिवर्तन उत्पन्न होते है। आज समाज में वैश्वीकरण से पाश्चात्य (Western) संस्कृति बढ़ रही है जिससे भाषा में यह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। भाषा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का प्रचलन बढ़ गया है।

3- समाज में भाषा के प्रकार

साहित्यिक भाषा इसका उपयोग लेखकों द्वारा अपने साहित्यिक कार्यों (सांस्कृतिक सामग्री और बोलचाल) में किया जाता है। लेखक जो व्यक्त करना चाहता है उसके आधार पर इसका उपयोग अश्लील अभिव्यक्तियों के साथ शब्दों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है।

- औपचारिक भाषा- अकादमिक या काम के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अवैयक्तिक भाषा। यह बोलचाल की भाषा का उपयोग नहीं करता है क्योंकि यह अनौपचारिक भाषा के विपरीत है।
- अनौपचारिक भाषा- यह प्राकृतिक या लोकप्रिय भाषा है जिसका उपयोग लोग दैनिक बातचीत में करते हैं। सहज शब्दावली जो लोगों से संवाद करने के लिए पैदा होती है। यह अनजाने में प्रयोग किया जाता है और बचपन से सीखा गया है। यह व्यक्ति के संदर्भ और संस्कृति से संबंधित है।
- कृत्रिम भाषा- इस भाषा के साथ, तकनीकी पहलुओं को व्यक्त किया जाता है जिन्हें अक्सर प्राकृतिक भाषा में समझना मुश्किल होता है। इसे इस्तेमाल करने वालों (गणितीय भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा, कंप्यूटर भाषा, आदि) की जरूरतों के अनुसार एक जानबूझकर तरीके से परिभाषित किया गया है।
- वैज्ञानिक या तकनीकी भाषा- इसका उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा विचारों और ज्ञान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक ही संघ के लोग इसे समझते हैं।
- मौखिक भाषा या बोली जाने वाली भाषा- किसी भाषा की ध्वनियों का उपयोग भावनाओं, विचारों या विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ध्वनि से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। इसे समझ में आना चाहिए और संदर्भ से संबंधित होना चाहिए।
- लिखित भाषा- यह मौखिक अभिव्यक्तियों के ग्राफिक प्रतिनिधित्व से बना है। लिखित भाषा बोली जाने वाली भाषा के बराबर है लेकिन लिखित कोड में सन्निहित है। अर्थ निकालने के लिए, इसे समझ में आना चाहिए और एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- प्रतिष्ठित भाषा- प्रतीकों के उपयोग के साथ अशाब्दिक भाषा। प्रतीक शब्दावली हैं और व्याकरण का रूप है।
- अशाब्दिक भाषा गैर-मौखिक चेहरे की भाषा एक प्रकार होगी (शब्द आवश्यक नहीं हैं और यह अनजाने में उपयोग किया जाता है। यह लोगों के हावभाव, आकार और शरीर की गतिविधियों से संबंधित है। चेहरे का एक अर्थ होता है जिसे पढ़ा जा सकता है). काइनेसिक चेहरे की अशाब्दिक भाषा (आंदोलन जो शरीर के आंदोलनों के साथ व्यक्त किए जाते हैं। हावभाव, जिस तरह से चलता है, हाथों की गति, चेहरे या शरीर की गंध इस प्रकार की भाषा का हिस्सा है)। अशाब्दिक प्रॉक्सिमिक चेहरे की भाषा (लोगों की निकटता और स्थानिक दृष्टिकोण, विभिन्न संस्कृतियों में दूरियां)।

2.7 सारांश

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके है कि-

- भाषा एवं समाज ही मिलकर एक आदर्श समाज का नवनिर्माण करते हैं।
- भाषा एक सामाजिक इकाई है। भाषा की प्रकृति व उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रस्तुत इकाई हमने पढ़ी। हमने देखा कि भाषा एक यादृच्छिक ध्वनि व्यवस्था है।
- इसके निर्माण में व्यक्ति व समाज का संयुक्त योगदान रहता है। बावजूद भाषा सामाजिक संपत्ति है।
- यह सामाजिक कार्य व्यवहार को दर्शित करती है तथा सामाजिक गति व अनुशासन की वाहक है।
- भाषा संकेत व प्रतीक व्यवस्था को भी धारण करती है।
- भाषा एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की उपज है। इसलिए सामाजिक व सांस्कृतिक घटक है।
- भाषा मनुष्य के मन को व्यक्त करती है। साथ ही सांस्कृतिक ऐक्य को भी सूचित करती है। इस प्रकार भाषा मनुष्य व सभ्यता की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है।
- हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भाषाएँ हैं जो हमारे लिए कुशलता से संवाद करने के लिए आवश्यक हैं।
- विचारों और भावनाओं को भी व्यक्त करने में भाषा आवश्यक उपकरण हैं।

2.8 बोध प्रश्न

1-विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में आवश्यक उपकरण हैं।

A-भाषा

B-समाज

C-साहित्य

D-विचार

2-समाजीकरण का मुख्य साधन भाषा है।

A. सत्य

B. असत्य

3-भाषा मौखिक या लिखित हो सकती है-

A-असत्य

B-सत्य

4- भाषा के संदर्भ में सबसे छोटी इकाई है।

A-ध्वनि

B.वाक्य

C-शब्द

D-पद

5-समाज सामाजिक संबंधों का जाल हैं-

A-गिडिंग्स के अनुसार

B-के डेविस

C-पी युंग

D-मैकाइवर व पेज के अनुसार

2.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1-A

2-B

3-B

4-A

5-D

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1.भाषा एवं समाज को परिभाषित कीजिए।

2. भाषा एवं समाज में क्या सम्बन्ध है।

2.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1-रामविलास शर्मा, भाषा और समाज, भूमिका, पृष्ठ 10, 11, 76
2- भाषा के तत्व -देवेन्द्र नाथ शर्मा
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, BAHL- 301, उत्तरखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, पृष्ठ 3, 51,
4. हिन्दी साहित्य का इतिहास, BAHL-301,उत्तरखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, पृष्ठ , 52, 79

2.12 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. निर्मल वर्मा, आदि अन्त और आरम्भ, भारतीय ज्ञानपीठ, लोदी रोड, नई दिल्ली, पहला संस्करण 2010, पृष्ठ 118, 119
2. डॉ0 धर्मवीर महाजन, प्रारम्भिक समाज शास्त्र, प्रथम संस्करण 2010, अर्जुन पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ 17, 77, 78, 79
3. रामविलास शर्मा, भाषा और समाज, भूमिका, पृष्ठ 10, 11, 76
4. डॉ0 धर्मवीर महाजन, प्रारम्भिक समाज शास्त्र, पृष्ठ 89, 90, 111
5. मैनेजर पाण्डेय, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला, तृतीय संस्करण 2006, पृष्ठ 13, 18

इकाई 3- हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना
3.2 पाठ का उद्देश्य
3.3 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास
3.5.1 भाषा अर्थ एवं परिभाषा
3.5.2 हिन्दी भाषा-परिचय
3.5.3 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास
3.4 हिन्दी भाषा और मानकीकरण का प्रश्न
3.5 हिन्दी और उर्दू का प्रश्न
3.6 सारांश
3.7 शब्दावली
3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
3.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
3.11 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

यह खण्ड हिन्दी भाषा एवं लिपि से संबंधित है। हिन्दी भाषा का सम्बन्ध भारोपीय परिवार से हे। भारोपीय भाषा परिवार, संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसी भषा परिवार में संस्कृत, हिन्दी जैसी भाषाएँ आती है। हिन्दी भाषा की लम्बी सांस्कृतिक परम्परा रही है। संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा के दाय को स्वीकार करके यह विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रश से हिन्दी भाषा के विकास को स्थिर किया गया है। शौरसेनी अपभ्रंश का संबंध शूरसेन प्रदेश व उसके आस-पास के क्षेत्र से रहा है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से प्राकृत भाषा के क्रमशः कई भेद हो गये- शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी एवं मागधी। हिन्दी व उसकी बोलियों का सम्बन्ध उपरोक्त अपभ्रंशों से ही हुआ है। हिन्दी भाषा केवल एक भाषा नहीं है, अपितु एक संस्कृति है। हिन्दी भाषा एक जातीय चेतना है। डॉ. रामविलास शर्मा हिन्दी को एक 'जाति' (विराट संस्कृति) के रूप में ही देखते हैं। कारण यह कि यह अपने में मात्र एक भाषा नहीं है, अपितु कई बोलियों/भाषाओं की जातीय संस्कृति को समेटे एक विराट संस्कृति है।

हिन्दी भाषा का परिदृश्य इतना व्यापक है कि इसके कई स्थानीय रूप व शैलियाँ प्रचलित हो गई है। अखिल भारतीय संदर्भ के कारण इसके व्याकरणिक रूपों में भी किंम्बित परिवर्तन हो गये हैं। अतः इस संबंध में मानकीकरण का प्रश्न भी उठ खड़ा होता है। हिन्दी और उर्दू के संदर्भ का प्रश्न भी विवादित रहा हे। उर्दू, हिन्दी की एक शैली है या स्वतंत्र भाषा? इस प्रश्न को साहित्यिक, धार्मिक, राजनीतिक-साम्प्रदायिक कई दृष्टियों से देखा गया है। इस प्रश्न पर भी हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे।

3.2 पाठ का उद्देश्य

हिन्दी भाषा एवं लिपि नामक खण्ड की इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- भाषा के अर्थ को समझ सकेंगे।
- हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- हिन्दी भाषा की जनपदीय बोलियों से परिचित हो सकेंगे।
- हिन्दी और उर्दू के अंतर्सम्बन्ध को समझ सकेंगे।
- भाषा और मानकीकरण के प्रश्न को समझ सकेंगे।

3.3 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास

हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास की रूपरेखा की समझ के लिए भाषा की समझ होना अनिवार्य है। हिन्दी भाषा की सम्प्रेषणीयता और उसके सामाजिक सरोकार की समझ के लिए भी भाषा की समझ आवश्यक है।

3.5.1 भाषा: अर्थ एवं परिभाषा

भाषा क्या है? हम भाषा का व्यवहार क्यों करते हैं? यदि हमारे पास भाषा न होती तो हमारा जीवन कैसा होता? भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? जेसे ढेरों प्रश्न गहरे विचार की माँग करते हैं। 'भाषा' धातु से उत्पन्न भाषा का शाब्दिक अर्थ है- बोलना। शायद यह व्याख्या तब प्रचलित हुई होगी जब मनुष्य केवल बोलता था, यानी उस समय तक लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। प्रश्न यह है कि बिना बोले क्या मनुष्य रह सकता है? वस्तुतः भाषा सामाजिकता का आधार है..... मनुष्य के समस्त चिंतन व उपलब्धियों का आधार हे। इसका अर्थ यह नहीं है कि पशु-पक्षियों के पास कोई भाषा नहीं होती, उनके पास भी भाषा होती है किन्तु वे उस भाषा का लियान्तरण नहीं

कर सके हैं। भौतिक आवश्यकताओं से ऊपर का चिंतन व विकास बिना भाषा के संभव ही नहीं हे। हम भाषा में सीचते हैं.....भाषा में ही चिंतन करते हैं यदि मनुष्य से उसकी भाषा छीन ली जाये तो वह पशु तुल्य हो जायेगा। आज अनके भाषाएँ संकट के मुहाने पर खड़ी है, दरअसल यह संकट सभ्यता व संस्कृति का भी है तो भाषा का मूल कार्य है सम्प्रेषण। जिस व्यक्ति के पास सम्प्रेषण के जितने कार हो व उतनी ही विधियाँ व पद्धतियाँ खोज लेता है। कथन के इतने प्रकार व ढंग मनुष्य के सम्प्रेषण के ही प्रकार है। सम्प्रेषण की प्रक्रिया में कम-से-कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी इस प्रक्रिया में एक वक्ता और एक श्रोता का होना आवश्यक हे। इस प्रक्रिया में एक तीसरा तत्व और होता है और वह है सम्प्रेषण का कथ्य। सम्प्रेषण के कथ्य का तात्पर्य वक्ता के संदेश से है। और इस सारी प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य एक खास प्रयोजन की प्राप्ति है। इन सारी प्रक्रिया को हम इस आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करें-

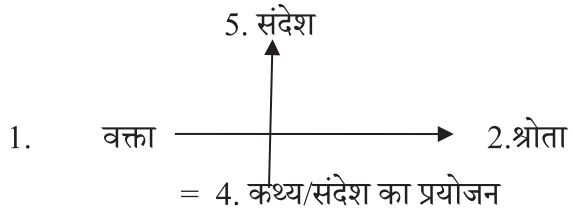

भाषा सम्प्रेषण की यह प्रक्रिया प्राथमिक और आधारभूत है। मनुष्य के भाषा सम्प्रेषण की विशेषता है कि यह ध्वनि एवं उच्चरित ध्वनियों की प्रतीक व्यवस्था से संचालित होती है। जब भाषा को परिभाषित करते हुए कहा गया है- ‘‘भाषा उच्चरित ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक श्रृंखला है’’ स्पष्ट है कि मुख द्वारा उच्चरित ध्वनियों को ही भाषा के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। सम्प्रेषण के और भी कई रूप हैं जैसे- आँख द्वारा, स्पर्श द्वारा, गंध द्वारा, इशारे द्वारा,..... इत्यादि....। हम सामान्य रूप से सारे माध्यमों का प्रयोग करते हैं लेकिन भाषा के मूल रूप में उच्चरित का ही प्रयोग करते हैं मनुष्य की भाषा प्रतीकबद्ध ढंग से संचालित होती है। हर शब्द अपने लिए एक प्रतीक रचते हैं, चुनते हैं। और वह प्रतीक एक दूसरे शब्द से भिन्न आर्थ लिये हुए होता है। भाषा के इस प्रतीकबद्ध व्यवस्था को हम एक आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं- प्रतीकों के निर्माण आधार (साभार इग्नू)

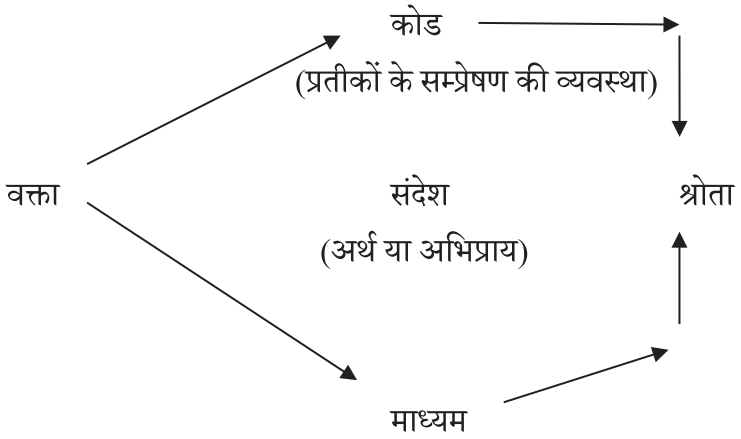

इस प्रक्रिया में सम्प्रेषण के लिए आवश्यक है: 1. वक्ता 2. श्रोता 3. माध्यम 4. कोड व्यवस्था - जिसके संदेश को श्रोताओं तक पहुँचाया जाता है। 4. प्रयोजन/

3.5.2 हिन्दी भाषा: परिचय

जब हम हिन्दी भाषा शब्द का व्यवहार करते हैं तब हमारे सामने तीन अर्थ तीन है। एक- ऐसी भाषा, जिसका उत्तर भारत के लोग सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग करते है। दो- मानक हिन्दी, जो साहित्य व संस्कृति का प्रतीक है। तीन-जो भारत की राजभाषा है और जिसका प्रयोग सरकारी काम-काज के लिए किया जाता है। यहाँ हम प्रमुख रूप से हिन्दी भाषा की बात कर रहे हैं। हिन्दी भाषा के विकास क्रम को 1000 ई. से मान गया है। हिमालय से विन्ध्याचल व राजस्थान से लेकर बंगाल तक इसका क्षेत्र माना गया है। 18 बोलियों के संयुक्त दाय को लेकर इस भाषा का गठन हुआ है। भाषा के रूप में इसका विस्तार पूर्व के प्रेदश (बंगार, उड़िया) तक हैं, जहाँ की हिन्दी ब्रजबुलि है, वहीं पश्चिम के प्रदेश गुजराती, राजस्थानी एवं इक्षिण-पश्चिमी भाषा मराठी तक इसका प्रसार है। इसी प्रकार उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश व जम्मू तक तथा दक्षिण के प्रदेश में हैदराबाद (दकनी हिन्दी) तक इसका प्रसार है।

3.5.3 हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास

हिन्दी भाषा के विकास का सम्बन्ध अपभ्रंश से जुड़ा हुआ है। संस्कृत भाषा से कई प्राकृतों विकसित हुई और उन प्राकृतों से अपभ्रंश। इन अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का जन्म हुआ। डॉ0 धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है-

उत्तरी - सिंधी, लहंदा, पंजाबी

पश्चिमी - गुजराती

मध्यदेशी - राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी, पहाड़ी,

पूर्वी - ओड़िया, बंगला, असमिया

दक्षिणी - मराठी

जबकि डॉ0 ग्रियर्सन का वर्गीकरण इस प्रकार है -

(क) बाहरी उपशाखा

प्रथम -उत्तरी-पश्चिमी समुदाय

1. लहंदा अथवा पश्चिमी पंजाबी
2. सिन्धी

द्वितीय- दक्षिणी समुदाय

3. मराठी

तृतीय -पूर्वी समुदाय

4- ओड़िया

5- बिहारी

6- बांगला

7- असमिया

(ख) मध्य उपशाखा

चतुर्थ- बीच का समुदाय

8- पूर्वी हिन्दी

(ग) भीतरी उपशाखा

पंचम- केंद्रीय अथवा भीतरी समुदाय

9- पश्चिमी हिन्दी

10- पंजाबी

11- गुजराती

12- भीली

13- खानदेशी

14- राजस्थानी

पष्ठ - पहाड़ी समुदाय

15- पूर्वी पहाड़ी (नेपाली)

16- मध्य या केंद्रीय पहाड़ी

17- पश्चिमी पहाड़ी

स्थूल रूप में हम आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं को 1000ई0 के आस-पास से मान सकते हैं। भारतीय भाषा के विकास क्रम को प्रमुखतः तीन चरणों में विभक्त किया गया है-

1. हिन्दी भाषा का आदिकाल (1000-1500 ई0 तक)
2. हिन्दी भाषा का मध्यकाल (1500 से 1800 ई0 तक)
3. हिन्दी भाषा का आधुनिक काल (1800 ई. के बाद से आज तक)

भारतीय आर्य भाषा: विकास क्रम

भारतीय आर्यभाषाओं के विकास क्रम को इस प्रकार समझा जा सकता है। भारतीय आर्यभाषा के विकास क्रम को तीन चरणापें में विभक्त किया गया है। भाषा विकास क्रम को आइए देखें-

1. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा (1500 ई. पू. से 500 ई.पू.)
2. मध्यकानीन भारतीय आर्यभाषा (500 ई.पू. से 1000 ई. तक)
3. आधुनिक भारतीय आर्यभाषा (1000ई. से अब तक)

1- हिन्दी भाषा का आदिकाल

भाषा विकास क्रम के अध्ययन की प्रक्रिया में हमेन देखा कि 1000 ई. के आस-पास का समय भाषा की दृष्टि से निर्णायक बिन्दु हें इस बिन्दु पर अपभ्रंश को केंचुल उतारकर भाषा आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में ढलना प्रारम्भ कर देती है। भाषा की दृष्टि से इस काल को 'संक्राति काल' कहा जा सकता है क्योंकि अपभ्रंश भाषा अपना स्वरूप परिवर्तित कर रही थी। सन् 1000 से 1200 ई0 तक का समय विशेष रूप से, इस संदर्भ में लक्षित किया जा सकता है। इस काल के अपभ्रंश को 'अवहट्ट' नाम दे दिया गया है। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को 'अवहट्ट' ही कहा है। कुछ लोगों ने इसे ही 'पुरानी हिन्दी' (चन्द्रधर शर्मा गुलेरी) कहा है। तात्पर्य यह कि हिन्दी भाषा अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही थी। खड़ी बोली का आरम्भिक रूप अमीर खुसरो तथा बाद में कबीर के साहित्य में स्पष्टयता मिलने लगते हैं। जैन, बौद्ध, नाथ, लोक कवि आदि के माध्यम से हिन्दी भाषा के विविध रूप हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थानी-खड़ी

बोल- अपभ्रंश के मिश्रण से 'डिंगल शैली' का प्रचलन हुआ। इस संबंध में श्रीधर को 'रणमल छंद' व कल्लौल कवि की 'ढोला मारू रा दोहा' प्रतिनिधि रचनाएं हैं। रासो साहित्य के ऊपर डिंगल, शैली का प्रभाव देखा जा सकता हे। इसी प्रकार अपभ्रंश भाषा के ब्रजभाषा के मिश्रण से पिंगल' शैली का जन्म हुआ। इसी प्रकार खड़ी बोली और फारसी के प्रभाव से 'हिन्दवी' की शैली प्रचलित हुई। अमीर खुसरो इस शैली के प्रयोक्ता है।

2- हिन्दी भाषा का मध्यकाल

हिन्दी भाषा का मध्यकाल 1500 ई. से 1800 ई. तक है। इस समय तक खड़ी बोली भाषा के रूप में अस्तित्व ले चुकी थी, लेकिन अवधी एवं ब्रजभाषा ही साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध भाषाएं बन पाई थीं। यद्यपि मौखिक सम्प्रेषण -सामाजिक सम्प्रेषण की भाषा के रूप में खड़ी बोली लोक में बराबर चल रही थी। भाषा की दृष्टि से इसे हिन्दी भाषा का स्वर्णकाल कहा गया है। सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, केशव जैसे सैकडो़ कवियों ने इस काल के भाषा एवं साहित्य की वृद्धि की है।

हिन्दी भाषा की दृष्टि से दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि फारसी शब्दों का बड़ी संख्या में समावेश हो गया। तुलसी, सूर जैस कवियों की भाषा पर भी इस प्रभाव को देखा जा सकता है।

3- हिन्दी भाषा का आधुनिककाल

हिन्दी भाषा के आधुनिक काल में 1800 ई0 के बाद के समय को रखा गया है। इस समय तक गद्य के रूप में खड़ी बोली की रचनाएँ प्रकाश में आनी शुरू हो जाती है। अकबर के दरबारी कवि गंग की 'चन्द्र छन्द बरनन की महिमा' तथा रामप्रसाद निरंजनी क' भाषा योग वशिष्ठ' की रचनाओं में हमें खड़ी बोली गद्य का दर्शन होता हे। इसी क्रम में स्वामी प्राणनाथ की 'शेखमीराजी का किस्सा' भी महत्वपूर्ण रचना हे। लेकिन खड़ी बोली का वास्तविक प्रसार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद होता है।

अंग्रेजी राज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने हिन्दी भाषा में पाठ्य पुस्तकें बड़ी संख्या में तैयार करवाई... कुछ के अनुवाद कार्य करवाये। बाईबिल के हिन्दी अनुवाद ने भी हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में अपना योगदान किया। 10-11 वीं सदी की रचना 'राउलवेल' में ही खड़ी बोली के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, किन्तु आधुनिक काल में आकर उसका विशेष प्रसार होता है। फोर्ट विलयम कॉलेज के प्रिंसिपल गिलक्राइस्ट के निर्देशन में, लल्लू लाल, इंशा अल्ला खाँ ने भाषा की पुस्तकें तैयार करवाने में मदद की। इसके अतिरिक्त सदासुखलाल व सदल मिश्र का योगदान भी कम नहीं है। इसी समय पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन ने भी हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में भी

महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेन्दु हरिशचन्द्र के आगमन से खड़ीबोली के प्रसार में युगान्तकारी परिवर्तन आया। कविता की भाषा पहले ब्रज और अवधी हुआ करती थी, अब खड़ी बोली में भी कविताएँ होने लगीं। गद्य के क्षेत्र में तो युगान्तकारी परिवर्तन आया ही । गद्य की नई विधाएँ उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि हिन्दी भाषा को मिलीं। हिन्दी भाषा ने फारसी, अंग्रेजी एवं अन्यान्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया.....।

अभ्यास प्रश्न 1

1. टिप्पणी कीजिए।

1- हिन्दी भाषा का आदिकाल

.....

.....

.....

.....

.....

2- भाषा: अर्थ एवं परिभाषा

.....

.....

2. सत्य/असत्य का चुनाव कीजिए।

1. खड़ी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है।
2. रामविलास शर्मा ने 'हिन्दी जाति' की अवधारणा पर बल दिया है।
3. हिन्दी भाषा के विकास क्रम को 1000 ई0 के आस-पास से माना जाता है।
4. हिन्दी भाषा में 18 बोलियाँ हैं।
5. मराठी दक्षिणी समुदाय के अंतर्गत मानी जाती है।

3.4 हिन्दी भाषा और मानकीकरण का प्रश्न

हमने अध्ययन किया कि हिन्दी भाषा का क्षेत्रीय विस्तार बहुत ज्यादा है। अलग-अलग बोलियों एवं जनपदीय विस्तार के वैविध्य के कारण हिन्दी भाषा में पर्याप्त असमानताएँ देखने को मिलती हैं। भाषा विविधता के भौगोलिक -ऐतिहासिक कारण होते हैं। ऐतिहासिक कारणों से भाषा नित्य परिवर्तित होती रहती है.... अतः प्रश्न भाषा के पुराने रूपों और नये रूपों के बीच उठ खड़ा

होता है। इसी प्रकार भौगोलिक परिवेश की भिन्नता के कारण भी एक ही भाषा में विभेद उत्पन्न हो जाते हैं। मानक भाषा को चयन की प्रक्रिया कहा गया है। हॉगन के शब्दों में भाषा के रूप को कोडबद्ध करने की प्रक्रिया मानकीकरण है। मानकीकरण का तात्पर्य यह है कि किसी भाषा के घटकों में जो विकल्प है, उनमें से एक विकल्प को स्वीकृत कर अन्या विकल्पों को अस्वीकृत कर दिया जाये। समाज द्वारा किसी एक रूप का चयन किया जाये, मानकीकरण का यह प्रयोजन है। भाषा चिंतकों/व्याकरणविदों द्वारा भाषा के किसी निश्चित रूपों के चयन को ही मानकीकरण कहा गया है। मानकीकरण की प्रक्रिया बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। किसी भाषा के मानकीकरण के कई आधार है। मानकीकरण के स्वरूप को निम्न इकाइयों के माध्यम से समझा गया है। एक आरेख के माध्यम से हम इसे अच्छे ढंग से समझ सकते हैं-

मानकीकरण का स्वरूप (आरेख)

इसी प्रकार हिन्दी भाषा के मानकीकरण के संदर्भ में भी कई विसंगतियाँ देखने को मिली हैं, जिनके निराकरण का प्रयास समय-समय पर किया गया है। ये प्रश्न देवनागरी वर्णमाला के संदर्भ में, हिन्दी वर्तनी मानकीकरण के संदर्भ में विशेष रूप से उठाये गये हैं।

3.5 हिन्दी और उर्दू का प्रश्न

हिन्दी और उर्दू भाषा एक ही भाषाएँ हैं या स्वतंत्र रूप से अलग भाषाएँ ? उर्दू, हिन्दी की एक शॅली है या उससे स्वतंत्र कोई भाषा? इन प्रश्नों की समझ आवश्यक है। 'उर्दू' शब्द का और शिवर के अर्थ में लिया गया है। मुगल शिवरों के आस-पास बसे बाजार और सैनिकों की बोलचाल की भाषा के रूप में ऊर्द भाषा का जन्म हुआ माना जाता है। हांलाकि दूसरा वर्ग इस तर्क से समहम नहीं है। भाषावैज्ञानिक मत और साथ ही राजनीतिक-धार्मिक पक्ष भी इसी के साथ जुड़ते गये। फलतः यह प्रश्न भी उलझता गया। उर्दू के संदर्भ में 'रेखता' शब्द का प्रयोग भी किया गया है। 1700 ई. में बली दकनी के दक्षिण से दिल्ली आने की घटना से रेखता का संबंध जोड़ा गया है। रेख्ता को फारसी जानने वाले लोग भी समझ सकते थे और हिन्दी समझने वाले लोग भी। धीरे-धीरे इस भाषा में अरबी-फारसी के शब्द बढ़ते गये और यह भाषा की एक नई शैली के रूप में प्रचलित हो गई।

3.6 सारांश

इस इकाई में हिन्दी भाषा का उद्भव एवं विकास -का आपने अध्ययन किया। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपने जाना कि-

- प्राकृत भाषा से कई अपभ्रंशों का विकास हुआ। शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी एवं मागधी। हिन्दी भाष का सम्बन्ध शौरसेनी अपभ्रंश से है।
- हिन्दी भाषा अपने जनपदीय विस्तार के कारण एक जातीय संस्कृति का रूप ग्रहण का चुकी है। रामविलास शर्मा जैसे विद्वान इसी कारण हिन्दी को 'एक जाति' कहते हैं। हांलाकि इस व्याख्या से द्रविड़ व अन्य संस्कृतियों से हिन्दी के विभेद की संभावना भी बढ़ जाती है।
- भाषा की व्यवस्था में वक्ता, श्रोता, संदेश व संदेश का प्रयोजन अनिवार्य रूप से जुड़े रहते हैं।
- हिन्दी भाषा में 5 उप-भाषाएँ और 18 बोलियाँ है, जो सांस्कृतिक रूप में एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।
- हिन्दी भाषा के विकास क्रम को तीन कालों में विभक्त कर दिया गया है-
  1. हिन्दी भाषा का आदिकाल (1000- 1500 ई.)
  2. हिन्दी भाषा का मध्य काल (1500- 1800 ई0)
  3. हिन्दी भाषा का आधुनिकाल (800-से अब तक)

3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

(1) 2. 1- असत्य
2- सत्य
3- सत्य
4- सत्य
5- सत्य

3.8 शब्दावली

- दाय - प्रभाव, प्रेरणा
- किंचित - मामूली, थोड़ा
- लिप्यान्तरण - भाषा के मौखिक रूप को लिपिबद्ध करना

- यादृच्छिक - इच्छानुसार, निश्चित सिद्धान्त से हट कर भाषा का अर्थ सुनिश्चित करना।
- मानकीकरण - भाषा के किसी निश्चित रूपों का चयन करना।

3.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास - तिवारी, उदयनारायण, किताबमहल, इलाहाबाद, संस्करण 1965।
2. हिन्दी भाषा का इतिहास (2) - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मानविकी विद्यापीठ, अगस्त 2010।

3.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास - शुक्ल, रामचन्द्र, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी।
2. हिन्दी भाषा का इतिहास, वर्मा,धीरेन्द्र, इन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

3.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. भाषा के अर्थ एवं परिभाषा पर विचार कीजिए।
2. हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास पर निबन्ध लिखिए।

इकाई 4- हिन्दी: उपभाषाएँ एवं बोलियाँ

इकाई की रूपरेखा

4.1 इकाई की रूपरेखा
4.2 प्रस्तावना
4.2 पाठ का उद्देश्य
4.3 हिन्दीः उपभाषाएँ एवं बोलियाँ
4.5.1 हिन्दी भाषा का विकास क्रम
4.5.2 हिन्दी उपभाषाएँ बोलियाँ
4.4 हिन्दी की प्रमुख बोलियों का परिचय
4.5 भाषा और बोली का अंतर्सम्बन्ध
4.6 सारांश
4.7 शब्दावली
4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
4.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
4.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
4.11 निबन्धात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने हिन्दी भाषा के उद्भव एवं विकास का अध्ययन किया। आपने अध्ययन किया कि संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के किस प्रकार हिन्दी भाषा का विकास हुआ। संपूर्ण भारतीय भाषाओं के विकास क्रम का भी आधुनिक भारतीय आर्यभाषा के साथ जुड़ा हुआ है। पिछली इकाई में हमने चर्चा की भी कि हिन्दी भाषा के कई रूप समाज में प्रचलित हैं। कभी-कभी हिन्दी का अर्थ बोलचाल की खड़ी बोली के अर्थ में लिया जाता है तो कभी-कभी साहित्यिक हिन्दी के अर्थ में। अतः हमें खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ , बिजनौर, मुराबाद के आस-पास बोली जाने वाली एक बोली है, जबकि 18 बोलियों के समुच्चय का नाम हिन्दी भाषा है। इसीलिए इसे 'जबान-ए-हिन्द' जैसा नाम भी दिया गया था।

हिन्दी भाषा का विकास क्रम किस प्रकार विभिन्न मोड़ों से गुजरा है, इसका अध्ययन आपने कर लिया है । यहाँ हम हिन्दी की उपभाषाएँ एवं उनके अंतर्गत बोली जानेवाली बोलियों के अंतर्सम्बन्ध को समझने का प्रयास करेंगे।

इसी संदर्भ में हम भाषा और बोली के अंतर्सम्बन्ध को भी समझेंगे।

4.2 पाठ का उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- हिन्दी के जनपदीय आधार को समझ सकेंगे।
- हिन्दी की सामासिक प्रकृति का अध्ययन करेंगे।
- हिन्दी की उप-भाषाएँ एवं बोलियों के बारे में जान सकेंगे।
- हिन्दी के बोलयों एवं उनके क्षेत्र के बारे में समझ सकेंगे।
- हिन्दी बोलियों के अंतर्सम्बन्ध को जान सकेंगें
- भाषा और बोली के अंतर्सम्बन्ध को समझ सकेंगे।

4.3 हिन्दी: उपभाषाएँ एवं बोलियाँ

4.5.1 हिन्दी भाषा का विकास क्रम

हिन्दी भाषा के विकास क्रम के अध्ययन में हमने पढा़ कि हिन्दी भाषा का संबंध आधुनिक भारतीय आर्याभाषा से है। प्रथम आर्यभाषा का काल 1500 से 500 ई. पूर्व तक, द्वितीय आर्यभाषा का काल 500 ई.0 पू0 से लेकर 1000 ई. तक तथा तीसरी या आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का काल 1000 ई0 से अब तक निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार हिन्दी भाषा के विकास काल को भी तीन चरणों में विभक्त कर दिया गया है।

5. 1000 - 1500 ई0
4. 1500 - 1800 ई0 तथा
5. 1800 - से अब तक के काल तक

इस प्रकार भाषा का विकास काल क्रमशः आगे बढ़ता गया है। हिन्दी भाषा, जो कभी मात्र कुछ जनपदों की बोली थी, आज उसने सामासिम रूप ग्रहण कर लिया है।

हिन्दी भाषा के विकास क्रम को यदि देखा जाये तो कुछ बाते स्पष्ट हैं -

5. भाषा क्रमशः जटिलता से सरलता की ओदर बढी़ है।
4. क्रियारूपों से सरलीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है।
5. हिन्दी भाषा में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति तीव्र होती गई है। मध्यकाल तक इसने अरबी-फ़ारसी के शब्द ग्रहण कर लिये थे तथा आधुनिक काल तक आते-आते इसने पुर्तगाली, फ्रांसीसी

और अंग्रेजी के शब्द पर्याप्त मात्रा में ग्रहण किया। आज की हिन्दी भाषा तो अंग्रेजी से ज्यादा ही प्रभावित हुई है।

4. हिन्दी भाषा के बोलने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है। एक भाषा के रूप में यह आज विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं में से एक है।

5. हिन्दी भाषा के विकास क्रम की एक विशेषता इसका उन्नत साहित्य भी है। समय और संदर्भानुकूल हिन्दी भाषा ने अपने को युग-परिवेश से जोड़ा है।

4.5.2 हिन्दी उपभाषाएँ एवं बोलियाँ

आज जिसे हम हिन्दी भाषा कहते हैं, उसमें कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रदेशों की बोलियाँ सम्मिलित हैं। तो क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि हिन्दी का अपना कोई क्षेत्र नहीं है? नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता। बड़ी/समृद्ध भाषाएँ अपना विस्तारस विभिन्न जनपदों व परिवेशों में कर लेती है। अतः उनका जनपद विस्तृत हो जाता है। ब्रजभाषा या अवधी भाषा स्वतंत्र भाषाएँ हैं। या सूर, तुलसी हिन्दी के कवि नहीं है..... इस प्रकार के तर्क विभिन्न आलोचकों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। भाषा और बोली के भेद को आधुनिक काल में विशेष रूप से उठाया गया हे। हिन्दी के संदर्भ में एक प्रश्न यह भी उठाया गया हे इसकी बोलियों में परस्पर भिन्नता की स्थिति है। एक ही भाषा की बोलियों में इतना भेद उचित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को भाषा वैज्ञानिक ढंग से ही समझा जा सकता है, दूसरे हिन्दी भाषा की संस्कृति के आधार पर भी इन प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है।

हिन्दी भाषा के प्रसार एवं विस्तार का प्रश्न वैश्विक हो चला है। एशिया के कई देशों में हिन्दी भाषा बोली और समझी जाती है। जबकि सैकड़ों देशों में हिन्दी भाषा का अध्यापन कार्य चल रहा है, इस प्रकार यह सांस्कृतिक संपर्क का कार्य कर रही है।

हिन्दी भाषा के क्षेत्रीय प्रसार को 'हिन्दी भाषी क्षेत्र' कहा गया है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि प्रदेश आते हैं। इन प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों को मिलाकर हिन्दी भाषी प्रदेश बनता है। यहाँ हम हिन्दी की उपभाषा एवं बोलियों का परिचय देखें-

हिन्दी भाषा

	उपभाषा		**बोलियाँ**
1.	**पश्चिमी हिन्दी**	-1.	खड़ी बोली
		2.	बांगरू या हरियाणवी
		3.	ब्रजभाषा
		4.	कन्नौजी
		5.	बुन्देली
2.	**पूर्वी हिन्दी**	-	1. अवधी
			2. वघेली
			3. छत्तीसगढ़ी
3.	**राजस्थानी**	-	1. मेवाती
			2. मालवी
			3. हाड़ौती (जयपुरी)
			4. मारवाड़ी (मेवाड़ी)
4.	**बिहारी**	-	1. भोजपुरी
			2. मगही
			3. मैथिली
5.	**पहाड़ी**	-	1. कुमाऊँनी
			2. गढ़वाली
			3. नेपाली

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणी कीजिए।

1. हिन्दी भाषा का विकास क्रम

.....

.....

3. हिन्दी उपभाषाएँ एवं बोलियाँ

.....

.....

2- सत्य/असत्स का चुनाव कीजिए।

1. कन्नौजी पश्चिमी हिन्दी की बोली है।
2. हिन्दी की 5 उपभाषाएँ हैं।
3. अवधी पूर्वी हिन्दी की बोली है।
4. मैथिली पश्चिमी हिन्दी की बोली है।
5. पहाड़ी में तीन बोलियाँ आती है।

4.4 हिन्दी की प्रमुख बोलियों का परिचय

हिन्दी भाषा के उपभाषाओं एवं बोलियों का आपने अध्ययन कर लिया है। 5 उपभाषाओं एवं 18 बोलियों में विभक्त हिन्दी भाषा भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि भाषा रही है। अब हम हिन्दी की प्रमुख बोलियों एवं उपभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

1. पश्चिमी हिन्दी

हिन्दी का उप-भाषाओं में से सर्वाधिक प्रमुख उप-भाषा के रूप में पश्चिमी हिन्दी की गणना की जाती है। इस उपभाषा का क्षेत्र दिल्ली, ब्रज, हरियाणा, कन्नौज व बुंदेलखण्ड के क्षेत्रों को अपने में समेटे हुए हैं। खड़ी बोली और ब्रजभाषा के कारण यह हिन्दी का प्रतिनिधि उपभाषा परिवार है। आइए इसकी बोलियों का संक्षेप में परिचय प्राप्त करें-

(क) **खड़ी बोली** -खड़ी बोली का क्षेत्र मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले है। साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली का साहित्य सर्वाधिक समृद्ध है।

2.**ब्रज** -ब्रजभूमि में बोली जाने वाली भाषा का नाम ब्रजभाषा है। मथुरा, वृंदावन के आस-पास का क्षेत्र, आगरा मथुरा, एटा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, बुलंदशहर, बदायूँ आदि जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। सूर, अष्टछाप का साहित्य, बिहारी, देव, घत्रनंद समेत पूरा रीतिकाल, जगन्नाथदास रत्नाकर, हरिऔध जैसे कवियों के साहित्य से ब्रजभाषा समृद्ध है। व्याकरणिक दृष्टि से ओ/औ करांत इसी विशेषता है। गयो, भलो, कहयो इत्यादि शब्द इसके उदाहरण हैं।

3. **कन्नौजी**-कन्नौजी का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इटावा, फर्रूखाबाद, शाहजहाँपुर आदि जिले हैं। कानपुर, हरदोई के हिस्से भी कन्नौजी के क्षेत्र हैं। यह ब्रजभाषा और बुन्देली के बीच का क्षेत्र है। खोटो, छोटो, मेरो, भयो, बइठो इत्यादि 'ओ' कारान्त भाषा के रूप में कन्नौजी को देखा जा सकता है।

4. **बुन्देली** -बुन्देलखण्ड जनपद की बोली को बुन्देली कहा गया है। इस बोली का क्षेत्र झाँसी, जालौन, सागर, होशंगाबाद, भोपाल इत्यादि है।

5. **बाँगरू (हरियाणवी)-** हरियाणा प्रदेश की बोली को हरियाणवी कहा गया है। यह बोली दिल्ली के कुद हिस्सों में, करनाल, रोहतक अंबाला आदि जिलों में बोली जाती है। को के लिए ने का प्रयोग हरियाणवी की विशेषता है।

(ख) पूर्वी हिन्दी - पूर्वी हिन्दी में तीन बोलियाँ हैं- अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी । पूर्वी हिन्दी उपभाषा, हिन्दी में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि इसमें तुलसीदास व रामचरितमानस जैसी कृतियाँ हैं। आइए पूर्वी हिन्दी की बोलियों से परिचित हों।

1. **अवधी** -अवध मण्डल की बोली को अवधी कहा गया है। इस भाषा का प्रमुख क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर आदिजिले आते हैं रामभक्ति शाखा का केंन्द्र अवध मण्डल ही रहा है। इस भाषा में तुलसीदास प्रमुख कवि हैं।

2. **बघेली** -बघेलखण्ड की बोली को वघेली कहा गया है। बघेली में रीवाँ, जबलपुर, माँडवा, बालाघाट आदि जिले आते हैं। वघेली में लोक साहित्य मिलता है।

3. **छतीसगढ़ी** -छतीसगढ़ की बोली को छतीसगढ़ी कहा गया है। मध्यप्रदेश के रायपुर, विलासपुर जिले इसके प्रमुख केन्द्र हैं।

(ग) राजस्थानी -राजस्थानी, हिन्दी का प्रमुख उपभाषा है। राजस्थानी उपभाषा में चार बोलियाँ हैं। मारवाड़ी, मेगती, जयपुरी एवं मालवी। रासो साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक राजस्थानी साहित्य का हिन्दी पर प्रभाव देखा जा सकता है।

1. जयपुरी -जयपुर केन्द्र होने के कारण इसे जयपुरी कहा गया है। इस बोली को ढूँढ़ाली भी कहते हैं। हाडैती इसकी उपबोली है। जयपुरी बोली के क्षेत्र कोटा, बूँदी के जिले एवं जयपुर हैं।

2. मेवाती -यह राजस्थानी के उत्तर सीमा के अंतर्गत बोली जाती है। इसकी प्रमुख उपबोली अहीरवाटी है। मेवाती अलबर, भरतपुर औ गुड़गाँव के जिलों में बोली जाती है।

3. मालवी -दक्षिणी राजस्थान की बोली को मालवी कहा जाता है। मालवी का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के बूँदी, झालावाड़ जिले तथा उत्तरी मध्यप्रदेश के मंदसौर, इंदौर, रतलाम आदि जिले आते हैं। यह बोली गुजराती और पश्चिमी हिन्दी के बीच की है।

4. मारवाड़ी-राजस्थानी की पश्चिमी बोली का नाम मारवाड़ी हे। इसका केन्द्र मारवाड़ है। इसका केन्द्र मारवाड़ हे। इस बोली का केन्द्र जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर आदि जिले हैं। हिन्दी साहित्य की वीरगाथाएँ मारवाड़ी में ही लिखी गयी थीं। मीरा का काव्य मारवाड़ी में ही रचित हे। इस प्रकार राजस्थानी की बोलियों में मारवाड़ी साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक परिष्कृत है।

(घ) बिहारी -इस उपभाषा का केन्द्र बिहार होनेके कारण इसका नाम बिहारी पडा है। बिहारी उपभाषा में तीन बोलियाँ है- भोजपुरी, मगही एवं मैथिली।

1. भोजपुरी-भोजपुरी, बिहारी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। बिहार का भोजपुर जिला इस बोली का केन्द्र है। इस बोली के प्रमुख क्षेत्रों में- बलिया, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंपारन, सहारन, भोजपुर, पालामऊ आदि आते हैं। इस प्रकार इस बोली का केन्द्र मुख्य रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश है। भोजपुरी भाषा में पर्याप्त लोक साहित्य मिलता है। कबीर जैसे बड़े कवि के ऊपर भी भोजपुरी का प्रभाव है। आज भोजपुरी फिल्मों ने इस बोली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दी है। भोजपुरी विदेशों में- मारीशस, सूरीनाम में भी प्रचलित व लोकप्रिय है।

2. मगही -मगध प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम मागधी पड़ा है। यह बोली मुख्य रूप से बिहार के पटना, गया आदि जिलों में बोली जाती है।

3. मैथिली -मिथिला प्रदेश की भाषा होने केकारण इस भाषा का नाम मैथिली है । यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरी बिहार एवं पूर्वी बिहार के चंपारन, मुजफ्फरपुर, मुंगरे, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। मैथिली हिन्दी की भाषा है या नहीं? इस प्रश्न को लेकर मतैक्य नहीं है/वैसे परम्परागत रूप से मैथिली को हिन्दी भाषा की बोली के रूप में ही स्वीकृति मिली हुई है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली, बिहारी उपभाषा की बोलियों में सर्वाधिक संपन्न है। मैथिल कोकिल विद्यापति तो हिन्दी भाषा के गौरव है हीं। आधुनिक कवियों में नागर्जुन जैसे समर्थ कवि मैथिल भाषा की मिट्टी से ही ऊपजे हैं।

(च) पहाड़ी उपभाषा -इस उपभाषा का संबंध पहाड़ी अंचल की बोलियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पहाड़ी नाम दिया गया है। हिन्दी भाषा के पहाड़ी अंचल में उत्तराखण्ड व हिमांचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। ग्रियर्सन ने नेपाली को भी पहाड़ी के अंतर्गत माना था। इस उपभाषा के दो भाग किये गये हैं- पश्चिमी और मध्यवर्ती। पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी, चमोली, भद्रवाही आदि बोलियाँ आती है तथा मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊँनी एवं गढ़वाली।

1. कुमाऊँनी -कुमाऊँ खण्ड में जाने कारण इस बोली का नाम कुमाऊँ पड़ा है। उत्तराखण्ड के उत्तरी सीमा/क्षेत्र इसका केन्द्र है। यह बोली उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत आदि जिलों में बोली जाती है। कुमाऊँ बोली में समृद्ध साहित्य मिलता है। कुमाऊँ ने हिन्दी साहित्य को सुमित्रानंदन पंत, शेखर जोशी, मनोहरश्याम जोशी, इलाचन्द्र जोशी जैसे बड़े साहित्यकार दिये हैं।

2. **गढ़वाली** -उत्तराखण्ड के गढ़वाल खण्ड की बोली होने के कारण इसका नाम गढ़वाली पड़ा है। यह बोली प्रमुख रूप से उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिणी नैनीताल, तराई देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर जिलों में बोली जाती है। गढ़वाली में समृद्ध लोक साहित्य मिलता है। गढ़वाली की उपभाषाओं में राठी, श्रीनगरिया आदि हैं। गढवाल मंडल ने हिन्दी साहित्य को पीताम्बर दत्त बर्थवाल, वीरेन डंगवाल और मंगलेश डबराल जैसे ख्यातिनाम साहित्यकार दिये हैं।

4.5 भाषा और बोली का अंतर्सम्बन्ध

किसी भी समृद्ध भाषा की बोलियाँ और उप-बोलियाँ होती है। हिन्दी के संदर्भ में यह प्रश्न उठाया जाता रहा है कि इसके विभिन्न रूप, क्षेत्रीय विभेद को बढ़ावा देते हैं। जबकि यही प्रश्न लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, रूसी के संदर्भ नहीं उठाया जाता । जाहिर है, इस प्रश्न के मूल में राजनीति ज्यादा होती है, यर्थाथ कम। किसी भी समृद्ध भाषा का विस्तार भौगोलिक एवं साहित्यिक दृष्टि से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक बोली से दूसरी बोली में सम्प्रेषणीयता की समस्या खड़ी हो जाती है। बोली (1) और बोली (18) में इतना भौगोलिक अंतर होता है, कि उनके बीच सम्प्रेषण की समस्या उठना स्वाभाविक ही है। भाषा और बोली के अंतर्सम्बन्ध का एक प्रश्न राजनीतिक और साहित्यिक भी है। एक ही बोली राजनीतिक-साहित्यिक कारणों से कभी बोली बन जाती है और कभी भाषा। इस संदर्भ में भाषा वैज्ञानिकों ने लक्षित किया है कि खड़ीबोली जो कभी कुछ-एक जनपदों में बोली जाने वाली बोली भी, राजनीतिक-साहित्यिक कारणों से भाषा का रूप ले लेती है। और केवल भाषा ही नहीं बनती बल्कि एक संस्कृति बन जाती है। इसी प्रकार मध्यकाल की ब्रजभाषा एवं अवधी भाषाएँ क्रमशः बोलियों का रूप ले लेती है। इस प्रकार भाषा और बोलियों के अंतर्सम्बन्ध को कई रूपों में समझा जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न 2

1- रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

1. ब्रजभाषा ..... की बोली है। (पूर्वी हिन्दी/पहाड़ी/पश्चिमी हिन्दी)
2. मेरठ ..... का क्षेत्र हैं। (ब्रजभाषा/खड़ी बोली/अवधी)
3. वृंदावन ..... का क्षेत्र है।(अवधी/ कन्नौजी/ब्रज)
4. बलिया ..... का क्षेत्र हैं। (बुन्देली/अवधी/भोजपुरी)
5. हरियाणवी ..... में बोली जाती है। (छतीसगढ़/करनाल/जबलपुर)

2- सत्य/असत्य का चुनाव कीजिए।

1. रायपुर में छतीसगढ़ी बोली जाती है।
2. कोटा क्षेत्र में जयपुरी बोली, बोली जाती है।
3. जोधपुर क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है।
4. मगध क्षेत्र में भोजपुरी बोली जाती है।
5. चंपारन में मगही बोली जाती है।

4.6 सारांश

यह इकाई हिन्दी की उपभाषाओं एवं बोलियों पर केंन्द्रित है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आपने जाना कि -

- हिन्दी के कई रूप समाज में प्रचलित हैं। बोलचाल की हिन्दी, कार्यालयी हिन्दी, साहित्यिक हिन्दी।
- खड़ी बोली और हिन्दी भाषा की व्यंजना के अंतर की समझ भी आवश्यक है। खड़ी बोली कुछ जनपदों की बोली है, जबकि हिन्दी भाषा 18 बोलियों का समुच्चय है।
- हिन्दी भाषा लोचदार एवं गतिशील भाषा रही है। हिन्दी भाषा ने न केवल दूसरी भाषाओं के शब्दों के ग्रहण किया है, अपितु सम्वेदना का विस्तार भी किया है।
- हिन्दी भाषा पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी, बिहारी एवं पहाड़ी उपभाषाओं एवं इन उपभाषाओं की 18 बोलियों से मिलकर बनी है।
- पश्चिमी हिन्दी प्रमुख उपभाषा है। इसमें ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली जैसी समृद्ध भाषाएँ हैं।
- भाषा और बोली का घनिष्ठ सम्बन्ध है। राजनीतिक, साहित्यिक कारणों से एक बोली, भाषा का रूप ले लेती है तो कभी भाषा, बोली में परिवर्तित हो जाती है।

4.7 शब्दावली

- समुच्चय - संकलन, साथ
- अंतर्सम्बन्ध - आंतरिक संरचना का जुड़ाव
- संदर्भानुकूल - देश-काल-परिस्थिति के अनुकूल
- मण्डल - कई जिलों को मिलाकर बना एक क्षेत्र।

4.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1- 1. पश्चिमी हिन्दी
2. खड़ी बोली
3. ब्रज
4. भोजपुरी
5. करनाल

2- 1. सत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. असत्य
5. असत्य

4.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दी भाषा का विविधरूप –इग्नू , मानविकी विद्यापीठ, 2010।

4.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. हिन्दी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप - सुमन, अंबा प्रसाद, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

4.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. हिन्दी की उपभाषा एवं बोलियों का परिचय दीजिए।
2. पश्चिमी हिन्दी पर टिप्पणी लिखिए।

इकाई-5 पत्राचार: कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र

इकाई की रूपरेखा

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 पत्राचार: अर्थ एवं विशेषताएं
5.4 पत्राचार के प्रमुख अंग
5.5 कार्यालयी पत्राचार के विभिन्न रूप
5.6 व्यावसायिक पत्र के अर्थ और प्रकार
5.7 व्यावसायिक पत्र के अंग
5.8 सारांश
5.9 शब्दावली
5.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
5.11 उपयोगी पाठ्य सामग्री
5.12 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

इसमें आप 'पत्राचार' के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्राचार जीवन का अनिवार्य अंग है चाहे वह पत्र लेखन के रूप में हो या ई-मेल के रूप में या एस.एम.एस. के रूप में। कार्यालय और व्यवसाय में तो पत्राचार की विशिष्ट भूमिका होती है। इसके बिना न तो कार्यालय का कार्य-संपादन हो सकता है और न ही व्यवसाय को गति मिल सकती है। इस इकाई में आप पत्राचार का अर्थ, उसके अंग और उसके विभिन्न रूपों से परिचित होंगे। आप पत्राचार की विशेषताओं को भी जान पाएंगे और उसके प्रारूप से भी अवगत होंगे ताकि आप विषय को समझते हुए सामग्री संकलित कर सकें और पत्र लेखन कर सकें। आशा है कि इस पढ़ने के बाद आप पत्राचार को भली भांति समझ सकेंगे और उसका लेखन करने में आपको इससे मदद मिल सकेगी।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई का पढ़ने के बाद आप यह जान पाएंगे कि -

- पत्राचार क्या है ? उसके कौन- कौन से अंग हैं ?
- कार्यालय पत्र क्या है और उसके कौन-कौन से अंग हैं ?
- कार्यालय पत्र का लेखन किस प्रकार किया जाता है ?
- व्यावसायिक पत्र क्या है और उसके कौन-कौन से अंग हैं ?
- व्यावसायिक पत्र का लेखन किस प्रकार किया जाता है ?
- पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए।

5.3 पत्राचार: अर्थ एवं विशेषताएं

पत्राचार मूल रूप से पत्र लेखन है। यह एक कला है और जो इस में निपुण होता है वह सरकारी और व्यावसायिक दोनों प्रकार के पत्र लेखन को कर सकता है। 'पत्राचार' शब्द का निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ है। इसमे एक शब्द है 'पत्र' और दूसरा शब्द है 'आचार'। 'पत्र' एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषण का एक माध्यम है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच संपर्क का एक सूत्र है। इसी का विकसित रूप आप आज ईमेल के रूप में देख रहे हैं। 'आचार' शब्द 'व्यवहार' का प्रकट करता है। लेखन से लिखने का बोध होता है। इस प्रकार 'पत्राचार' उस प्रक्रिया या पद्धति को कह सकते हैं जिसमें पत्र लेखन से लेकर पत्र प्राप्ति निहित है। यह उर्दू में 'खत-किताबत' कहलाता है और अंग्रेजी में इसे 'करेंस्पोंडेंस' कहा जाता है। रघुनंदन प्रसाद शर्मा इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कार्यालयों आदि में सरकार की रीति नीति की व्याख्या और कार्य के संबंध में किसी भी संगठन, संस्था, व्यक्ति आदि को लिखित रूप में जो कुछ भी कहा अथवा बताया जाता है, उसे पत्राचार की संज्ञा दी जाती है। (पृ0-31) सरकारी क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में पत्राचार का विशेष महत्व है क्योंकि वहां लिखित शब्द की सत्ता है न कि उच्चारित शब्द की।

पत्राचार को रोचक, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है-

2. **सरलता, सहजता और रोचकता -** पत्राचार सरल होना चाहिए तभी उसमें रोचकता आएगी। पत्राचार में भाषा सीधी -सादी होनी चाहिए। उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। अतः किसी पत्र के अनुवाद से बचना चाहिए और अनुवाद करके किसी को भी पत्र नहीं भेजना चाहिए। पत्राचार सहज लगे इसके लिए जरूरी है कि उसमें जो कुछ भी व्यक्त किया जाए, वह कार्यालय की रीति, नीति और कार्य के अनुरूप हो। पत्र में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पत्रों की भाषा में बहुज्ञता के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होती। तथ्यों की प्रस्तुति पर विशेष बल रहना चाहिए, चाहे पत्र सरकारी हो या व्यावसायिक।

2. संक्षिप्तता, स्पष्टता और पूर्णता - पत्राचार के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि पत्र में जो कुछ लिखा जाए वह संक्षेप में हो लेकिन अपने में स्पष्ट और पूर्ण हो। ऐसा न हो कि मूल कथ्य ही कमजोर पड़ जाए। मुख्य बात पत्र में अवश्य आ जानी चाहिए। स्पष्टता के लिए आवश्यक है कि पत्र में लिखावट पढ़ने योग्य हो। सबसे अच्छा तो यह है कि पत्र टाइपराटर या कंप्यूटर से टंकित हो। यदि पत्र लंबा लिखना हो तो उसके लिए पर्याप्त समय, सामग्री और धैर्य अपेक्षित है।

5. आकर्षक और सुरुचिपूर्ण - पत्राचार को आकर्षक और सुरुचिपूर्ण भी बनाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि भाषा विषय के अनुकूल हो। शब्द चयन नितांत सटीक और वाक्य छोट-छोटे हों। लंबे वाक्यों के प्रयोग से पत्र लेखक को बचना चाहिए। यदि कोई कठिन शब्द है जो उसका सरल रूप प्रयोग में लाना चाहिए। अनुच्छेद भी छोटे-छोटे और एक ही भाव को व्यक्त करने वाले हों। भाषा-शैली एक विशेष शिष्ट स्वरूप लिए होनी चाहिए जिससे पत्र लेखक की शालीनता का बोध हो सके। यदि मुद्रित पत्र शीर्ष वाले कागज का प्रयोग पत्राचार के लिए किया गया है तो उसकी साज सज्जा आकर्षक और मनोहारी होनी चाहिए। सादे कागज पर लिखा गया पत्र भी अपनी लिखावट की सुंदरता, स्पष्टता, उचित लेखन-शैली, संबोधन, अभिवादन आदि से भी पाठक का ध्यान आकृष्ट कर लेता है।

4. विराम चिह्नों का उचित प्रयोग - इस ओर पत्र लेखक को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसे भाषा और भावों को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। अनावश्यक रूप से विराम, कॉमा, कोष्ठक आदि को लगा देने से कभी अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है और पत्र का उत्तर प्रतिकूल भी मिल सकता है।

5.4 पत्राचार के प्रमुख अंग

पत्राचार की विभिन्न विशेषताओं से आप अवगत हो गए होंगे। अब यह जरूरी है कि आपको पत्राचार के विभिन्न अंगों से भी परिचित करा दिया जाए। पत्राचार के अंगों को सुविधा की दृष्टि से निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है-

2. **शीर्षक** - शीर्षक प्रायः छपा हुआ होता है। इसमें प्रेषक संस्था का नाम, तार का पता और टेलीफोन नंबर होता है। आजकल मोबाइल नंबर और ईमेल भी दिया जाता है।

2. **प्रेषक का पता** - यह पत्र के दाहिनी ओर रहता है। इसमें संस्था का पूरा पता, नगर का नाम, पिन कोड, ई मेल का पता आदि दिया जाता है।

5. **पत्र संख्या** - यह बाईं ओर लिखी जाती है। इससे फाइल में रखने और साथ लगाने में सहयोग मिलता है।

4. **दिनांक** - संदर्भ के लिए दाहिनी ओर लिखा जाता है।

5. **प्राप्तकर्ता** - यह वह व्यक्ति है जिसे पत्र भेजा जा रहा है। इसका पूरा पता ऊपर बाईं ओर दिया जाता है।

6. **विषय** - यह पत्र के भाव का संक्षिप्त रूप होता है। इसका लाभ यह होता है कि प्राप्तकर्ता तुरंत समझ लेता है कि पत्र किस संबंध में है और इससे समय की बचत भी होती है।

7. **संबोधन** - यह अलग-अलग पत्रों में अलग-अलग प्राप्तकर्ता के अनुसार होता है। जैसे- कहीं 'प्रिय महोदय', कहीं 'महोदय,' कहीं 'प्रियवर' और कहीं 'प्रिय श्री'।

8. **प्रारंभ** - पत्र के प्रारंभ में संदर्भ, दिनांक और विषयवस्तु को लिया जाता है।

9. **कलेवर** - यह पत्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसे मूल कथ्य या मुख्य भाग भी कहा जाता है। इसमें प्रेषक प्राप्तकर्ता को बताने वाली और पूछने वाली बातों का अलग-अलग अनुच्छेद में उल्लेख करता है। प्रत्येक अनुच्छेद अपने पूर्व के अनुच्छेद से जुड़ा हुआ होना चाहिए। भाषा स्पष्ट और सहज हो, द्वियर्थक शब्दों का प्रयोग पत्र के कलेवर में न हो। वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिए।

10. **उपसंहार** - इसे समापन भी कहते हैं लेकिन इससे पूर्व धन्यवाद ज्ञापन किया जाना चाहिए।

12. **अधोलेख** - इसे हस्ताक्षर से पूर्व लिखा जाता है, जैसे- भवदीय, आपका, आपका आज्ञाकारी आदि।

12. **हस्ताक्षर** - अधोलेख के बाद प्रेषक के हस्ताक्षर होते है।

15. **प्रेषक का नाम** - इसे हस्ताक्षर के बाद लिखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी हस्ताक्षर सुपाठ्य नहीं होते। अर्ध सरकारी पत्र में इस स्थान पर पदनाम न देकर केवल नाम दिया जाता है। जहां किसी बड़े अधिकारी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति हस्ताक्षर करता है तो वहां कृते, कुलसचिव आदि का प्रयोग किया जाता है।

14. **प्रेषक का पदनाम** - इसे प्रेषक के नाम के बाद लिखा जाता है। (कहीं-कहीं यह नहीं भी दिया जाता है)

2. **संलग्नक** - ये पत्र के साथ लगने वाले कागज होते हैं और इनका उल्लेख बाईं ओर किया जाता है।

इन सभी अंगों को इस रूप में भी समझा जा सकता है-

(1) भारतीय संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

तार : .....
फोन : .....

(2) जे - 25, कंचनजंघा बिल्डिंग,
कनॉट प्लेस पो0 आ0
नई दिल्ली-110001

(3)संख्या..... दिनांक.....

(5) सर्वश्री.....
.....
.....

(6) विषय:

(7) महोदय,

(8) प्रारंभ

(9) कलेवर

(10) समापन

(11) भवदीय

(12) हस्ताक्षर

(13) नाम

(14) पदनाम

(15) संलग्नक

यहां उल्लेखनीय है ये सभी अंग पत्राचार के सभी रूपों में समान रूप से हों यह आवश्यक नहीं है। कई रूपों में अनेक अंग नहीं होते और अनेक रूपों में इनके स्थान बदल जाते हैं। जैसे कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में संबोधन और अधोलेख नहीं होता। पत्र में प्राप्तकर्ता का नाम ऊपर होता है जबकि कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में नीचे होता है। तार और अर्धसरकारी पत्रों में विषय नहीं दिया जाता। कई पत्रों में भवदीय या आपका बाईं ओर रहता है तो कई में दाहिनी ओर। अक्सर दाहिनी ओर ही लिखा जाता है।

5.5 कार्यालयी पत्राचार के विभिन्न रूप

कार्यालयी पत्राचार के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं-

- पत्र
- अर्धसरकारी पत्र
- तार
- त्वरित पत्र
- मितव्यय पत्र/कूट पत्र

- कार्यालय ज्ञापन
- ज्ञापन
- कार्यालय आदेश
- आदेश
- परिपत्र
- अनुस्मारक
- सूचना
- पृष्ठांकन
- विज्ञापन
- निविदा सूचना
- अधिसूचना
- प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट
- अनौपचारिक टिप्पणियां
- आवेदन-पत्र
- अभ्यावेदन
- प्राप्ति सूचना
- संकल्प

2. **पत्र:** इसका प्रयोग विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, निर्वाचन आयोग, सार्वजनिक निकायों आदि से औपचारिक पत्र-व्यवहार के लिए किया जाता है। यही नही जनता और सरकारी कर्मचारियों का संस्थाओं अथवा संगठनों के सदस्यों के साथ भी पत्र-व्यवहार हेतु पत्र का प्रयोग किया जाता है लेकिन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच पत्र-व्यवहार हेतु इसका प्रयोग नहीं होता। पत्रों में संबोधन 'महोदय' के रूप में होता है और पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में 'भवदीय' का प्रयोग होता है।

यहां सरकारी पत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत है-

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन

सेक्टर 15,

नोएडा,

दिनांक.....

संख्या.....

डॉ. चन्द्रप्रकाश मिश्र
38, वृंदावन अपार्टमेंट्स,
प्लॉट नं. 110,
नई दिल्ली-110092

विषय: कार्यशाला में व्याख्यान हेतु निमंत्रण

प्रिय महोदय,

उक्त संदर्भ में कृपया दिनांक.....के पत्र सं. .....का अवलोकन करें। हम अपने कार्यपालकों के लिए 21 मई 2012 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इसके द्वितीय सत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए पधारने के कृपा करें-

समय - 2: 30 बजे विषय - पारिभाषिक शब्दावली

इसके लिए संस्थान के नियम के अनुसार मानदेय देने की भी व्यवस्था है।

धन्यवाद

आपका
द्विजेश उपाध्याय
राजभाषा अधिकारी

पत्र का प्रारंभ करते समय मूल रूप से निम्न प्रकार के वाक्य लिखे जाते हैं-

आपके दिनांक.....के पत्र संख्या.....के प्रसंग में निवेदन है कि पत्र संख्या.....को संबोधित आपके दिनांक.....के पत्र सं0 के उत्तर में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि.....

या

इस कार्यालय के पत्र संख्या.....दिनांक.....के संदर्भ में-की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि.....

या

आज आपके प्रतिनिधि से टेलीफोन/मोबाइल पर बातचीत हुई उसकी पुष्टि में मुझे यह कहना है.....

इस प्रकार के अन्य अनेक रूप हो सकते हैं।

2. **अर्ध सरकारी पत्र:** सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र-व्यवहार में विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अर्ध सरकारी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों में किसी निर्धारित क्रिया-विधि की आवश्यकता नहीं होती। जब अनुस्मारक भेजने पर भी कोई उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता और किसी मामले पर किसी अधिकारी को ध्यान दिलाना हो या आकर्षित करना हो तो वहां अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है। ये पत्र व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी को उसके नाम से लिखे जाते हैं और अंत 'आपका' से होता है। अधिकारी इस पर हस्ताक्षर करते समय उसके नीचे आम तौर पर अपना नाम नहीं लिखते। इसमें विषय नहीं लिखा जाता और पत्र भेजनेवाले अधिकारी का नाम और पदनाम ऊपर बाईं और दिया जाता है और प्राप्त करने वाले का पूरा पता बाईं ओर दिया जाता है। यहां इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है-

..... अ. स. प. स.

संयुक्त सचिव भारत सरकार,

नारकोटिक्स निदेशालय, ग्वालियर

दिनांक

प्रिय श्री.....

दिल्ली और अन्य महानगरों में क्रेंद्रीय स्वास्थ्य योजना लागू है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों को संतोषप्रद चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। मैंने अपने यहां भी यह योजना लागू करने के लिए आपसे वार्ता की थी।

अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे जिला मुख्यालयों में जहां केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या अधिक है, वहां केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू करने पर विचार करें। आप इस संदर्भ में विचारों से अवगत कराएं।

आपका

क ख ग
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य

मंत्रालय,

भारत सरकार

5. तार: ये अत्यंत जरूरी अवसर पर ही भेजे जाते हैं लेकिन आजकल वायरलेस, फैक्स, एस.एम.एस. और इंटरनेट की सुविधा होने के कारण इसकी उपयोगिता कम हो गई है। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाती है और अत्यंत सावधानी रखी जाती है। बात का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट और संक्षिप्त होता है लेकिन संक्षिप्तता के फेर में अटपटी भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए अन्यथा अस्पष्टता आ जाएगी। तार दो प्रकार के होते हैं- शब्दबद्ध तार और बीजंक (कूट भाषा)। जैसे - निदेशक बीस को सुबह कालका मेल से चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं

4. त्वरित पत्र: इन पत्रों की भाषा तार की ही तरह होती है और ये डाक से भेजे जाते हैं। प्राप्त करने वाले को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होती है। इसमें भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के पते विस्तार से नहीं लिखे जाते और न ही विषय लिखा जाता है। इसका संकेत लाल रंग का होता है जो पत्र के ऊपर चिपका दिया जाता है और जिस पर एक्सप्रेस लिखा होता हैं। अब इसका प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। यथा-

प्रेषक: रेलवेज, नई दिल्ली

सेवा में: सी0 सी0 सी0, मुगलसराय,

नई दिल्ली, दिनांक.....

सं0.....विगत मास हुई रेल दुर्घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा आपसे अभी भी अपेक्षित (,) मामला (,) कृपया तुरंत भिजवाएं (,) यदि कोई विशेष ब्यौरा नहीं मिल पाया हो तो उसकी सूचना भी तुरंत दीजिए (,)

संजीव कुमार

सिंह

उप निदेशक,

रेलवे बोर्ड

5. मितव्यय पत्र/कूट पत्र: जब विदेशों में स्थित अपने दूतावासों तथा अन्य कार्यालयों से पत्राचार करते समय कोई गुप्त बात कहनी हो जिसे कूटभाषा में लिखना आवश्यक हो तो त्वरित पत्र के स्थान पर मितव्यय पत्र/कूट पत्र भेजा जाता है। इसे साइफर तार की तरह कूट भाषा में लिखकर राजनयिक थैले या रजिस्ट्री बीमा द्वारा भेजा जाता है। इसके द्वारा समुद्री तार का व्यय बचाया जाता है इसलिए इसे मितव्यय पत्र की संज्ञा दी गई है।

6. कार्यालय ज्ञापन: इनका प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आपसी पत्राचार हेतु किया जाता है। इसे अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है और संख्या सबसे ऊपर रहती है। इसमें संबोधन (महोदय, आदि) और अधोलेख (भवदीय, आदि) नहीं होता है। केवल लिखने वाले का पदनाम और हस्ताक्षर होते हैं। कार्यालय ज्ञापन जिस मंत्रालय को भेजा जाता है, उसका नाम हस्ताक्षर के नीचे पृष्ठ के बिल्कुल बाईं ओर लिखा जाता है।

संख्या.....

भारत सरकार

..... मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक.....

विषय: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राजभाषा हिंदी को उचित स्थान देना

विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनेक विषयों की पढ़ाई हिंदी माध्यम में होती है लेकिन अनेक विभाग इस संबंध में उपेक्षित दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राजभाषा हिंदी को उचित स्थान दिया जाए। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है

कि विवरणिकाएं, वार्षिक विवरण आदि हिंदी में मुद्रित की जाएं। इन सभी बिंदुओं को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई जाए जो विश्वविद्यालयों में हिंदी के प्रयोग के कार्यान्वयन में सहयोग कर सके।

हस्ताक्षर

क ख ग

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

कुलपति, विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालय

प्रतिलिपि जानकारी के लिए मंत्री, केंद्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली को प्रेषित।

हस्ताक्षर

क ख ग

अवर सचिव, भारत सरकार

7. **ज्ञापन:** ज्ञापन का प्रयोग छुट्टी की स्वीकृति/अस्वीकृति, विलंब से आने के कारण, प्रार्थियों को नौकरी आदि के संबंध में जानकारी देने के लिए किया जाता है। यह सरकारी आदेश के समान नहीं होते और अन्य पुरुष में इन्हें लिखा जाता है और न ही इसमें संबोधन होता है और न अधोलेख, केवल अधिकारी का हस्ताक्षर और उसका पदनाम होता है। पाने वाले का नाम और या पदनाम हस्ताक्षर के नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। इसके विपरीत अंतरकार्यालय ज्ञापन का प्रयोग सरकारी उपक्रमों में एक विभाग/कार्यालय को सूचना के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। ये भारत सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों में नहीं लिखे जाते। यथा-

विषय: छुट्टी की स्वीकृति

श्री.....जो कि इस समय उपकुलसचिव के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं किंतु मूलतः वे.....मंत्रालय के हैं, के दिनांक.....के आवेदन के संदर्भ में और दिल्ली विश्वविद्यालय के

दिनांक.....के ज्ञापन से आगे श्री.....को निम्न रूप में छुट्टी में वृद्धि स्वीकार की जाती है-

2. असाधारण छुट्टी.....दिन,.....से.....तक

2. अर्जित छुट्टी.....दिन,.....से.....तक

श्री.....को छुट्टी के पहले.....और बाद में.....जोड़ने की भी अनुमति दी गई है/थी।

अवर सचिव,
भारत सरकार

सेवा में,
श्री.....
द्वारा .....
प्रतिलिपि
2.

2.

कृते अवर सचिव, भारत सरकार

8. कार्यालय आदेश: इसका प्रयोग मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों में स्थानीय प्रयोजनो के लिए होता है। अनुभागों या अधिकारियों के बीच कार्य-विभाजन, कर्मचारियों की तैनाती, स्थानांतरण, छुट्टी, पदोन्नति आदि विषयों पर 'कार्यालय आदेश' के रूप में आदेश प्रसारित किए जाते हैं। कार्यालय आदेश के ऊपर संख्या, सरकार और मंत्रालय/कार्यालय का नाम अंकित रहता है। उसके बीचोंबीच कार्यालय आदेश और साथ संख्या लिखी जाती है। नीचे

दाहिनी ओर आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पद नाम होता है। इसका लेखन भी अन्य पुरुष में किया जाता है। उदाहरणार्थ-

भारत सरकार
.....मंत्रालय

.....आयोग, नई दिल्ली.

दिनांक.....

कार्यालय आदेश संख्या.....

.....पर छात्रवृत्ति से संबंधित सभी कार्य.....आयोग में संयुक्त निदेशक (छा0 क0) देख रहे थे। कार्य की अधिकता के कारण उपनिदेशक (छा0क0) का एक नया पद सृजित किया गया है। उस पद पर श्री.....ने कार्यभार संभाल लिया है। अब छात्रवृत्ति से संबंधित कार्य उक्त दोनों अधिकारियों में निम्नलिखित रूप में आवंटित किया गया है-

संयुक्त निदेशक (छा0 क0)	उप निदेशक (छा0 क0)
2.	2.
2.	2.
5.	5.

9. आदेश: इस प्रकार के पत्रों के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्यालयों, विभागों आदि में नए पदो के सृजन, कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी, प्रशासनिक मामलों में की गई कार्रवाई की सूचना, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि की जानकारी दी जाती है। यथा-

संख्या.....

भारत सरकार

विभाग..... नई दिल्ली,

दिनांक.....

दिनांक..... के आदेश संख्या.....की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया हे कि सभी कार्य दिवसों में मध्यांतर दोपहर बाद 2.30 से 2.00 बजे तक होगा। सभी कर्मचारियों को यह सूचित किया जाता है कि वे मध्यांतर की अवधि 30 मिनट तक सीमित रखे और 2 बजे आकर अपना कार्य शुरू कर दें।

क ख ग

अवर सचिव, भारत

सरकार

10. परिपत्र: परिपत्र उन पत्रों, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, सूचनाएं, आदेश आदि को कहा जाता है जिनकी जानकारी अनेक स्थानों को देनी पड़ती है या जिनके आधार पर अनेक स्थानों से जानकारी मंगानी होती है। इन पत्रों को एक साथ अनेक स्थानों पर भेजा जाता है। परिपत्र में सबसे ऊपर दाई ओर संख्या होती है और शेष स्वरूप वही रहता है जिस रूप (पत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन आदि) में वे जारी होते हैं। सरकारी पत्र और परिपत्र में मुख्य अंतर यह है कि सरकारी पत्र में जो भवदीय/भवदीया/आपका जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वह प्रयोग परिपत्र में नहीं किया जाता। यह अन्य पुरुष के रूप में लिखा जाता है। इसमें संख्या, स्थान, दिनांक आदि सरकारी पत्र की भांति होता है। इसे 'गश्ती पत्र' भी कहा जाता है। यहां परिपत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत है-

क्रमांक.....

दिल्ली सरकार

.....विभाग, नई दिल्ली.....

पिछले कुछ दिनों से यह देखा गया है कि कॉलेजों में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। कमरों और बरामदों में जगह-जगह गंदगी है और मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। समिति ने विभिन्न कॉलेजों के निरीक्षण में इसे अत्यंत आपत्तिजनक माना है। अतः सभी सफाई कर्मचारियों को इस परिपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उनके कार्य में भविष्य में कोई कमी पाई गई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मदन मोहन

जोशी

सचिव,

शिक्षा

मंत्रालय

दिल्ली

सरकार

12. अनुस्मारक: अनुस्मारक किसी पूर्व पत्र या अन्य किसी रूप (कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, तार आदि) को किसी को स्मरण कराने के लिए भेजा जाता है। इसीलिए इसका अपना कोई रूप नहीं होता। यदि एक ही विषय पर एक से अधिक बार अनुस्मारक भेजा जाता है तो सबसे ऊपर दाईं ओर लिख दिया जाता है कि 'दूसरा अनुस्मारक', 'तीसरा अनुस्मारक।' इससे पत्र पढ़ने का ध्यान तत्काल उस पर जाता है। जैसे-

संख्या.....
भारत सरकार
.....विभाग, नई दिल्ली

दिनांक.....
विषय: .....

महोदय,

श्रम मंत्रालय के.....दिनांक.....के संबंध में यह पूछने का निर्देश हुआ है कि उक्त विषय संबंधी आपका अभिमत अभी तक नहीं मिला है। वह आप कब तक भेजेंगे ?

आपका

विश्वासपात्र

सचिव,भारत

सरकार

12. नोटिस: इसे सूचना भी कहते हैं। इसके द्वारा किसी वर्ग विशेष/सर्व साधारण को जानकारी दी जाती है जो देने योग्य होती है और इसे नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। इसे परिपत्र की तरह सभी अनुभागों में भेजा भी जाता है और कुछ मामलों में (कोर्ट आदि से संबंधित नोटिस) डाक से प्रेषित किया जाता है। उदाहरणार्थ-

संख्या.....
भारत सरकार
.....विभाग नई दिल्ली,
दिनांक.....

यह देखा गया है कि चतुर्थ श्रेणी के अनेक कर्मचारी, जिन्हें वर्दी प्रदान की गई है वे बिना वर्दी पहने कार्यालय में आते हैं। सभी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो भी प्रदान की गई वर्दी के बिना कार्यालय में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और लगातार ऐसा करने वालों को नौकरी से निकाला भी जा सकता है। सभी को अपनी वर्दी साफ रखनी चाहिए।

क ख ग
अवरसचिव,
भारत सरकार

15. पृष्ठांकन: जब कोई कागज मूल रूप में भेजने वाले को ही लौटाना हो या किसी और मंत्रालय या संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय को सूचना, टीका-टिप्पणी या निपटाने के लिए मूल पत्र या उसकी नकल के रूप में भेजना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। पृष्ठांकन में औपचारिक संबोधन, उपसंहार और समापन नहीं होता। इसमें अत्यधिक संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे-

-को मूल रूप में प्रेषित

-को उनके पत्र संख्या-दिनांक-के संबंध में प्रेषित

-को सूचनार्थ व उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित

-को आवश्यक जांच के लिए प्रेषित

-को इस अनुदेश के साथ प्रेषित कि-

उदाहरण

संख्या.....
भारत सरकार
नारकोटिक्स विभाग,
नई दिल्ली, दिनांक.....

.....को आयोजित किए गए विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मेलन के शुभ अवसर पर नारकोटिक्स विभाग द्वारा निकाली जा रही विवरणिका की प्रति अवलोकन हेतु भेजी जा रही है।

क ख ग
अवर सचिव

सेवा में .....
.....

14. विज्ञापन: इसका अर्थ होता है विशेष रूप से सूचना देना। विभिन्न कार्यालय अनेक प्रकार के विज्ञापन निकालते हैं जो नौकरी से संबंधित भी होते हैं, नीलामी से भी संबंधित भी होते है और कार्यालय के स्थान और समय के परिवर्तन आदि से भी संबंधित भी होते हैं।

2. निविदा सूचना: इस प्रकार के पत्रों में सरकार की ओर से सामान खरीदने, निर्माण कार्य को पूरा करने या किसी कार्य को करने के लिए निविदा सूचनाएं जारी की जाती हैं। इसमें जो भी कार्य किया जाना है उसका पूरा विवरण दिया जाता है। इसका एक उदाहरण यहां प्रस्तुत है-

दिल्ली नगर निगम
निविदा सूचना नं0 3, सन् 2011-2012
शास्त्री नगर, दिल्ली-110052 में ए ब्लॉक की 5 गलियों पर सीमेंट की सड़क बनाने हेतु दिल्ली नगर निगम द्वारा योग्य वर्ग में पंजीकृत ठेकेदारों की ओर से निर्धारित प्रपत्रों में निविदाएं आमंत्रित करता है। प्रपत्र दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल से 17-05-2011 से 16-06-2011 तक प्राप्त किए

जा सकते हैं। भरे हुए मोहरबंद निविदा प्रपत्र, दिल्ली नगर निगम, टाउन हाल में दिनांक 30-06-2011 को शाम 4.00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।

निविदा राशि.....

अनुमानित राशि.....

धरोहर राशि.....

पूरा करने का समय.....

अधिशासी अभियंता

(परियोजना)

5. अधिसूचना: नियमों और प्रशासनिक आदेशों की घोषणा, शक्तियों का सौंपा जाना, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, छुट्टी, तरक्की आदि का भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश, अधिनियम, स्वीकृत विधेयक तथा संकटकालीन घोषणाएं भी अधिसूचित की जाती है। कभी-कभी यदि अधिसूचना बहुत महत्वपूर्ण है तो 'असाधारण राजपत्र' भी प्रकाशित किया जाता है। उदाहरणार्थ-

संख्या.....

दिल्ली प्रशासन
नई दिल्ली

दिनांक.....

अधिसूचना

भूकंप आपदा प्रबंधन से संबंधित निदेशक श्री.....ने अपने वर्तमान पद का कार्यभार दिनांक.....के पूर्वाह्न से संभाला।

आदेश से

योगेश मिश्रा
अवर सचिव,
दिल्ली

प्रशासन
प्रतिलिपि निम्नलिखित के सूचनार्थ प्रेषित
-सचिव

-मुख्य अभियंता

-राजपत्र में प्रकाशनार्थ

4. प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट:सरकार के किसी निर्णय अथवा महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका बहुत अधिक प्रचार करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट जारी किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति प्रेस नोट की अपेक्षा अधिक औपचारिक होती है इसलिए उसे यथावत छापा जाता है। इसमें कोई हेर-फेर नहीं हो सकता जबकि प्रेस नोट को आवश्यकता के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। यथा-

(सोमवार.....को प्रातः.....बजे से पूर्व प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए)

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच कूटनीतिक संबंध

भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार आपस में इस बात पर पूर्ण रूप से सहमत हो गई हैं कि दोनों देशों में फिर से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाएं। दोनों देश इस बात पर भी सहमत है कि किसी भी आतंकी गतिविधि को स्वीकार न किया जाए और पाकिस्तान किसी भी स्थिति में अपनी भूमि का उपयोग भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधि होने के लिए प्रयोग नहीं करने देगा। पाकिस्तान के इस वचन को भारत सरकार ने सराहा। मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस

सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली को इस प्रेस विज्ञप्ति को जारी करने तथा इसे विस्तृत रूप से प्रसारित करने हेतु प्रेषित।

ह.....

(.....)

संयुक्त सचिव,

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय,

नई दिल्ली,

दिनांक.....

5. अनौपचारिक टिप्पणियां: किसी मंत्रालय या मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के बीच प्रस्ताव पर अन्य मंत्रालयों के विचार, टीका-टिप्पणी आदि प्राप्त करने के लिए, मौजूदा अनुदेशों के बारे में स्पष्टीकरण आदि कराने के लिए या कोई सूचना या कागज-पत्र मंगवाने के लिए पत्राचार के इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। इसे अशासनिक ज्ञापन भी कहा जाता है। इसमें संबोधन या अंत में किसी प्रकार के आदरसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता तथा संख्या और दिनांक प्राप्त करने वाले मंत्रालय/विभाग के नीचे रेखा खींचकर दी जाती है। इसे दो रूपों में भेजा जाता है। इसे या तो मिसिल पर अपनी टिप्पणी लिखकर उसी को मंत्रालय/कार्यालय को भेजा जाता है या एक नोट शीट पर टिप्पणी लिखकर तथा टंकित कराकर भेजा जाता है जो अपने आपमें पूर्ण होती है। इसमें न तो कोई संख्या डाली जाती है और न संबोधन होता है और न कोई आदरसूचक शब्द। केवल पदनाम के साथ हस्ताक्षर कर दिया जाता है और जहां भेजना है, उसका नाम व पता होता है। सेवा में नहीं लिखा जाता। सबसे नीचे एक रेखा खींचकर भेजने वाले मंत्रालय/कार्यालय का नाम पता, संख्या और दिनांक अंकित किया जाता है। जैसे-

रेल मंत्रालय

विषय: हल्द्वानी में रेलवे कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र के लिए स्थान

हल्द्वानी में रेलवे ने पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र खोलने का निश्चय किया है। इसके लिए वहां कोई सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है। इससे पूर्व कि मामले पर अंतिम निर्णय किया जाए, निर्माण और आवास मंत्रालय देखे और यह बताने की कृपा करें कि क्या नए आरक्षण क्रेंद्र खोलने के लिए प्रस्तावित स्थान का किराया उपयुक्त है।

क ख ग

अवर सचिव

निर्माण तथा

आवास मंत्रालय

रेल मंत्रालय अ0 ट0 सं0.....

दिनांक.....

20. आवेदन पत्र: ये नौकरी आदि के संबंध में भी होते हैं और कार्यालय में कार्यवाही (छुट्टी, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, अग्रिम राशि, आवास आवंटन आदि) से भी संबंधित होते हैं। इनकी विविधता समय और विषय के अनुसार निर्भर करती है।

सेवा में,

प्राचार्य,

हिंदू कॉलेज,

दिल्ली

महोदय,

निवेदन है कि अस्वस्थ होने के कारण मैं कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे 2 दिन का आकस्मिक अवकाश देकर अनुगृहीत करें।

सधन्यवाद

दिनांक..... भवदीय

हस्ताक्षर

.....

नाम

.....

पदनाम .....

22. अभ्यावेदन: यह भी आवेदन पत्र का एक ही रूप है। इसे प्रार्थी अपने प्रति हो रहे दुर्व्यवहार, अनाचार, अत्याचार आदि को दूर कराने हेतु प्रशासन, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आदि को लिखता है। इसमें करुणा और दया पैदा करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

निवेदन है कि कार्यालय आदेश संख्या.....दिनांक.....द्वारा मेरी पदोन्नति वरिष्ठ हिंदी व्याख्याता के रूप में की गई थी लेकिन अभी तक पदोन्नति के उपरांत (1 वर्ष बीतने पर भी) मुझे वेतन संबंधी लाभ नहीं दिया गया है। अनुरोध है कि मेरे पदानुसार मेरा वेतन शीघ्र नियत किया जाए और बकाया भुगतान का भी आदेश दिया जाए।

सधन्यवाद

भवदीय

क ख ग

22. प्राप्ति सूचना: इस प्रकार के पत्रों में पत्र या कार्यालय ज्ञापन भेजने वाले कार्यालय इस बात का उल्लेख कर देते हैं कि इसकी प्राप्ति स्वीकार करें। ऐसी स्थिति में प्राप्त करने वाले कार्यालय को लिखित रूप में पत्र की प्राप्ति की सूचना देनी होती है। उदाहरण के लिए-

संख्या.....

भारत

सरकार

.....विभाग

नई दिल्ली,

दिनांक.....

विषय: .....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक.....के पत्र संख्या.....की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

भवदीय
क ख ग
कृते अवर सचिव,
भारत सरकार

25. संकल्प: यह सरकारी पत्राचार का एक ऐसा रूप है जिसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। ये परिस्थितियां निम्नांकित हो सकती हैं-

-जब सरकार नीति संबंधी किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर सार्वजनिक घोषणा करती है।

-जांच आयोग/समिति के प्रतिवेदनों पर कोई घोषणा करनी होती है।

-जब किसी जांच आयोग/समिति की घोषणा की जाती है और उसके क्षेत्राधिकार व शक्तियों का उल्लेख किया जाता है।

यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है और राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावना (पृष्ठभूमि), संकल्प (रूपरेखा), आदेश और आवश्यक निर्देश (जिनको इसकी प्रति भेजनी है) इसके चार अंग होते हैं। इसमें संबोधन, अधोलेख का स्थान नहीं होता।

5.6 व्यावसायिक पत्र के अर्थ और प्रकार

अब तक आप कार्यालयी पत्राचार के स्वरूप और उदाहरणों से परिचित हो गए होंगे । अब आपको व्यावसायिक पत्राचार के बारे में भी समझाना आवश्यक है क्योंकि आज के समय में व्यवसाय चलाने के लिए इन पत्रों की विशेष उपयोगिता है। व्यावसायिक पत्र वे होते हैं जो कोई

व्यक्ति, कंपनी या संस्था अपने व्यवहार हेतु प्रयोग करते हैं। इन पत्रों को अनेक वर्गो में बांटा जा सकता है, जैसे-

2. बैंक पत्र

2. निविदा पत्र

5. बीमा पत्र

4. मूल्य सूची मांगने के लिए पत्र

5. दर जानने के लिए पत्र

6. क्रयादेश संबंधी पत्र

7. भुगतान संबंधी पत्र

8. विक्रय प्रस्ताव संबंधी पत्र

9. एजेंसी लेन-देन से संबंधित पत्र

10. व्यापारिक संदर्भ संबंधी पत्र

12. वस्तु विशेष का नमूना मंगाने संबंधी पत्र आदि।

5.7 व्यावसायिक पत्र के अंग

व्यावसायिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं-

2. मुद्रित शीर्ष (संस्था या संस्थान का)

   तार पता

   दूरभाष संख्या/फैक्स नं0/ईमेल का पता

   कूट संकेत (कोड)

   पूरा पता

2. दिनांक

5. पत्र संख्या

4. प्राप्तकर्ता का नाम (संस्था/संस्थान का नाम-पता सहित)

5. संदर्भ

6. औपचारिक संबोधन

7. आरंभिक वाक्य

8. कथ्य विषयवस्तु

9. अंतिम अनुशंसात्मक वाक्य

10. प्रेषक या उसके स्थानापन्न व्यक्ति के हस्ताक्षर

12. पद-स्वामी, प्रबंधक आदि

12. संलग्न पत्र या अन्य सामग्री आदि का निर्देश (यदि है तो)

15. पुनश्च (यदि आवश्यक हो)

यहां विषय की समझ को विकसित करने के लिए आपके सामने व्यावसायिक पत्राचार के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं

एजेंसी की प्राप्ति के लिए पत्र

महेंद्र कुमार दिनेश कुमार
इलेक्टॉनिक उत्पादों के थोक व्यापारी,
2331, लक्ष्मी नगर
दिल्ली-110054

दिनांक - 15 मई 2012

पत्र संख्या - एजेंसी 235/क/2012

सेवा में,
व्यवसाय प्रबंधक,
वीडियोकॉन बंगलौर
विषय: वीडियोकॉन के उत्पादों की एजेंसी
प्रिय महोदय,

हम आपके द्वारा दिए गए विज्ञापन के संदर्भ में वीडियोकॉन के इलेक्टॉनिक उत्पादों की एजेंसी लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं। हम पिछले 5 वर्षों से इलेक्टॉनिक उत्पादों के व्यापारी हैं। इस समय हमारे पास सैमसंग और ओनिडा की एजेंसियां हैं। आप हमारी कार्य-कुशलता और साख के संबंध में इन संस्थानों से पूछताछ कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पास आपकी एजेंसी होने से आपके व्यापार में पर्याप्त बढ़ोत्तरी होगी। एजेंसी लेने हेतु जो आपकी शर्तें हैं वे सभी हमें स्वीकार हैं और हमारे पास आपके उत्पादों की प्रदर्शनी हेतु पर्याप्त स्थान है। हमारे आसपास किसी व्यापारी के पास वीडियोकॉन की एजेंसी नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप हमें अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें।

सधन्यवाद,

भवदीय

आशुतोष शुक्ला

प्रबंधक,

नवरंग इलेक्टॉनिक्स,
दिल्ली - 26457894

एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत है जो बीमा के संबंध में है।

प्रेषक: उर्वी मिश्र

3/45 बी,

सदर,

मथुरा (उ0 प्र0)

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

जीवन बीमा निगम,

मथुरा शाखा

उ0 प्र0

संदर्भ: जीवन बीमा पॉलिसी संख्या 02353644

महोदय,

निवेदन है कि मेरी जीवन बीमा पॉलिसी (संख्या 02354644) गत वर्ष दिसंबर में पूर्ण (मैच्योर) हो चुकी है। मैंने अप्रैल 1990 में 50 हजार रुपए की 20 वर्षों के लिए मनी बैक पॉलिसी कराई थी। इस दौरान मैं अपने बीमा की वार्षिक किश्तें नियमित रूप से जमा करती रही हूं जिसकी सभी रसीदें मेरे पास हैं। अतिंम किस्त दिसंबर 1990 में जमा कराई गई थी। अंतिम किश्त जमा करने के बाद भी एक वर्ष बीत चुका है।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि मेरी पॉलिसी की पूरी रकम, लाभांश और ब्याज सहित यथाशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।

धन्यवाद

दिनांक

भवदीय

15 मई, 2012 उर्वी मिश्र

संलग्नक:

2. जीवन बीमा पॉलिसी संख्या 02354644

2. उपर्युक्त पॉलिसी की अंतिम किश्त की रसीद

5.8 सारांश

पत्राचार की इस इकाई में पत्राचार की परिभाषा पर विचार किया गया है। पत्राचार जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। कार्यालय और व्यवसाय में तो इसकी सर्वाधिक उपयोगिता है हालांकि आज ई-मेल और फैक्स की सुविधा भी प्राप्त है। 'पत्राचार' एक प्रक्रिया या पद्धति है जिसमें पत्र लेखन से लेकर पत्र प्राप्ति निहित है। यह उर्दू में 'खत-किताबत' कहलाता है और अंग्रेजी में इसे 'करेंस्पोंडेंस' कहा जाता है। वास्तव में कार्यालयों आदि में सरकार की रीति नीति की व्याख्या और कार्य के संबंध में किसी भी संगठन, संस्था, व्यक्ति आदि को लिखित रूप में जो कुछ भी कहा अथवा बताया जाता है, वह सब पत्राचार की कोटि में आता है। पत्राचार सरल, सहज और स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता पत्राचार का अनिवार्य गुण है लेकिन उसे अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। पत्र आकर्षक और सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। उसमें रोचकता होना चाहिए और यथास्थान विराम चिह्नों का सटीक प्रयोग होना चाहिए ।मूल रूप से यहां कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र और उनके अंगों तथा लेखन-पद्धति पर पर विचार किया गया है। प्रेषक, प्राप्तकर्ता, विषय, दिनांक, संदर्भ, कलेवर, अधोलेख, पदनाम, हस्ताक्षर, संबोधन, समापन आदि पत्राचार के मुख्य अंग है जिनसे आप पूर्व लिखित वर्णन में भली भांति अवगत हो गए होंगे। पत्राचार की भाषा भी शालीन, स्पष्ट, छोटे-छोटे वाक्यों वाली होनी चाहिए। सभी अनुच्छेद परस्पर संबद्ध होने चाहिए।

5.9 शब्दावली

उच्चरित	-	बोला हुआ
बहुज्ञता	-	बहुत अधिक जानने का भाव
मनोहारी	-	मन को हरने वाला
शालीनता	-	स्वभाव का अच्छापन , सज्जनता
प्रतिकूल	-	उलटा , विपरीत
ब्यौरा	-	विवरण
सृजित	-	निर्माण करना

5.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

- रधुनंदनप्रसाद शर्मा, (1992) प्रयोजनमूलक हिंदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
- गिरधर रावत, (2011), कार्यालयीन हिंदी, आशा बुक्स, ई-1/265, सोनिया विहार, दिल्ली
- कैलाशचंद्र भाटिया, (2005), प्रयोजनमूलक हिंदी: प्रक्रिया और स्वरूप, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली

5.11 उपयोगी पाठ्य सामग्री

- प्रयोजनमूलक हिंदी, प्रो. सूर्यप्रसाद दीक्षित व डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह
- प्रयोजनमूलक भाषा और कार्यालयी हिंदी, डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी
- प्रयोजनमूलक हिंदी, डॉ. दंगल झाल्टे
- कार्यालयीन हिंदी, डॉ. केशरीलाल वर्मा
- प्रयोजनमूलक हिंदी, डॉ. राकेश कुमार पाराशर

5.12 निबंधात्मक प्रश्न

1 . पत्राचार क्या है? स्पष्ट कीजिए तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं एवं पत्राचार के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालिए .

2 . व्यावसायिक एवं कार्यालयी पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं ? विस्तार से समझाएँ

इकाई 6 भारतीय संविधान एवं हिन्दी

इकाई की रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना
6.2 पाठ का उद्देश्य
6.3 भारतीय संविधान एवं हिन्दी
6.6.1 संविधान और हिन्दी
6.6.2 राजभाषा अधिनियम
6.4 राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का प्रश्न
6.5 साराश
6.6 शब्दावली
6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
6.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
6.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
6.10 निबंधात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यात मिली है। अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा है। भारतीय भाषाओं में राजभाषा बदलती रही। किसी भी युग में राजभाषा का गौरव उस युग की समृद्ध भाषा को मिलता रहा है। हांलाकि समृद्धता का कोई वस्तुगत मापदण्ड नहीं है। कई बार राजनीतिक-धार्मिक कारणों से भी किसी भाषा को राजभाषा बना दिया जाता है। मुगल काल में फारसी भारत की राजभाषा थी, लेकिन फारसी संपूर्ण देश के निवासियों की भाषा नहीं थी। इस प्रकार राजभाषा बनने के कई कारक होते हैं। भारत की राजभाषा पहले संस्कृत थी, फिर बौद्ध शासन काल में पालि हुई, उकसे बाद प्राकृत....। क्रमशः फारसी और अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी। लम्बे संघर्ष के पश्चात हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली। लेकिन हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने संबंधी प्रावधान इतने सीधे नहीं थे। दक्षिण भारतीय राज्यों के बिरोध के कारण उसे 15 वर्षों तक और फिर 1976 के अधिनियम के अनुसार

'क', 'ख', एवं 'ग' क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया हे। इस प्रकार संवधिान में हिन्दी का स्थान महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसे व्यावहारिक स्तर पर लागू नहीं किया जा सका है।

इसी प्रकार राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा का प्रश्न भी है राजकाज की भाषा के रूप में हिन्दी भारत की राजभाषा है, लेकिन सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिन्दी राष्ट्रभाषा। इस दृष्टि से भारत की अन्य समृद्ध भाषाएँ भी राष्ट्रभाषाएँ हैं।

6.2 उद्देश्य

भारतीय संविधान एवं हिन्दी शीर्षक इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

- हिन्दी भाषा की संवैधानिक स्थिति को समझ सकेंगे।
- संविधान में हिन्दी की स्थिति को जान सकेंगे
- विभिन्न राजभाषा अधिनियमों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- संविधान के अंतर्गत भाषा-विभाजन (क्षेत्र विभाजन) को समझ सकेंगे।
- राजभाष एवं राष्ट्रभाषा के अंतर को समझ सकेंगे।
- राजभाषा से संबंधित पारिभाषिक शब्दसवलियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

6.3 भारतीय संविधान एवं हिन्दी

भारतीय संविधान में भाषा संबंधित 11 अनुच्छेद हैं। संविधान के 18 भागों में, भाग 17 भाषा संबंधी व्यवस्था पर आधारित है। यहाँ हम संविधान में हिन्दी का क्या स्थान है, इस विषय का अध्ययन करेंगे।

6.6.1 संविधान और हिन्दी

संघ की राजभाषा-

1. अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और इसकी लिपि देवनागरी होगी।

2. खंड 1 में इस बात का संकेत है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता रहेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा-

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

6.6.2 राजभाषा अधिनियम

अध्याय 2 - प्रादेशिक भाषाएँ

346. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ- अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में स्वीकार/अंगीकार कर सकेगा।

परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा।

344. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की राजभाषा- संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी।

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा केा भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

I. उस भाषा के बोलने वालों की पर्याप्त संख्या हो,

II. वे माँग करे कि उनकी भाषा को मान्यात दी जाए।

संविधान के भाग 17 के अध्याय 3 के दो अनुच्छेदों-अनुच्छेद 348 तथा 349 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा के सवाल पर विचार किया गया है।

इस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में करने का प्रावधान है।

अनुच्छेद 344 (1) और 351 अष्टम सूची से संबंधित है। अष्टम अनुसूची की भाषाएँ हैं-

1. असमिया
2. उड़िया
3. उर्दू

4. कन्नड़
6. कश्मीरी
6. गुजराती
7. तमिल
8. तेलुगु
9. पंजाबी
10. बांग्ला
16. मराठी
14. मलयालम
16. संस्कृत
14. सिंधी
16. हिन्दी।

संविधान के भाग 17 के अंतिम परिच्छेद (अनुच्छेद 351) 'हिन्दी भाषा के विकास के निर्देष' से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची मे विर्निदिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ मुखतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। इस अनुच्छेद के निम्नलिखित तथ्य हैं-

I. संघ का पहला दायित्व है कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए।
II. संघ का यह दायित्व होगा कि वह हिन्दी का विकास इस रूप में करे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
III. संघ का यह दायित्व होगा कि वह हिन्दी की समृद्धि सुनिश्चित करें।

राजभाषा आयोग और राष्ट्रपति आदेश

संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के अनुसार राष्ट्रपति ने 27 मई 1952 को आदेश जारी किया जिसमें राज्यपालों और उच्चतक तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्र में अंग्रजी के साथ हिन्दी के प्रयोग को भी लागू किया जाये।

3 दिसम्बर, 1955 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग को भी लागम किया जाये-

I. जनता से व्यवहार
II. प्रशासनिक रिपोर्टे, सरकारी पत्रिकाएँ तथा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट
III. सरकारी संकल्प एवं विधायी अधिनियम।
IV. राजभाषा हिन्दी वाले प्रदेशों के साथ पत्र व्यवहार में
V. संधियों और करार
VI. अन्य देशों की सरकारों, राजदूतों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार
VII. राजनयिक और कांसल के पदाधिकारयिों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किये जाने वाले औपचारिक दस्तावेज।

राजभाषा अधिनियम (1963)

यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963

(1963 का अधिनियम स0 19)

(10 मई, 1963)

उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों , संसद कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदवे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

6. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

2) धारा3, जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्दीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिनन तारीखें नियत की सकेंगी।

4. परिभाषाएँ :

इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''नियत दिन'' से, धारा 3 के सम्बन्ध में , जनवरी, 1965 का 26वाँ दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के सम्बन्ध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबन्ध प्रवृत्त होत है;

(ख) ''हिन्दी'' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

6. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना।

(1) संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही-

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लायी जाती थी; तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए; प्रयोग में लायी जाती रह सकेगीः

परन्तु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः

राजभाषा नियम 1976

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं. 11011/1/73-रा.भा. (1) दिनांक 28-6-76 की प्रतिलिपि सा.का.नि. - राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए केंन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्ः

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 है।

3. इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

4. से राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2) परिभाएँ - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्याथा अपेक्षित न होः

क) ''अधिनियम'' से राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) अभ्रिपेत हैः

ख) ''केन्द्रीय सरकार के कार्यालय'' के अंतर्गत निम्नलिखित भी है अर्थात्ः

I. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रायल, विभाग या कार्यालय

II. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और

III. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी नियम या कंपनी का कोई कार्यालय;

ग) ''कर्मचारी'' से केंन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

घ) ''अधिसूचित कार्यालय'' से नियम 10 के उपनियम 4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है;

ङ) ''हिन्दी में प्रवीणता'' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

च) ''क्षेत्र के'' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रेदश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

छ) ''क्षेत्र ख'' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं चंडीगढ़ संघ राज्य अभिप्रेत है;

ज) ''क्षेत्र ग'' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

झ) ''हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान'' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है।

राज्यों आदि और केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-1

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

2) केंन्द्रीय सरकार के कार्यालय से-

क) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि मामूली तौर पर हिन्दी और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा। परन्तु यदि कोई राज्य या संघ राज्यक्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के साथ पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएँ और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएँगे।

ख) क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

4) उपनियम1) और 2) में किसी बात के होत हुए भी क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख़' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालय न हों) या व्यक्ति की पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

5) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि

क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाएँ और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों का ध्यान रखते हुए समय पर अवधारित करें;

ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केंन्द्रीय सरकार के एसे कार्यालयों के बीच जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालय से भिन्न है पत्रादि हिन्दी में होंगे;

घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या क्षेत्र 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

ङ) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते है :

परन्तु जहाँ ऐसे पत्रादि-

I. 'क' क्षेत्र के किसी कार्यालय को संबोधित हों वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

II. क्षे 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहाँ उनका दूसरी भाषा में अनुवाद उनके साथ भेजा जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

5) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर - नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएँगे।

6) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग -अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और

ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किये जाते हैं, निष्पादित किये जाते है और जारी किए जाते हैं।

7) आवेदन, अभ्यावेदन, आदि-1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

2) जब उपनियम 1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है सेवा संबंधी विषयों (जिसके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियाँ भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है यथास्थिति हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक् विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8) केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना - 1) कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या मसौदा हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उसे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

2) केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकत ाहै, जब वह दस्तावेज़ विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

4) उपनियम 1) में किसी बात के होत हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हे हिन्दी में प्रणीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा।

9) हिन्दी के प्रणीणता- यदि किसी कर्मचारी ने -

क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उतीर्ण कर जी है या

ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या

ग) यदि वह इन नियमों को उपाबद्ध प्ररूप से यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर जी है।

10) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-1) (क) यदि किसी कर्मचारी ने-

I. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उतीर्ण कर ली है; या

II. केन्द्रीय सरकार को हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, जहाँ उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत केाई निम्न परीक्षा विनिर्दिष्ट है, तब वह परीक्षा उत्तीर्ण कर जी है, या

III. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निर्मित विनिर्दिष्ट कोई अन्या परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

ख) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषण करता है कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यलय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निर्मित-विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सककार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4) केंन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारयिों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उपनियम 2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्याल उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा।

11) मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री

आदि-1)केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से संबंधित सभी मैन्युअल, संहिताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषीय रूप में, यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2) केन्द्रीय सरकार के कसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और राजभाषा अधिनियम और आदर्श शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएँगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगीः

परन्तु यदि केंन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्ही उपबंधों में छूट दे सकती है।

12 अनुपालन का उत्तरदायित्व-1) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशानिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह-

I. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

II. इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त और प्रभायकारी जाँच के लिए उपाय करें।

2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालक के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणी कीजिए

1. 343 (1) अनुच्छेद

.....

.....

.....

.....

.....

4. 1967 अधिनियम

.....

.....

.....

.....

.....

रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

1. अनुच्छेद 351 ..... है। (देवनागरी लिपि/हिन्दी भाषा प्रसार/राष्ट्रभाषा)
2. अनुच्छेद 343 (1) का संबंध .....से है। (राजभाषा/राष्ट्रपति आदेश/राज्यपाल से)
3. भारत की राष्ट्रीय लिपि..... है। (देवनागरी/खरोष्ठी/ब्राहमी)
4. संविधान का भाषा संबंधी भाग है। (17/19/21)
6. अनुच्छेद 348 संबंध..... से है। (न्यायालय की भाषा/संसद की भाषा/कार्यालय की भाषा)।

6.5 राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का प्रश्न

हिन्दी भाषा और संविधान को लेकर कभी-कभी कुछ प्रश्नों से जूझना पड़ता हें उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है- राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का। हिन्दी को कभी राजभाषा कहा गया तो कभी राष्ट्रभाषा। कभी संपर्क भाषा तो कभी संघभाषा । ये नामकरण दरअसल हिन्दी के व्यापक स्वरूप को ही व्यक्त करते हैं। हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा है, इसमें क्या संदेह, लेकिन इस पर यह कह कर आपत्ति उठायी गई कि ऐसा करने से हिन्दी भाषा को विशेष गौरव मिलेगा, और अन्य भारतीय भाषाएँ बहिष्कृत होंगी। हिन्दी के विरोधीयों ने इस तर्क को उठाया कि राष्ट्र की भाषाएँ तो भारत की अन्य भाषाएँ भी है, फिर हिन्दी को इतना गौरव क्यों? हिन्दी को राष्ट्रभाषा कहने कारणों की तलाश करते हुए देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है कि,''वस्तुतः राष्ट्रभाषा शब्द के प्रयोग का ऐतिहासिक कारण है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं कहा गया हे कि वह राष्ट्र की एकमात्र या सर्वप्रमुख भाषा है, बल्कि इस नाम का प्रयोग अंग्रेजी को ध्यान में रखकर किया गया।'' आगे देवेन्द्रनाथ शर्मा जी ने अपने तर्क को विस्तार देते हुए लिखा है, ''दूसरी बात यह है कि कि सम्पूर्ण राष्ट्र में संचार की कोई भाषा हो सकती है तो हिन्दी। हिन्दी की इस विशेषता को ध्यान में रखकर उसे संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। अतः समग्र राष्ट्र के लिए जो भाषा सर्म्पक स्थापित करने का कार्य कर सके उसे राष्ट्रभाषा कहने में कोई हानि या आपत्ति नहीं है। ये ही कारण है जिनसे हिन्दी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी जाती है।''

भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली हे। अनुच्छेद 343 (1) में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यात मिली है। संविधान में कहीं भी हिन्दी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का

प्रयोग नहीं हे। संवधिान में इसे संघभाषा (Language of the Union) या संघ की राजभाषा (off~icial Language of the Union) कहा गया है। संघभाषा कहने के पीछे भी वही तर्क है कि यह पूरे राष्ट्र को एक साथ बांध सके। वस्तुतः राजभाषा का अर्थ है- राजकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा तथा राष्ट्रभाषा का अर्थ है- किसी राष्ट्र की संवेदनाओं, इच्छाओं को जोड़नेवाली भाषा।

6.6 सारांश

'भारतीय संविधान एवं हिन्दी' का आपने अध्ययन कर लिया है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आपने जाना कि-

- अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा तथा देवनागरी संघ की लिपि होगी।
- राजभाषा के इतिहास का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि संस्कृत-पालि-प्राकृत-अपभ्रंश-फारसी-अंग्रेजी-हिन्दी का क्रम चला है।
- भारतीय संविधान में प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रावधान था, जो क्रमशः आगे बढ़ता गया।
- अनुच्छेद1976 के अनुसार हिन्दी भाषा व अन्य प्रादेशिक भाषाओं में सामंनस्य लाने के लिए भारतीय भाषाओं को 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में विभक्त कर दिया है।
  'क' हिन्दी भाषी क्षेत्र
  'क' जहाँ हिन्दी द्वितीय भाषा है
  'ख' दक्षिण भारतीय राज्य- अंग्रेजी के साथ मातृभाषा एवं एक प्रति हिन्दी का प्रयोग।
- राजभाषा का आशय राजकाज की भाषा से है तथा राष्ट्रभाषा का तात्पर्य किसी भी राष्ट्र की आकांक्षाओं- संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने वाली भाषा से है।

6.7 शब्दावली

- राजभाषा - राजकाज में प्रयुक्त सांवैधानिक भाषा
- राष्ट्रभाषा - देश की संवेदना को सामूहिक अभिव्यक्ति देने वाली भाषा
- विनिर्दिष्ट - लागू करना
- प्राधिकृत - निर्देशित
- अनुच्छेद - संविधान में व्याप्त धाराएँ

6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. हिन्दी भाषा प्रसार
2. राजभाषा
3. देवनागरी
4. 17
6. न्यायालय की भाषा

6.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्याएँ और समाधान-शर्मा, देवेन्द्रनाथ, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2010
2. संविधान में हिन्दी - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मानविकी विद्यापीठ, दिल्ली।

6.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. भाषा विज्ञान हिन्दी भाषा और लिपि:शर्मा, रामकिशोर, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2007

6.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा पर टिप्पणी लिखिए।
2. 'संविधान और हिन्दी' विषय पर निबन्ध लिखिए।

इकाई 7 देवनागरी लिपि: उद्भव एवं विकास

7.1 प्रस्तावना
7.2 पाठ का उद्देश्य
7.3 देवनागरी लिपिःउद्भव एवं विकास
7.5.1 लिपि और भाषा का संबंध
7.5.2 लिपि का इतिहास
7.5.3 देवनागरी लिपिः उद्भव एवं विकास
7.4 देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता
7.5 देवनागरी लिपि और मानकीकरण का प्रश्न
7.6 सारांश
7.7 शब्दावली
7.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
7.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
7.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
7.11 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

लिपि को परिभाषित करते हुए बी. ब्लॉक और जी.एल. ट्रैगर ने कहा है कि- भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करने वाले यादृच्छिक वर्ण- प्रतीकों की परम्परागत व्यवस्था लिपि कहलाती है। (Language is a system of arbitrary Vocal Symbols by means of which a Social group Coooperates)। इस संबंध में डॉ0 अनंत चौधरी ने लिखा है- जिस प्रकार भाषा ध्वनियों की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार लिपि वर्णों की। तात्पर्य यह कि भाषा में जिस प्रकार ध्वनि के आश्रय कार्य चलता है, उसी प्रकार लेखन में वर्ण के माध्यम से। मानवता के विकास क्रम में लिपि ने क्रान्तिकारी भूमिका निभाई है, किन्तु भाषा और लिपि के तुलनात्मक स्वरूप पर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि भाषा प्राथमिक है और लिपि द्वितीयक। दूसरे बड़ा अंतर यह भी है कि भाषा के बिना किसी मनुष्य का कार्य नहीं चल सकता, किन्तु लिपि के बिना चल सकता है। बहुत से व्यक्ति जो पढ़े-लिख नहीं है, वे भी भाषा व्यवहार करते हैं, क्यों कि भाषा

मनुष्यता व सामाजिकता का हेतु हैं। भाषा-कौशल व व्याकरणिक दृष्टि से विचार करें तो भाषा और लिपि के इस संबंध को उच्चारित और लिखित भाषा के माध्यम से इनमें अंतर किया गया है। उच्चरित भाषा का संबंध बोलने और सुनने से है और लिखित भाषा का संबंध पढ़ने और लिखने से । इस प्रकार भाषा और लिपि का सम्बन्ध भी लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया में विकसित हुआ है।

देवनागरी लिपि, हिन्दी भाषा व अन्य आर्यभाषाओं की लिपि है। अपनी वैज्ञानिक दृष्टि के कारण यह संसार की लिपियिों में विशिष्ट स्थान रखनी हे। प्रस्तुत इकाई में हम देवनागरी लिपि की विशेषता व उसके मानकीकरण की समस्या का अध्ययन करेंगे। साथ ही लिपि और वर्ण के अंतर्सम्बन्ध तथा लिपि के इतिहास का भी अध्ययन करेंगे।

7.2 पाठ का उद्देश्य

यह इकाई देवनागरी लिपि पर आधारित है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

- लिपि और भाषा के अंतर्सम्बन्ध को समझ सकेंगे
- लिपि के इतिहास का अध्ययन कर सकेंगे।
- देवनागरी के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
- देवनागरी लिपि के वैज्ञानिक स्वरूप से परिचित हो सकेंगे।
- देवनागरी लिपि और उनके मानकीकरण के प्रश्न को समझ सकेंगे।

7.3 देवनागरी लिपि: उद्भव एवं विकास

7.5.1 लिपि और भाषा का संबंध

आपने अध्ययन किया कि लिपि, वर्णों की दृश्य रूप में व्यवस्था है। और स्पष्ट रूप में समझे तो यह कि लिपि वर्णों की सुनिश्चित व्यवस्था है, जिस प्रकार वर्ण, ध्वनियों के सुनिश्चित रूप है। लिपि और भाषा के अंतर्सम्बन्ध को भाषा-कौशल के बिन्दुओं से हम और अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। भाषा- कौशल के चार माध्यम हैं- भाषण, श्रवण, लेखन, वाचन,। इनमें दो का संबंध भाषा के उच्चरित रूप से है और दो का सम्बन्ध भाषा के लिखित रूप से/इसे स्पष्टतया हम इस आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं।

लिपि और भाषा (अंतर्सम्बन्ध)

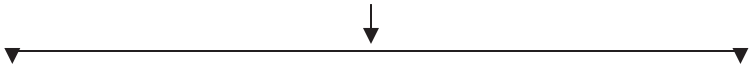

इस प्रकार आपने देखा कि ध्वनियों एवं वर्ण चिह्नों के सम्बन्ध का नाम ही लिपि है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पुस्तक 'हिन्दी की भाषिक व्यवस्था और उसका मानक रूप' नामक पुस्तक में लिखा गया है - '' भाषा में ध्वनियों एवं वर्ण चिह्नों के संबंध का नाम लिपि है। इन्हीं वर्ण चिह्न के परस्पर संयोग से शब्द बनते हैं जिनसे पद, उपवाक्य तथा वाक्य बनाए जाते हैं। जहाँ लिपि भाषिक ध्वनि को वर्ण के रूप में चिह्नित करती है, वहाँ वर्तनी वर्ण विन्यास के रूप में हमारे सामने आती है। वर्ण विन्यास से तात्पर्य है - लिखित शब्द में वर्णों को एक विशेष सार्थक क्रम में रखना। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी भाषा के शब्द में सार्थक ध्वनियों का प्रयोग जिस क्रम से होता है, उस ध्वनिक्रम को उस शब्द की वर्तनी कहा जाता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से तभी लिखा जा सकता है, जब सके वर्णों को हम सही-सही पहचाने तथा उनसे बनने वाले शब्दों को सही रूप में लिखें। इस आधार पर लिपि के दो पक्ष हो सकते हैं-

5. ध्वनियों का लेखन (वर्ण-व्यवस्था)
4. शब्दों का लेखन (वर्तनी व्यवस्था)

स्पष्ट है कि भाषा और लिपि गहरे रूप में एक दसूरे से जुडे हुए हैं। कई बार वाचन (भाषण) को प्राथमिक तथा लेखन को द्वितीयक मान लिया जाता है, जबकि यर्थाथ यह है कि बिना वाचन और लेखन के भाषण और श्रवण भी शुद्ध व परिष्कृत नहीं हो सकता।

7.5.2 लिपि का इतिहास

मनुष्य ने भाषा का आविष्कार कब किया होगा..... उसने अपने भावों को कब लिपिबद्ध किया होगा, यह प्रश्न अभी भी विवादित है। अपनी स्मृति को सुरक्षित करने के क्रम में मनुष्य ने लिपि की खोज की होगी, हम ऐसा अनुमान करते हैं। डॉ. बाबूराम सक्सेना ने इस क्रम परम्परा के ऊपर लिखा है- '' प्रथम सम्पूर्ण बात या वाक्य का बोध कराने वाले चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्बोधक संकेत और इनसे अक्षर, लिपि के विकास का यह क्रम रहा। '' डॉ0 उदयनारायण तिवारी ने भी लिखने की कला को चित्र लिपि से माना है और फिर उससे आगे क्रमशः भावलिपि तथा ध्वन्यात्मक अर्थात् अक्षरात्मक एवं वर्णनात्मक लिपि को माना है। डॉ. अनंत चौधरी ने लिपि के विकास की चार अवस्थाएँ स्वीकार की है।- 1 - चित्रलिपि

2- भाव-संकेत-लिपि 3- वर्णात्मक लिपि तथा 4- अक्षरात्मक लिपि। कहीं-कहीं प्रतीक-लिपि को जोड़कर इसकी संख्या को 5 कर दिया जाता है। प्रतीक-लिपि संकेतात्मक थी, इसलिए कुछ अध्येता इसे लिपि के अंतर्गत नहीं मानते। इस दृष्टि से चित्र लिपि को ही प्रारंभिक लिपि से रूप में अधिकांश अध्येताओं ने स्वीकार किया है।

5.**चित्रलिपि** - चित्रलिपि को प्रारंभिक लिपि मानने के पीछे मुख्य तर्क यह है कि संसार के अनेक स्थानों पर प्राप्त प्राचीन शिलाखण्ड, काष्ठपट्टिका, पशु-चर्म एवं भोजपत्रों पर अनेक चित्र उत्कीर्ण रूप में प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के आधार पर अध्येताओं ने अनुमान किया कि चित्रलिपि ही आद्य लिपि हो सकती है। इस संबंध में देवेन्द्रनाथ शर्मा ने लिखा है- ''मनुष्य जिस वस्तु को लिपिबद्ध करना चाहता था, उसका चित्र बना देता था''।

4.**भाव-संकेत लिपि** -भाव-संकेत लिपि को दूसरी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। इस लिपि के विकास के कारणों की व्याख्या करते हुए डॉ. बाबूराम सक्सेना ने कहा है कि ''चित्रों को खींचना आसान काम न था, समय भी काफी लगता था धीरे-धीरे खराब खिंचे हुए चित्रों से भी काम चलता रहा। होते-होने ये चित्र अपने मूलरूप से बहुत दूर हट आर्ये अब इन संकेतों को देखकर ही मूल चित्रों का उद्बोध होता था और उनके द्वारा उनके भावों का। चित्रों की स्थिति तक, चोह वे कितने भी बुरे खिंचे हुए हो, भावों का उद्बोध अन्य भाषा-भाषियों को भी हो जाता था। पर, अब संकेतों के कारण व्यक्तीकरण उन्हीं तक सीमित रह गया, जो उन संकेतों से अनभिज्ञ थे। चित्र तक तो भाव और चित्र-संकेत में, देखने वालों को एक प्रकार का समवाय सम्बन्ध मालूम देता था, किन्तु अब तो कवेल ऐसा सम्बन्ध रह गया, जो रूढ़ि पर आश्रित था। ''तात्पर्य यह कि इसका संकेत चित्रलिपि की तरह वस्तुओं का प्रतितिधित्व न कर भावों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसलिए इसे भाव-संकेत लिपि कहा गया।

5. **वर्णात्मक लिपि**- इस लिपि को ध्वन्यात्क लिपि या ध्वनि लिपि कहा गया है। इस लिपि में भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिकए अलग-अलग वर्ण प्रतीक निश्चित किये गये थे। इस दृष्टि से यह आधुनिक अर्थ में प्रथम लिपि भी कह गई है। डा.उदयनारायण तिवारी ने इस लिपि पर टिप्पणी की है कि,'' इसमें लिपि तथा भाषा एक दूसरे का अंग बन जाती हें और लिपि ही भाषा का प्रतिनिधित्व करने लगती है।''

4. **अक्षरात्मक लिपि** -अक्षरात्मक लिपि, वर्णनात्मक लिपि ही विकसित व वैज्ञानिक रूप हे। डॉ.अनंत चौधरी ने इस लिपि पर टिप्पणी की है कि, '' वर्णनात्मक लिपि के समान इसमें भी प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण तथा स्वर एवं व्यंजन के साथ में नहीं दिखलाया

जा सकता। अक्षरात्मक लिपि की यह विशेषता होती है कि इसमें प्रत्येक स्वर की मात्रा तथा उसे सूचित करने वाल स्वतंत्र चिह्न निश्चित होते हैं, जिनके उपयोग से व्यंजन तथा स्वर के युक्त रूपों के एकीकृत का स्वतंत्र वर्णों के रूप में दिखाया जाता है।''

भारतीय लिपियों का इतिहास - भारतीय लिपि के इतिहास की ओर सर्वप्रथम ध्यान विलियम जोन्स के माध्यम से गया। उसके पश्चात् भारतीय लिपि के इतिहास पर काम शुरू हुआ। विवाद इस बात पर हुआ कि विदेश लेखकों ने भारतीय लिपि के इतिहास को ईसा पूर्व 3-4 शताब्दी बताया, जबकि भारतीय लेखकों ने इसे ईसा पूर्व 3,000 के लगभग बताया। भारतीय लिपि इतिहास के विकास को लेकर इतना विवाद रहा है कि सुनिश्चित रूप से कुछ कह सकना मुश्किल हे। भारतीय लिपियों में जो प्रमुख लिपि रही है, उसको देखन उचित होगा।

सैंधव लिपि - भारत की ज्ञात लिपियों में सैंधव लिपि प्रमुख लिपि है। सिन्धु घाटी सम्यता से जुडी़ होने के कारण ही इसे सैंधव लिपि कहा गया है। इस लिपि को किसी ने 4000 ईसा पूर्व का मान है तो किसी ने 4000 ईसा पूर्व की। सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंधु के लरकाना जिले में मोहनजोदडो़ की खुदाई से कुछ सीलें मिली हैं, जिन पर यह लिपि अंकि है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक इस लिपि को नहीं पढा जा सका हे। कुछ विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि का विकास इसी लिपि से मान है, जिसे हम प्रामाणिक स्त्रोत के अभाव में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते।

ब्राह्मी लिपि - ब्राह्मी लिपि संबंधी अभिलेख ईसा पूर्व 3 से 5 शताब्दी पूर्व के मिलते हैं। यह लिपि बायीं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके अक्षर प्रायः सीधे होते थे। अधिकांश अक्षरों के अन्त में तथा कुद के प्रारम्भ और अन्त दोनों स्थानों में सीधी रेक्षाएँ जुड़ी होती थीं।

ब्राह्मी अपने युग की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि थी। इसकी लोकप्रियता का एक प्रमाण यह भी है कि बौद्ध एवं जैन धर्म के विद्वानों ने भी इस लिपि को अपनाया। ब्राह्मी लिपि की महत्त्व पर टिप्पणी करते हुए पं0 गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने लिखा है कि- '' मनुष्य की बुद्धि के सबसे बड़े महत्व के दो कार्य, भारतीय ब्राह्मी लिपि हजारों वर्ष पहले भी इतनी उच्चकोटि को पहुँच गयी थी कि उसकी उत्तमता की कुछ भी समानता संसार भर की कोई दूसरी लिपि अब तक नहीं कर सकती।..... इसमें प्रत्येक आर्यध्वनि के लिए अलग-अलग चिह्न होने से जेसा बोला जावे, वैसा ही लिखा जाता है और जैसा लिखा जावे, वैसा ही पढा़ जाता है तथा वणक्रम वैज्ञानिक रीति से स्थिर किया गया है। यह उत्तमता किसी अन्य लिपि में नहीं है।''

खरोष्ठी लिपि - खरोष्ठी लिपि का शाब्दिक अर्थ हे- गधे के ओंठों के सामन। अर्थात् देखने में भद्दी एवं कुरूप होने के कारण इस लिपि को खरोष्ठी कहा गया। खरोष्ठी के नामकरण के संबंध में

भी विवाद हे। कोई इसे खरोष्ठी नामक विद्वान के नाम के कारण खरोष्ठी बताता है, कोई गधे की चमडी़ पर लिखने के कारण तो कोई हिब्रू के, 'खरोशेथ' (लिखावट) से बने खरोठठ शब्द से। अतः निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

खरोष्ठी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में भारत वर्ष के उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश के आस पास पंजाब के गांधार प्रदेश में प्रचलित थी, जो मौर्यवंशी राजाओं के शाहबाजगढी़ और मानसेरा के लेखों से सिद्ध है। खरोष्ठी की तरह दाहिनी ओर से बायीं ओर लिखी जाती थी और इसके ग्यारह वर्ण - क, ज, द, न, ब, य, र, ब, प, ष, और ह समान सामन उच्चारण वाले अरमइक् अक्षरों से मिलते-जुलते हैं।

ब्राह्मी से उद्भूत परवर्ती लिपियाँ - डा0 अनंत चौधरी ने ब्राह्मी से उद्भूत परवर्ती लिपियों को जो क्रम दिया है, उसे हजम इस आरेखा के माध्यम से समझ सकते हैं।

ब्राह्मी की शैलियाँ

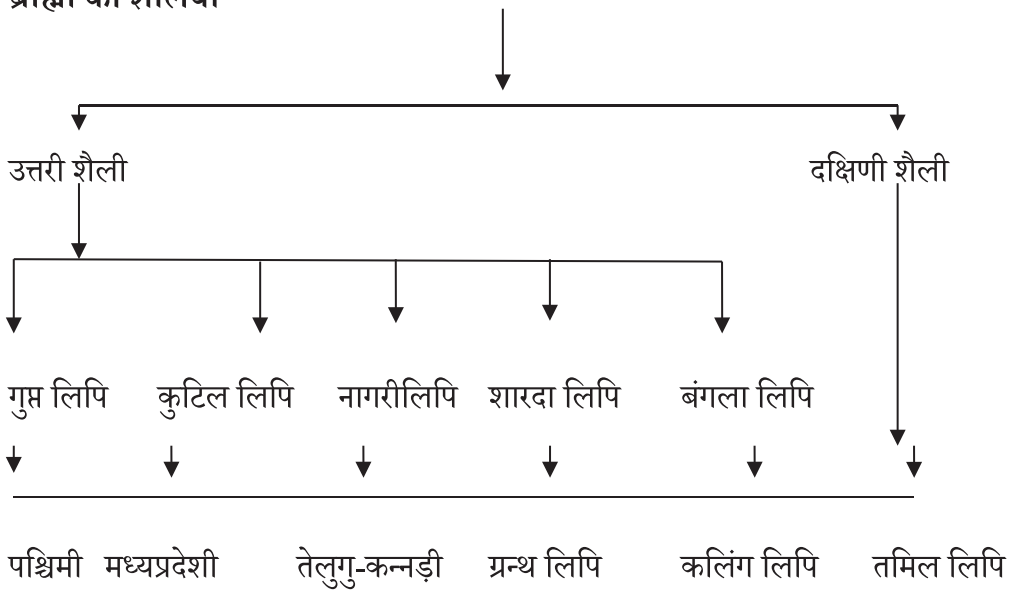

ब्राह्मी से उद्भूत विदेशी लिपि

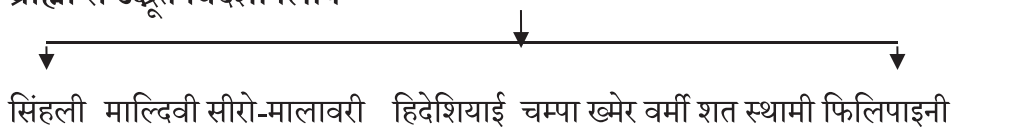

लिपियों के अंतर्सम्बन्ध को और स्पष्ट रूप से लिपि समझने के लिए ब्राह्मी से उद्भूत प्रमुख भारतीय लिपियों के अंतर्सम्बन्ध को देखन उचित होगा।

ब्राह्मी से उद्भूत भारतीय लिपियाँ

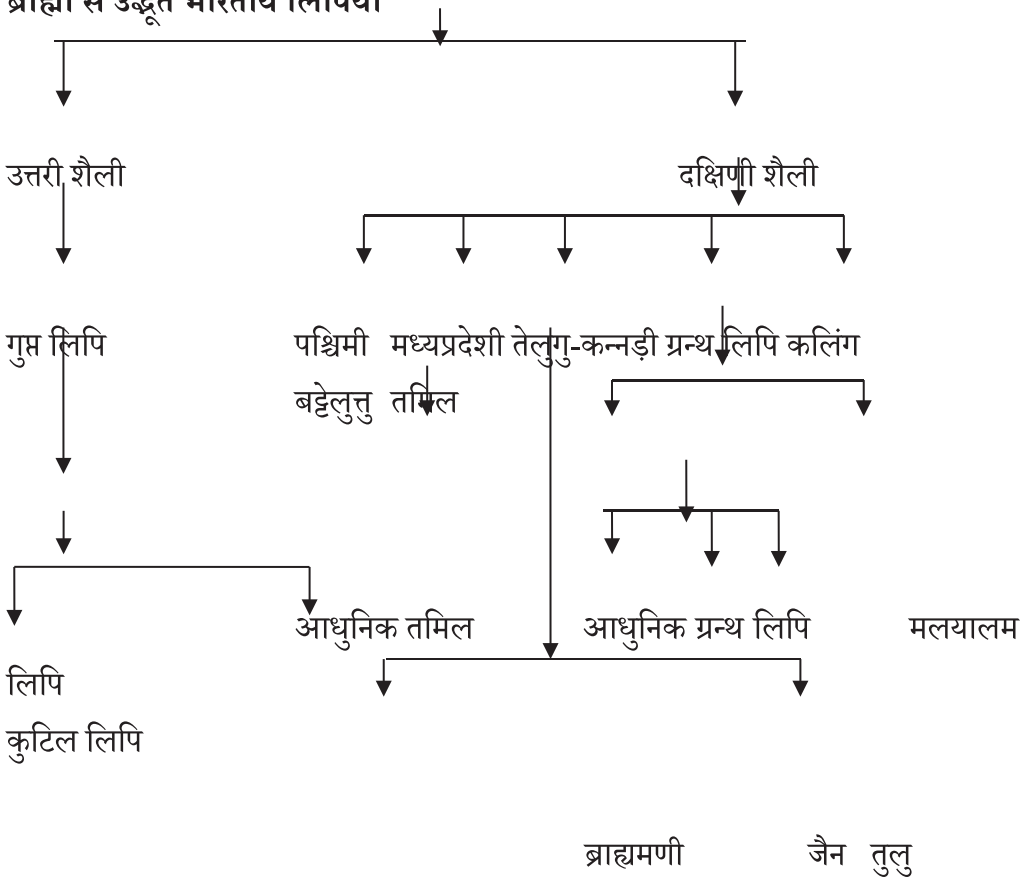

उपर्युक्त ब्राह्मी की उत्तरी शैली से उद्भूत नागरी एवं शारदा शैली का क्रमिक विकास निम्नलिखित रूप से हुआ.

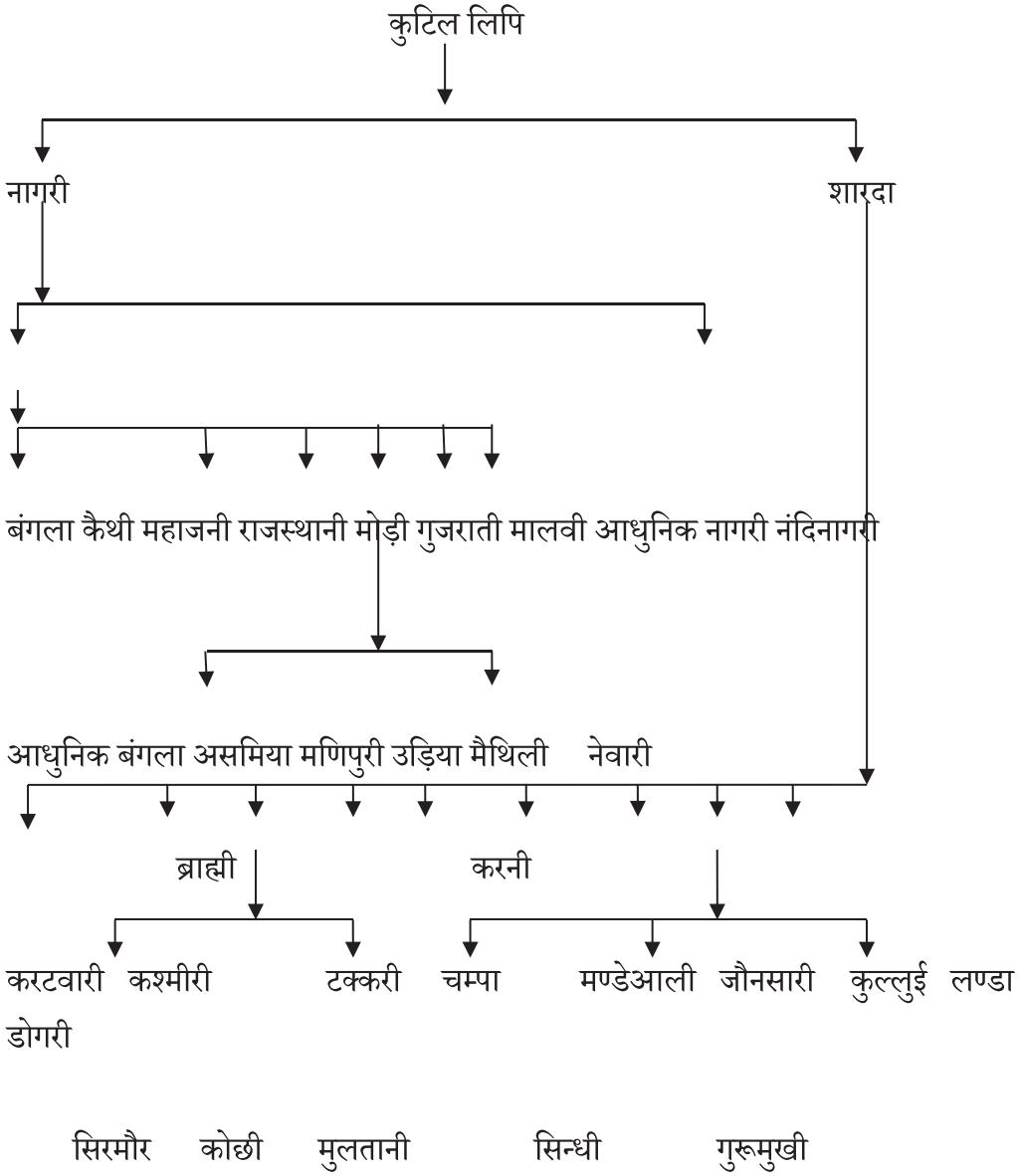

7.5.3 देवनागरी लिपि: उद्भव एवं विकास

देवनागरी लिपि के कई नाम हैं- नागरी, नागर, देवनागर, लोकनागरी तथा हिनदी लिपि। इसके सभी नामों में नागरी या देवनागरी सर्वाधिक लोक प्रचलित है। देवनागरी संविधान के

अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार संघ की लिपि भी है। इसके नामरकण के विभिन्न तर्क हैं- नागर ब्राह्मणों के कारण नाग लिपि शब्द से, नगरीय प्रयोग के कारण, देवनगर स्थान में प्रयुक्त होने के कारण। इसके नामों के संबंध में कोई एक निश्चित मत नहीं मिलते, इसीलिए डॉ0 धीरेन्द्र शर्मा , डॉ0 बाबूराम सक्सेना ने इस नाम सके लेकर कोई निश्चित मत नहीं प्रकट किया है, लेकिन फिर भी लोक प्रचलन ही दृष्टि से इसे नगरी या साहित्यिक राजभाषीय प्रचलन की दृष्टि से देवनागरी कहा जा सकता है। देवनागरी लिपि के विकास क्र को ब्राह्मी लिपि से सम्बद्ध किया गया है। आइए इसे इस आरेख के माध्यम से समझें।

ब्राह्मी लिपि

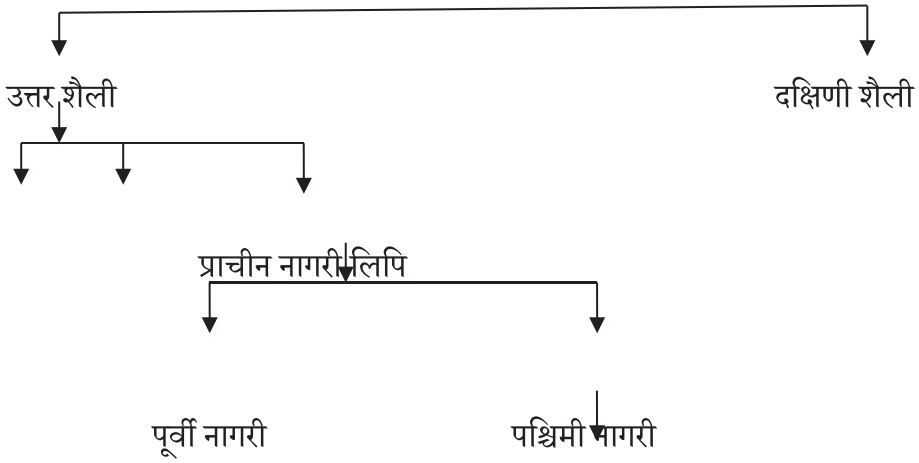

नागरी

इस प्रकार देवनागरी का सम्बन्ध ब्राह्मीलिपि उत्तरी शैली प्राचीन नागरी लिपि - पश्चिमी नागरी- देवनागर से बैठता है।

अभ्यास प्रश्न 1

(क) टिप्पणी कीजिए।

1. सैंधव

लिपि.....

2. ब्राह्मी लिपि

.....

2- रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

5. वर्णनात्मक लिपि को ..... भी कहा गया है। (ध्वनि/अक्षरात्मक लिपि/ खरोष्ठी लिपि)
4. भारतीय लिपियों में ..... सर्वाधिक प्राचीन है। (ब्राह्मी/सैंधवी/खरोष्ठी)
5. देवनागरी लिपि का विकास..... लिपि से हुआ है। (सैंधव/कुटिल/ ब्राह्मी)
4. खरोष्ठी लिपि का अर्थ ..... है। (गधे के ओंठ/ कुत्ते के ओंठ / घोड़े के ओंठ)
5. ब्राह्मी लिपि की ..... शैलियाँ प्रचलित हुई। (5/2/10)

7.4 देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता

देवनागरी लिपि की विशेषताओं को बताने के क्रम में यह अक़्सर कहा जाता है कि यह वैज्ञानिक लिपि है। प्रश्न यह है कि किसी लिपि को वैज्ञानिकता प्रदान करने वाले कौन से तत्त्व होते हैं? वैज्ञानिकता के आधार तत्व बताते हुए भाषाविदों ने मान है कि वह वैज्ञानिक लिपि हो सकती है जिसमें -

- एक ध्वनि के लिए एक वर्ण हो।
- एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करें।
- मात्रा एवं वर्णचिह्नों में भिन्नता हो।
- लेखन और उच्चारण में एकरूपता हो।
- सरल एवं स्पष्ट हो
- उच्चारण एवं लेखन में व्यवस्थित हो
- ध्वन्यात्मक दृष्टि से सन्तुलन स्थापित करती हो

तो वैज्ञानिकता के संदर्भ मे उपरोक्त त्वों को क्या देवनागरी लिपि पूर्णतः पालन करनी दिखती है? इस प्रश्न का उत्तर हमें दवनागरी लिपि की विशेषता/गुण देखने के संदर्भ में मिल सकता है, तो आइए हम देवनागरी लिपि को विशेषतओं का अध्ययन करें-

- देवनागरी लिपि अधिक-से-अधिक ध्वनि-चिह्नों से संपन्न है।
- देवनागरी लिपि में स्वर एवं व्यंजन का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों के आधार पर किया गया है।
- देवनागरी लिपि में प्रत्येक लिपि के लिए अलग-अलग स्वतंत्र वर्ण हैं।

- देवनागरी लिपि में वर्णमाला और वर्तनी में उस प्रकार का विभेद नहीं जैसा कि अन्य लिपियों में है। केवल शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानने से ही उन्हें शुद्ध रूप से लिखा जा सकता है।
- देवनागरी लिपि की बडी़ विशेषता यह है कि जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है और जो पढा़ जाता है, वही लिखा जाता है।
- देवनागरी लिपि, भारत की प्राचीन लिपि है। भारात की कई अन्य भाषाओं (गुजराती, पंजाबी, उर्दू.....आदि) का साहित्य देवनागरी में ही मिलता है। अतः राष्ट्र की सम्वेदना इस लिपि से सहज ही जुड़ जाती है।
- देवनागरी लिपि में प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतंत्र मात्रा चिह्न निश्चित किये गये हैं। इस कारण स्वरयुक्त व्यंजनों को उच्चारण के अनुरूप ही स्वतंत्र अक्षरों में लिपिबद्ध किया जाता है।
- यह सरल एवं सहज लिपि है।
- इस लिपि में यह व्यवस्था है कि जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके दिखान हो तो उसके नीचे हलन्त का चिह्न लगा दिया जाता है।
- यह किसी एक भाषा का लिपि नहीं है। यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, महाराष्ट्री, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि है।
- देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का सर्का एक ही उच्चारण में होता है।
- देवनागरी लिपि में रोमन वर्णों के स्थान छोटे-बड़े वर्णों के अलग-अलग रूप की समस्या नहीं है। इस कारण देवनागरी लिपि के लेखन, मुद्रण एवं टंकण की समस्या नहीं होती है।
- देवनागरी लिपि में स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग-अलग स्वतंत्र वर्ण (ङ्, ण्, न्, म्) है, जो संसार की किसी भी लिपि में नहीं पाये जाते ।

7.5 देवनागरी लिपि और मानकीकरण का प्रश्न

देवननागरी लिपि की कतिपय विशेषतओं के बावजूद उसके मानकीकरण के प्रयास भी होते रहे हैं। देवनागरी के विरोध में कुछ तो जानबूझकर भ्रम फैलाया गया, कुछ समयानुरूप उसमें संशोधन भी किय गये। यहाँ देवनागरी लिपि के के संदर्भ में जो आक्षेप किये गये हैं, आइए हम उसका अध्ययन करें।

- देवनागरी में वर्णों की संखा अधिक है, इसलिए इसके टंकण में असुविधा होती है।
- देवनागरी में शिरोरेखा का प्रयोग लेखन के प्रवाह को रोकता है।

- वर्ण साम्य से असुविधा होती है जैस ध/घ, रव/ख या म/भ जैसे वर्णों में।
- संयुक्त वर्ण को समझना मुश्किल हो जाता है जैसे- क्ष (क+ष), त्र (त् +त्र) आदि
- देवनागरी लिपि में एक ही वर्ण के दो-दो रूप प्रचलित हैं जिससे नई विद्यार्थी को असुविधा होती है।
- चन्द्रबिन्दु और अनुसार के प्रयोग में भ्रम है।
- कुछ वैदिक ध्वनियाँ भी चल रही है- ऋ
- देवनागरी लिपि में प्रत्येक स्वर की अलग-अलग मात्रा होती है। जैसे अ (।) इ/ई उ/ऊ आदि।
- मात्रा प्रयोग से लेखन में असुविधा होती है।

इस प्रकार देवनागरी लिपि पर कई आक्षेप लगाये गये हैं, जिनकी समीक्षा आवश्यक है। देवनागरी लिपि पर जो आरोप लगाये गये हैं, वे ज्यादातर भ्रामक हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

(क) सत्य/असत्य का चुनाव कीजिए।

5. नागरीलिपि का संबंध ब्राह्मी की उत्तरी शैली से है।
4. ग्रन्थ लिपि का संबंध ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से है।
5. चम्पा, ब्राह्मी से उद्भूत विदेशी लिपि है।
4. कुटिल लिपि, ब्राह्मी से उद्भूत दक्षिणी शैली की लिपि है।
5. उड़िया, ब्राह्मी से उद्भूत दक्षिणी शैली की लिपि है।

(ख) रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

5. देवनागरी की प्रमुख विशेषता एक ध्वनि के लिए.....वर्ण है। (तीन/दो/एक)
4. लेखन और..... में एकरूपता देवनागरी की विशेषता है। (पाठन/उच्चारण/कौशल)
5. गुजराती भाषा की लिपि..... है। (खरोष्ठी/देवनागरी/कुटिल)
4. महाराष्ट्री की लिपि ..... है। (देवनागरी/ब्राह्मी/गुप्त)
5. र के ..... भेद प्रचलित हैं। (4/3/2)

7.6 सारांश

इस इकाई का आपने अध्ययन कर लिया है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् जाना कि-

- भाषा के दो रूप प्रचलित हैं- उच्चरित औ लिखित/लिपि का संबंध भाषा के लिखित रूप से है।
- लिपि, वर्णों प्रतीक रूप में व्यवस्थित रूप है। इस प्रकार भाषा में ध्वनियों और वर्ण चिह्नों के संबंध का नाम ही लिपि है।
- लिपियिों का विकास मनौवैज्ञानिक पद्धति पर हुआ है। यानी पहले प्रतीकात्मक-चित्रात्मक-वर्णात्मक फिर अक्षरात्मक लिपि का विकास हुआ है।
- भारतीय लिपियों में सैंधव लिपि सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। इसके पश्चात् ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, लिपियों का विकास होता है।
- देवनागरी लिपि, ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। यह लिपि वैज्ञानिक गुणों से युक्त है।
- देवनागरी लिपि की विशेषता- एक वर्ण के लिए एक ध्वनि, एक ध्वनि के लिए एक वर्ण, लेखन और उच्चारण में एकरूपता, उच्चारण और लेखन में एकरूपता तथा सरलता एवं स्पष्टता है।

7.7 शब्दावली

- मानकीकरण - किसी भाषा-लिपि में एकरूपता बनाये ररखने का प्रयास।
- लिपि - ध्वनि एवं वर्ण-चिह्नों के व्यवस्थित रूप।
- उद्भूत - पैदा, स्त्रोत
- विभेद - अंतर, अलगाव
- अणुनासिक - ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में नाक का प्रयोग हो।

7.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. ध्वनि लिपि
2. सैंधव
3. ब्राह्मी
4. गधे के ओंठ
5. 2

7. अभ्यास प्रश्न 2

(क)

1. सत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. असत्य
5. असत्य

(ख)

5. एक
4. उच्चारण
5. देवनागरी
4. देवनागरी
5. 4

7.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. नागरी लिपि और हिन्दी वर्तनी - चौधरी, अनंत, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वितीय संस्करण 1992।
2. लिपि और वर्तनी - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, अक्ट्बर 2009

7.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. राष्ट्रभाषा हिन्दी समस्याएँ और समाधान - शर्मा, देवन्द्रनाथ, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2010।
2. भाषा विज्ञान हिन्दी भाषा और लिपि - शर्मा, राजकिशोर, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद,संस्करण 2007

7.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. लिपियों के इतिहास की समीक्षा कीजिए।
2. भारतीय लिपियों के इतिहास को बताइए।
3. देवनागरी लिपि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

इकाई -8 भाषा कंप्यूटिंग (कंप्यूटर और हिंदी)

इकाई की रूपरेखा

8.1 प्रस्तावना
8.2 उद्देश्य
8.3 कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता
8.4 कंप्यूटर और हिंदी
8.5 कंप्यूटर और हिंदी अनुवाद
8.6 कंप्यूटर और हिंदी शिक्षण
8.7 कंप्यूटर और श्रुतलेखन, यूनिकोड
8.8 कंप्यूटर पर हिंदी-प्रयोग के विकास में सहायक अन्य सॉफ्टवेयर
8.9 इंटरनेट और हिंदी
8.10 सारांश
8.11 शब्दावली
8.12 संदर्भ ग्रंथ सूची
8.13 निबंधात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

भाषा जीवन का अनिवार्य अंग है, उसी प्रकार कंप्यूटर भी जीवन का अनिवार्य अंग हो गया है। भाषा भी जरूरी है और कंप्यूटर भी। एक प्रकार से ज्ञान और तकनीक के संबंध से विकसित हुए लाभों से आपका साक्षात्कार होगा। इस इकाई में भाषा कंप्यूटिंग की चर्चा की जा रही है। इस इकाई में आप कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता से परिचित होंगे। आप कंप्यूटर और हिंदी के संबंध को भी जान पाएंगे। आपको हिंदी को विकसित करने वाले सॉफ्टवेयरों से भी परिचित कराया जाएगा और इंटरनेट पर हिंदी की जो स्थिति है, उसका भी परिचय आपको मिलेगा। हिंदी अनुवाद में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, इसे भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यूनिकोड पर विशेष बल इस इकाई में दिया गया है। आशा है कि इसे पढ़ने के बाद आप भाषा कंप्यूटिंग को भली-भांति समझ सकेंगे।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई का पढ़ने के बाद आप यह जान पाएंगे कि-

- कंप्यूटर क्या है और उसकी कौन-कौन से लाभ हैं ?
- कंप्यूटर और भाषा का कैसा संबंध (विशेषतः हिंदी भाषा) है ?
- कंप्यूटर पर हिन्दी में अनुवाद की क्या स्थिति है ?
- कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी कैसे सीखी जा सकती है और हिंदी-ज्ञान का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है।
- यूनिकोड क्या है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है ?
- हिंदी भाषा के प्रयोग को कंप्यूटर पर सरल बनाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर की जानकारी भी इस इकाई में मिलेगी।

8.3 कंप्यूटर और उसकी उपयोगिता

कंप्यूटर 'कम्यूट' शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना। लेकिन आज कंप्यूटर केवल गणना तक ही सीमित नहीं है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। बिल गेटस का कथन है कि 'समूची संचार क्रांति महज कंप्यूटर के विभिन्न उपयोग मात्र हैं।' कंप्यूटर में अपार गति होती है वह जटिल से जटिल गणनाओं को भी अत्यंत तीव्रता से हल कर देता हैं उसमे अपार संग्रह क्षमता होती है। कंप्यूटर के परिणाम शुद्ध और त्रुटिहीन होते हैं। वह स्वचालित होता है बस आपको उसे क्रमबद्ध रूप में निर्देश देना पड़ता है। इसे आम भाषा में प्रोग्राम कहा जाता है। जब कभी प्रयोग करने वाला व्यक्ति गलती करता है तो कंप्यूटर उसे रास्ता भी बताता है। एक बहुआयामी उपकरण होने के कारण इसका उपयोग शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, वाणिज्य, लेखन, प्रकाशन, कानून आदि सभी क्षेत्रों में हो रहा है। यह एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के मस्तिष्क की भाँति काम करता है लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क से कई गुना अधिक तेज। यह गणितीय गणनाओं और विभिन्न आँकड़ों का विश्लेषण करने के साथ-साथ उन्हें अपनी स्मृति में रख सकता है। यह वस्तुतः एक इकाई नहीं बल्कि विभिन्न इकाइयों का समूह है। कंप्यूटर का कार्य आदेश लेना, आदेशों को कार्यक्रम के रूप में संचित करना, उसका क्रियान्वयन करना, परिणाम संचित करना और आदेशानुसार परिणामों को सामने रखना है। बारम्बार निर्विघ्न आवृत्ति इसकी विशेषता है।

कंप्यूटर आज मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। जिस प्रकार रेडियो और टेलीविजन मानव जीवन के आवश्यक अंग बन गए थे, ठीक वही स्थिति आज कंप्यूटर की है। भारतीय जनमानस को इस ओर गतिशील करने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। इस दिशा में सरकार ने 'आकाश' टैबलेट निकाला है। अन्य प्राइवेट कंपनियां भी अलग-अलग प्रयोगों को लेकर नए-नए टैबलेट निकाल रही हैं ताकि अधिक-से अधिक लोगों की पहुंच में कंप्यूटर पर काम करने में हो। कंप्यूटर मनुष्य की गतिशीलता में वृद्धि करता है, विभिन्न दस्तावेजों का रिकार्ड रखने में मदद करता है और बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करता है। इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वह व्यक्ति को विश्व समुदाय से जोड़ता है और संसार से अपरिचित नहीं रहने देता। इसीलिए इसकी उपयोगिता अत्यधिक है। रेलवे आरक्षण केन्द्र, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों आदि सभी में इसके लाभ को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं।

प्रारंभ में कंप्यूटर को ज्ञान-विज्ञान के भंडार के रूप में देखा जाता था। फिर उसे मनोरंजन से जुड़ा हुआ स्वीकार किया गया और धीरे-धीरे यह हमारी रोजमर्रा की जीवन-शैली का अंग बन गया। ई बैंकिग, ई पॉलिटिक्स, ई ट्रेडिंग आदि सभी कुछ कंप्यूटर के सहयोग से हो रहा है। यह बात और है कि इन मामलों में पर्याप्त सावधानी की अपेक्षा है। कंप्यूटर और इंटरनेट के संयुक्त प्रभाव ने पूरे संसार को एक 'वैश्विक ग्राम' बना दिया है जहां दूरियां सिमट गई हैं।

8.4 कंप्यूटर और हिंदी

कंप्यूटर से परिचय के बाद आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि कंप्यूटर और हिन्दी का संबंध क्या है ? कंप्यूटर का प्रांरभ पश्चिमी देशों में हुआ अतः सबसे पहले जो भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई वह अंग्रेजी थी। अंग्रेजी का वर्चस्व काफी समय तक कंप्यूटर पर छाया रहा लेकिन लोगों को लगा कि इसकी महती उपयोगिता है तो अनेक देशों ने कंप्यूटर के लिए अपनी भाषा में कार्य करने को प्राथमिकता दी। भारत सरकार ने भी इसी दृष्टि से कंप्यूटर के लिए भारतीय भाषाओं के विकास पर ध्यान दिया जिनमें राजभाषा हिंदी पर विशेष ध्यान दिया गया। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है और आज कंप्यूटर के युग में हिंदी ने कंप्यूटर के साथ मिलकर अपना अपरिमित विकास किया है। कंप्यूटर पर हिंदी के निरंतर प्रयोग और विकास ने यह साबित कर दिया कि कंप्यूटर पर केवल अंग्रेजी का ही वर्चस्व नहीं रहेगा, उस पर हिंदी भी अपना अधिकार कर सकती है। आज कंप्यूटर पर हिंदी के बढ़ते प्रयोग ने भी इस बात का आधारहीन कर दिया है

कि बिना अंग्रेजी के कंप्यूटर ज्ञान न तो हासिल किया जा सकता है और न कंप्यूटर पर काम किया जा सकता है।

मूल रूप से कंप्यूटर पर हिंदी का काम दो प्रकार का होता है। पहला तो पत्र, टिप्पणी, लेख, रिपोर्ट आदि तैयार करना, पत्रिका छापना आदि। दूसरा आंकड़ों को रखना अर्थात् वेतन पर्ची, परीक्षा परिणाम, पुस्तक सूची, सामान सूची आदि तैयार करना। इन सबके विकास के लिए अनके पैकेज बाजार में उपलब्ध हैं जो द्विभाषिक है और काफी उपयोगी हैं।कंप्यूटर पर अंग्रेजी का जो रथ सवार था अब उसे उतारने की पूरी तैयारी हिंदी ने कर ली है। हिंदी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास ने इसे अत्यंत सुगम बना दिया है। सी-डेक ने आम भाषा में सॉफ्टवेयर उतारकर भाषा-ज्ञान की समस्या ही समाप्त कर दी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि संवादहीनता की जो स्थिति थी, वह खत्म हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'ओआरजी' तकनीक का प्रयोग कर इस भाषाई अंतराल का दूर कर दिया है। इससे जहां एक ओर कंप्यूटर तकनीक और साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा वहीं घर बैठे अपनी भाषा में लोगों को जानकारियां मिल सकेगीं। हिंदी कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने में जहां एक ओर सरकार प्रयास कर रही है वहीं अनेक गैर सरकारी संस्थाएं भी इस क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं। यह कार्य दो स्तरों पर किया जा रहा है। एक राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से और दूसरे जनभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से। भारत सरकार ने राजभाषा नीति हिंदी के प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन के लिए ही बनाई है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को लागू करने के कार्यालयी हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाए और हिंदी को सरल, प्रभावी और सुविधाजनक बनाया जाए। कंप्यूटर आ जाने से हिंदी के विकास में सरकार को काफी मदद मिली है। राजभाषा विभाग सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ हिंदी के प्रयोगकर्ताओं को देने में लगा हुआ है। इसके तहत सी-डेक पुणे के माध्यम से भाषा प्रयोग उपकरण नाम योजना को लागू किया जा रहा है। परिणामस्वरूप आज ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं।

8.5 कंप्यूटर और हिंदी अनुवाद

अब तक आप कंप्यूटर और हिंदी का संबंध जान गए होंगें। अब आपसे कंप्यूटर और हिंदी अनुवाद के बारे में चर्चा करना ठीक रहेगा। हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में कंप्यूटर ने काफी योगदान दिया है। सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की दिशा में 'कारपोर' उदाहरण आधारित कंप्यूटर अनुवाद उपकरण विकसित किया जिसमें स्वास्थ्य

मंत्रालय के मैनुअलों का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य प्रारंभ हुआ। यह कंप्यूटर अनुवाद उपकरण अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकता है और अनुवादकों की सहायता के लिए पर्याप्त अनुवाद के विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। बाद में 1995 में इसी क्षेत्र में 'नेशनल कौंसिल फॅार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी', मुंबई ने 'मात्रा' नामक कंप्यूटर अनुवाद उपकरण विकसित किया। यह अंग्रेजी समाचार कथाओं का हिंदी में अनुवाद करता है। सी-डेक ने 'एन-ट्रांस' नाम सॉफ्टवेयर तैयार किया जो अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं और भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का अनुवाद करता है। इसमें पहला भाग शब्दकोश है और दूसरे भाग में सशक्त स्वतः प्रणाली विन्यास है जो एक तरह का संदर्भ स्त्रोत हैं इस सॉफ्टवेयर का एक नमूना इस प्रकार देखा जा सकता है-

अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद

Designation – Dy. Director पदनाम - उप निदेशक

हिंदी से अंग्रेजी

मूल - Basic , वेतन - Pay

प्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स, पुणे ने 'परिवर्तन' नाम सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से हिंदी में बनाई गई कोई भी कंप्यूटर फाइल उपलब्ध हिंदी फांट या सॉफ्टवेयर में पढ़ना और फाइल में लिखित सूचना प्राप्त करना आसान हो गया। इसमें एक उत्पादक के फांट में बनाई गई फाइल दूसरे उत्पादक के फांट में बदलने की सुविधा भी है।

मेट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। इसे प्राकृतिक भाषा संसाधन प्रयोगशाला ने विकसित किया है। इस मशीन साधित अनुवाद प्रणाली से 85 प्रतिशत पद व्याख्या और 60 प्रतिशत सही अनुवाद प्राप्त होता है। इसमें वाक्यों को शुद्ध करने की सुविधा है, संपादन की भी सुविधा है। इसमें द्विभाषी शब्दकोश भी है। वर्तनी को जांचने की भी सुविधा इस सॉफ्टवेयर में है।अनुवाद संबंधी एक और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर सी-डैक ने बनाया है मंत्र राजभाषा। यह एक मशीन साधित अनुवाद टूल है जो विशिष्ट विषय क्षेत्र के अंग्रेजी पाइ का हिंदी में एक भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद करता है। यह राजपत्रित अधिसूचना, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र और वित्त क्षेत्र संबंधी दस्तावेजों को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। इसमें अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी व्याकरण की प्रस्तुति के लिए नियमानुरूप ट्री एडजाइनिंग ग्रामर का

प्रयोग किया जाता है। इसे सी-डेक के अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप ने तैयार किया है और भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने प्रायोजित किया है। इसके अनेक संस्करण उपलब्ध हैं-

1. मंत्र राजभाषा (स्टैंडअलोन संस्करण) - यह संस्करण उन प्रयोक्ताओं के लिए विकसित किया गया है जो बिना नेट कनेक्टिविटी के अपने कंप्यूटर पर अनुवाद सिस्टम का प्रयोग करना चाहते हैं। सिस्टम में पर्सनल लॉगइन आइडी, पासवर्ड और इनबॉक्स की सुविधा भी हैं जिसमें अनुवादित दस्तावेज रखा जा सकता है।

इस अंतःक्रियात्मक सिस्टम में अनेक सहायक उपकरण (जैसे शब्दकोश आदि) भी दिए गए हैं।

2. मंत्र राजभाषा (इंट्रानेट संस्करण) - यह मंत्र राजभाषा स्टैंडअलोन का उन्नत संस्करण है और डिस्ट्रिब्यूटिड आरकिटेक्चर पर आधारित है। इसमें सर्वर के साथ-साथ क्लाइंट कंप्यूटिंग पॉवर का प्रयोग कर अनुवाद शीघ्रता से किया जाता है। क्लाइंट की मशीन पर अनुवाद किया जाता है जहां सर्वर मुख्य लेक्सिकॉन का काम करता है।

3. मंत्र राजभाषा (इंटरनेट संस्करण) - इस संस्करण का विकास और डिजाइन थिनक्लाइंट आरकिटेक्चर पर आधारित है। इसमें सारा अनुवाद सर्वर पर ही होता है। इसलिए दूरवर्ती स्थानों में भी इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध लो-एंड सिस्टम पर भी दस्तावेजों के अनुवाद करने के लिए इस सुविधा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अपने अनुवाद सिस्टम को दूसरों के साथ बांटा जा सकता है।

कुल मिलाकर मंत्र राजभाषा की विशेषताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है-

1. यह मानक अनुवाद करने वाला सिस्टम है।

2. इसमें अनुवादित फाइल को प्रयोगकर्ता द्वारा संपादित किया जा सकता हैं या अनुवादित पाठ में प्रत्यक्ष रूप से टंकित कर सकता है।

3. इसमें लंबे दस्तावेजों को खंडित किया जा सकता है और खंडित भागों का अनुवादित दस्तावेजों को जोड़ा जा सकता है।

4. अनुवाद से पहले दस्तावेज में फ्रेज मार्क कर सकते हैं, जिससे जुड़े हुए शब्दों का सही अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं।

5. अंग्रेजी दस्तावेज का प्रारूप हिंदी आउटपुट में बना रहता है।

8. अनुवाद के दौरान अनुवाद हेतु वाक्यों के अनेक विकल्प उपलब्ध होते है जिनमें से उचित विकल्प का चयन किया जा सकता है।

8. शब्दकोश में नए शब्दों, वाक्यांश तथा अभिव्यक्ति को शामिल किया जा सकता है।

8. प्रयोग करने वाले को बहुअर्थी चयन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

9. प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने डाटाबेस को अपडेट और संपादित कर सकता है।

10. अनुवाद के किसी भी स्तर पर हिंदी को प्रत्यक्ष रूप से टाइप किया जा सकता है।

11. अनुवाद के लिए लिखित टंकित सामग्री को स्कैनर की मदद से कंप्यूटर में समाहित कर दिया जाता है और कंप्यूटर में लगा यह सॉफ्टवेयर उस सामग्री का हिंदी में अनुवाद कर देता है।

8.6 कंप्यूटर और हिंदी शिक्षण

इस दिशा में लीला राजभाषा एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने का पैकेज है। यह ऑनलाइन हिंदी सीखने का पाठ्यक्रम है और हिंदी प्रबोध, हिन्दी प्रवीण और हिंदी प्राज्ञ के पाठ्य विवरण पर आधारित है। लीला हिंदी प्रबोध में 26 अध्याय हैं और शब्दकोश मॉडयूल के साथ प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम है। लीला हिंदी प्रवीण में 31 अध्याय हैं और शब्दकोश मॉडयूल के साथ द्वितीय स्तर का पाठ्यक्रम है। लीला हिंदी प्राज्ञ में पत्राचार के विभिन्न रूपों को सिखाने के लिए तृतीय स्तर का पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. इसमें हिंदी अक्षरों को लिखने और पढ़ने की सुविधा है।

2. प्रयोग करने वाले के लिए हिंदी अक्षर और उसकी मात्राओं को ट्रेसर से लिखने, लेखन विधि को देखने, उच्चारण सुनने और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

3. शुद्ध उच्चारण के अभ्यास के लिए स्पीच इंटरफेस उपलब्ध है और यह सुविधा शब्द, वाक्य और पैरा तीनों स्तरों पर उपलब्ध है।

4. इनमें शब्दावली उपलब्ध कराई गई है। प्रबोध में शब्दावली चित्र सहित है जबकि प्राज्ञ में प्रशासन संबंधी शब्दावली दी गई है।

5. तीनों पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन शब्दकोश उपलब्ध है और जहां आवश्यक है वहां सांस्कृतिक टिप्पणियां भी दी गई हैं।

8. ये पाठ शैक्षणिक दृष्टि से नियंत्रित हैं। प्रयोग करने वाले को सबसे पहले पदक्रम, लिंग, वचन आदि का अध्ययन करना होगा। हर मूल पाठ के साथ एक वीडियो चलचित्र भी उपलब्ध है। साथ ही रिकार्ड और कंपेयर की सुविधा भी है जिसके द्वारा प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने उच्चारण को सुधार सकता है।

8. हर पाठ के साथ व्याकरणिक टिप्पणी दी गई है और स्वमूल्यांकन की सुविधा भी प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए है।

इस पैकेज के प्रमुख प्रारूप इस प्रकार हैं-

क) सुपरवाइजर मॉडयूल - यह बाकी मॉडयूल्स का पर्यवेक्षण करता है। इसमें स्टूडेंट लर्निंग पैकेज, अकाउंट विवरण, प्रगति तथा डेमो संस्करण से संबंधित डाटाबेस है। यह टेस्ट मॉडयूल को नियंत्रित करता है, परीक्षाओं में प्राप्त अंकों से संबंधित जानकारी रखता है और एक प्रकार से सीखने वाले की प्रगति पर अपनी नजर रखता है।

ख) छात्र मॉडयूल - यह छात्र के सभी कार्यों की देखभाल करता है । इसमें स्टूडेंट डाटाबेस रखा जाता है जिसमें उसकी प्रगति की रिपोर्ट और अंक भी शामिल होते हैं और कोई भी छात्र एक-दूसरे को प्राप्त अंकों से संबंधित समाचार का एक्सेस नहीं कर सकता।

ग) पाठ मॉडयूल - यह पूरे पैकेज का प्रमुख मॉडयूल है। इसमें हर पाठ को विभिन्न खंडों (उद्देश्य, वाक्य संरचना, पाठ, शब्द परिवार, व्याकरण, अभ्यास) में बांटा गया है। पाठ को अनुवाद, उदाहरण, वीडियो क्लिप, हाईपर टेक्स्ट, शब्दकोश तथा व्याकरणिक नियमों के आधार पर समझाया गया है।

घ) टेस्ट मॉडयूल - इसमें छात्र का मूल्यांकन कराया जाता हैं। इसमें विभिन्न पाठों पर आधारित प्रश्नों का डाटाबेस है जो परीक्षा हेतु छात्र का अनुरोध मिलते ही एक परीक्षा-पत्र प्रस्तुत

कर देता है। इसके बाद मूल्यांकन किया जाता है और प्राप्त अंकों की सूचना स्क्रीन पर आ जाती है तथा अंकों से संबंधित समाचार सुपरवाइजर मॉडयूल को भेज दिया जाता है।

ड) **अल्फाबेट मॉडयूल -** इसमें हिंदी वर्णमाला से छात्र का परिचय कराया जाता है और अक्षरों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है।

च) **डिक्शनरी मॉडयूल -** इसमें सारे पाठों में और पूरे पैकेज में आने वाले शब्द होते हैं। हर शब्द के लिए अर्थ, व्याकरणिक विवरण तथा उच्चारण भी उपलब्ध होता है।

छ) **शब्दावली मॉडयूल -** इसमें सरकारी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली, कार्यालयों के नाम, पदनाम व साधारण शब्दावली दी गई है।

सी-डेक द्वारा मोबाइल फोन के लिए 'लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर' को एक मीडिया मेमरी चिप (एमएमसी) पर उतारा गया है और जब इस चिप को किसी मोबाइल सेट के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह मोबाइल हिंदी सिखाने का काम आरंभ कर देता है। इस चिप में हिंदी अक्षरों का पढ़ने, उनका उच्चारण सुनाने ओर सही उच्चारण और फॉर्मेशन के लिए स्पीच इंटरफेस उपलब्ध है। इसमें हिंदी की वाक्य संरचनाओं के उदाहरण भी हैं, अनुवाद की सुविधा भी है, शब्दकोश भी है और मूल पाठ के साथ-साथ आडियो-वीडियो भी है। अंतःक्रियात्मक अभ्यास भी इसमें किया जा सकता है और हिंदी-अंग्रेजी शब्दावली के साथ स्वमूल्यांकन की सुविधा भी है। इस प्रकार मोबाइल हिंदी-शिक्षण का एक अच्छा उपकरण सिद्ध हो रहा है। जब तक इच्छा हो तब तक हिंदी सीखो और जब इच्छा न हो तो बटन बंद कर दो

8.7 कंप्यूटर और श्रुतलेखन, यूनिकोड

इस संबंध में श्रुतलेखन राजभाषा एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह एक स्पीकर इंडिपेंडेंट, हिंदी स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से प्रयोग करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर के साथ संपर्क रखता है और हिंदी में बोले गए कथनों को हिंदी यूनिकोड में टंकित करता है। स्पीच प्रोसेसिंग के लिए रिकग्नाइजर एनलॉग सिग्नल को डिजीटल सिग्नल में रूपांतरित करता है। प्रोसेसिंग के बाद एक स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट उत्पन्न किया जाता है। इसके लिए अनेक मॉडल प्रयोग में लाए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं-

1. नॉइज रिक्शन मॉडल

2. लैंग्वेज मॉडल

3. एकाउस्टिक मॉडल

4. ग्रैमर मॉडल

5. फोनीम मॉडल

8. यूनीफोम मॉडल

8. ट्रै फोन मॉडल

श्रुतलेखन राजभाषा सॉफ्टवेयर की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं-

1. यह हिंदी यूनिकोड में आउटपुट देता है।

2. यूनिकोड टैक्स्ट को ISFOC फॉन्ट में रूपांतरित करने की सुविधा भी देता है।

3. ज्ञान आधारित स्क्रिप्ट फॉन्टस्।

4. शब्द-संशोधन और शब्द-सुधार सुविधा भी उपलब्ध है।

5. टैक्स्ट का संख्याओं, तारीख और मुद्राओं में रूपांतरण किया जा सकता है।

8. द्विभाषिक टंकण की सुविधा भी उपलब्ध है।

कंप्यूटर पर हिंदी प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र , सी-डेक व एन0 पी0 टी0 आई0 के सहयोग से हर साल 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराता है। इसके अलावा इन सॉफ्टवेयरों पर आधारित एक प्रस्तुति भी तैयार की गई है जिसकी जानकारी विभिन्न मंत्रालयों को दी गई हैं। ये सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग के पोर्टल www.rajbhasha.nic.in पर लिंक के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। श्रुतलेखन राजभाषा एक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध है जिसे सी-डेक पुणे से प्राप्त किया जा सकता है।

यूनिकोड प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। यहां उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर विभिन्न भाषाओं को नहीं समझ सकता। वह केवल बाइनरी नंबर (0 और 1) को ही समझ सकता है। अतः हम जो भी

अक्षर टंकित करते हैं वे अंततः 0 और 1 में बदल जाते हैं और तब कंप्यूटर उन्हें समझ सकता है। किसी भाषा के किसी शब्द के लिए कौन सा नंबर प्रयुक्त होगा ? इसका निर्धारण करने के नियम विभिन्न कैरेक्टर सैट या संकेत लिपि प्रणाली द्वारा निर्धारित होते हैं। यूनिकोड का आविष्कार होने से पहले ऐसे नंबरों को देने के लिए अनेक संकेत लिपि प्रणालियां थीं और किसी एक संकेत लिपि में पर्याप्त अक्षर नहीं थे। इन संकेत लिपियों में आपस में तालमेल भी नहीं था। परिणामस्वरूप दो संकेत लिपियां दो विभिन्न अक्षरों के लिए एक ही नंबर प्रयोग कर सकती हैं या समान अक्षर के लिए अलग-अलग नंबरों का प्रयोग कर सकती हैं। इससे डाटा खराब होने का खतरा बना रहता है। इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए तथा एकात्म बनाए रखने के लिए यूनिकोड को विकसित किया गया। यह सभी भाषाओं के लिए एक-सा ही काम करता है। यह कोडिंग सिस्टम फांट्समुक्त, प्लेटफॉर्ममुक्त और ब्राउजरमुक्त है। इसे अनेक कंपनियों ने अपनाया है और आज अधिकतर उत्पाद यूनिकोड समर्थित हैं। विडोंज 2000 या उससे ऊपर के सभी पी.सी. यूनिकोड को सपोर्ट करते हैं।

विंडो एक्स्पी पर इसे इस प्रकार डाउनलोड किया जा सकता है-

कंट्रोल पैनल पर जाएं और फिर रीजिनल और लैंग्वज ऑप्शंस पर क्लिक करें।

लैंग्वेजिस टैब पर क्लिक करें और उस डब्बे को चैक (टिक) करें जो इंस्टाल फाइल्स फार काम्प्लैक्स स्क्रिप्ट को बताता है।

यह विधि विन एक्सपी सीडी के लिए पूछेगी। सीडी ड्राइव में सीडी रखें और संस्थापन (इंस्टालेशन) आरंभ होने दीजिए।

एक बार संस्थापन पूरा हो जाए तो यदि आवश्यकता हो तो सिस्टम को बूट करें और पुनः चरण 2 पर जाएं।

अब डीटेल्स टैब पर क्लिक करें। अपनी पसंद की भाषा को जोड़ने के लिए एड पर क्लिक करें।

सिस्टम ट्रे में एक छोटा ईएन दिखाई देगा। ईएन पर बायां क्लिक करें और टाइप के लिए भाषा का चयन करें।

इसके इनेबल करने से आपकी मशीन में इंसिक्रिप्ट की-बोर्ड ड्राइवर तथा यूनिकोड समर्थित मंगल तथा एरियल यूनिकोड एम एस फोंट आ जाएंगे।

8.8 कंप्यूटर पर हिंदी-प्रयोग के विकास में सहायक अन्य सॉफ्टवेयर

इनके अतिरिक्त कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए अनेक शब्द संसाधन पैकेज उपलब्ध हैं। ये सभी भिन्न-भिन्न क्षमताएं, विशेषताएं और उपयोगिता रखते हैं। इन्हें निम्न प्रकार से देखा जा सकता है-

सुलिपि सॉफ्टवेयर के द्वारा लोकप्रिय पैकेजों जैसे डी बेस, लोटस, वर्डस्टार, क्लिपर, साफ्टबेस, फाक्सबेस, पैराडाक्स, बेसिका जैसे वेतन पर्ची, वित्तीय खाता लेखन, वस्तु सूची आदि के माध्यम से हिंदी-अंग्रेजी में संसाधन क्षमता प्रदान की गई है। इसका लैन प्रारूप भी उपलब्ध है। यह हिंदी में टाइपिंग या स्वर आधारित कुंजी पटल का विकल्प देता है। सुविंडो साफ्टवेयर विंडो के लिए है। यह सुलिपि आधारित हिंदी डॉस फाइलों को अनुकूल फार्मेट में बदलता है। इसमें लिप्यंतरण, शब्दों और पदबंधों के शब्दकोश स्थानापन्न तथा हिंदी वर्तनी की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यह डी0 टी0 पी0 और बहुमाध्यम (मल्टीमीडिया) के लिए किसी भी विंडो प्रोग्राम में कार्य कर सकता है। इसके द्वारा परिपत्र, आदेश द्विभाषा में भेजे जा सकते हैं और छंटाई भी की जा सकती है।

श्रीलिपि एक बहुभाषी सॉफ्टवेयर है जो विंडोज पर आधारित है। यह केवल सी0 डी0 पर उपलब्ध है। इसमें लिपि संसाधक, शब्द संसाधक और निजी डायरी है। इसमें दिन, तारीख और समय को भारतीय भाषाओं में डाला जा सकता है और व्यक्तिगत सूचनाएं आदि रखे जा सकते हैं। इसमें ऑटोसेव सुविधा भी उपलब्ध है।

बैंक मित्र द्विभाषिक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जो विंडो पर आधारित है। ये अंग्रेजी के साथ-साथ प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी काम करता है। इसके द्वारा ग्राहक सेवा संबंधी कार्य (चैक बुक, पास बुक, ब्याज लगाना, ऋण सीमा पर नजर रखना आदि कार्य) किए जा सकते हैं।

जिस्ट शैल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एम0 एस0 डॉस अनुप्रयोग पर आधारित है। यह पाठ्य सामग्री की प्रविष्टि, भंडारण, प्रदर्शन और भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के साथ मुद्रण को संभव बनाता है। इसके सहयोग से अपना पसंदीदा सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में प्रयोग किया जा सकता है।

जिस्ट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कंप्यूटर के साथ संलग्न किया जाता है। इसके सहयोग से भारतीय और अन्य लिपियों में अंग्रेजी सहित पाठ्य आधारित पैकेजों जैसे लोटस 1-2-3, वर्डस्टार, क्यूबोसिक आदि पर काम किया जा सकता है।

जिस्ट टर्मिनल के द्वारा किसी भी भारतीय लिपि और अंग्रेजी के सभी पाठ्य आधारित एप्लीकेशन पैकेजों जैसे कोबोल, वर्ड परफैक्ट, फाक्सबेस आदि में काम किया जा सकता है। यह डेक वी टी 52/100/220/320 के समान है।ए0 पी0 एस0 कॉरपोरेट में पाठ्य प्रविष्टि, स्पैड शीट और फोक्स के द्वारा आंकडों और संसाधक के विकल्प उपलब्ध हैं।फैक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को निर्णय में सहयोग करने वाली मशीन के रूप में बदल देता है। यह एक बहुभाषी व्यापार लेखा सॉफ्टवेयर है और इसमें एकाउटिंग, इन्वेंट्री आदि की सुविधा है। इस सुविधा के लिस जिस्ट कार्ड या जिस्ट शैल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। लीप ऑफिस 2000 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया है। इसमें अंग्रेजी के अलावा अनेक भारतीय लिपियों (हिंदी, संस्कृत, असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगू) में काम किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1. पाठ को भारतीय लिपियों में बदलना और मुद्रित करना।

2. अनुवाद हेतु राजभाषा शब्दकोश उपलब्ध कराना।

3.विंडो आधारित एम0 एस0 ऑफिस, पेजमेकर, एक्सल आदि में भारतीय भाषाओं में काम करने की सुविधा।

4. वर्तनी जांच करने की सुविधा।

5. सभी भाषाओं के लिए समान कंुजीपटल, डायनैमिक फॉण्ट उपलब्ध।

8. ध्वन्यात्मक कुंजीपटल जो उच्चारण के अनुसार टंकण करने में सहायक होता है।

आकृति विंडोज का एक अंतर्पृष्ठ है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी को एक ही फॉण्टस में मिश्रित करने के लिए विशेष फॉण्टस हैं। इसे बिना फॉण्टस बदले एक द्विभाषिक सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह विंडोज 95 के तहत काम करता है। इसमें चित्र भी उपलब्ध हैं जो प्रस्तुतीकरण को आकर्षक बनाते हैं।

हिंदवाणी सॉफ्टवेयर पीसी डॉस आधारित है। यह हिंदी टैक्स्ट फाइलों को स्पीच में बदल देता है। यह नेत्रहीन लोगों के लिए तो उपयोगी है ही, रेलवे, हवाई जहाज तथा पर्यटन संबंधी सूचनाओं के लिए भी उपयोगी है।डॉ. मुरलीधर पाहूजा ने 'लेखक' नाम एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसकी सहायता से बिना अंग्रेजी की मदद के भी हिंदी में सारा काम किया जा सकता है। इस में संवाद, संदेश और सारे आदेश हिंदी में हैं।ईमेल सर्वर 'अनुसारका' है जो कंन्नड़, तेलुगू, मराठी, बंग्ला और पंजाबी में भेजे संदेश को हिंदी में अनूदित कर देता है।इसी प्रकार 'देशिका' नामक सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है जो वेद, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र न्याय, मीमांसा, व्याकरण ओर अमरकोष को उपलब्ध कराता है जिसे दस भारतीय लिपियों में पढ़ा जा सकता है। इसे सी-डेक ने बनाया है।

गीता रीडर सॉफ्टवेयर गीता पढ़ने में लोगों की मदद करता है। इसे भी सी-डेक ने बनाया है। यह विंडो 95 पर चलता है। आज हिंदी टूलकिट भी उपलब्ध है। हिंदी आई एम ई एक्स पी और विंडोज 7, यूनीकोड-कृतिदेव कन्वर्टर, गूगल हिंदी आई एम ई भी उपलब्ध है। आज अनेक हिंदी के पोर्टल इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।

हिंदी और कंप्यूटर के क्षेत्र में सी-डैक (सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग), पुणे नामक संस्था अंत्यत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सी-डेक ने विभिन्न सॉफ्टवेयरों को प्रस्तुत करने से पहले एक सीडी तैयार की थी जिसे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए जारी किया था। इस सीडी में अनेक प्रकार के फांट और उपयोगी टूल्स उपलब्ध हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के फांट्स, मल्टी बोर्ड की बोर्ड कन्वर्टर, हिंदी का ब्राउजर फायरबॉक्स, हिंदी का मेसेंजर, हिंदी का ओसीआर, हिंदी-अंग्रेजी में टाइपिंग सिखाने की सुविधा, हिंदी-अंग्रेजी के शब्दकोश, वर्तनी जांचने की सुविधा, ट्रांसलिटर टूल आदि शामिल हैं। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि हिंदी भाषी का कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने का रूझान बढ़ा है।

8.9 इंटरनेट और हिंदी

कंप्यूटर के साथ-साथ इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप फेसबुक, टिवट्र जैसी सोशल वेबसाइटस पर हिंदी का बढ़ता साम्राज्य देख सकते हैं और वहां से प्राप्त लिंक के माध्यम से इंटरनेट पर हिंदी में विचार रख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कविता, कहानी आदि विभिन्न विधाएं हिंदी में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इनमें लगातार प्रगति हो

रही है। यद्यपि अभी भी अधिकांश सामग्री इंटरनेट पर अंग्रेजी में उपलब्ध है लेकिन साथ ही अनुवाद की भी सुविधा है जिससे आप इस सामग्री का लाभ ले सकते हैं। अब आपको इंटरनेट पर चैटिंग करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे वेबसाइट्स पर जाकर चैटिंग कर सकते हैं। अपने मित्रों को ईमेल कर सकते हैं। आज हिंदी में भी ईमेल की सुविधा उपलब्ध है। गूगल और रेडिफमेल डॉट कॉम पर आपको इस प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं। इसी प्रकार राजभाषा डॉट कॉम, राजभाषा डॉट नेट आदि वेबसाइट्स भी उपलब्ध हैं। हिंदी की अनेक ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर साहित्य, संस्कृति की प्रस्तुति होती है और विचारपरक लेख प्रसारित-प्रकाशित होते हैं। ये वेबसाइट्स भारत में भी हैं और विदेशी भी हैं जिन्हें आप इंटरनेट पर आराम से देख सकते हैं। इनमें से कुछ वेबसाइट्स इस प्रकार हैं-

www.kavitakosh.org

www.hindinest.com.

www.abhivyakti-hindi.org

www.bharatdarshan.co.nz

pryas.wordpress.com

www.udgam.com

www.sahityakunj.net

www.tadbhav.com

www.pitara.com

www.srijangatha.com

www.hindielm.co.uk

www.webdunia.com

www.avadh.com

www.kalayan.org

www.anyatha.com

www.geocities.com

www.iiit.net

taptilok.com

www.hindisewa.com

www.childplanet.com

www.kavita. Hindiyugm.com

कविता कोश डॉट ओआरजी हिंदी साहित्य के प्रकाशन की एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है। इस पर नए और पुराने सभी कवियों की रचनाएं और पुस्तकें (संपूर्ण रूप में) उपलब्ध हैं। इससे प्रिंट भी लिए जा सकते हैं और रचनाओं को ऑनलाइन पढ़कर आनंद लिया जा सकता है।**अभिव्यक्ति-हिंदी डॉट ओआरजी** पर कविताओं, कहानियों और निबंधों का संग्रह पाठक को पढ़ने के लिए मिलता है। **अवध डॉट कॉम** पर हास्य कविताओं और कहानियों का प्रकाशन होता है। **हिंदी नेस्ट** साप्ताहिक जाल पत्रिका है। इसमें कविताओं, कहानियों के साथ-साथ सामाजिक लेख भी पढ़ने को मिल सकते हैं। **भारत दर्शन** न्यूजीलैंड से प्रकाशित होने वाली हिंदी साहित्यिक पत्रिका है। प्रयास कविताओं और कहानियों का संग्रह है। यहां प्राचीन कथा साहित्य और हास्य कविताएं उपलब्ध हैं। **तद्भव** और **उद्गम** मासिक साहित्य पत्रिकाएं हैं।

पफोर टू पफोर्टी और **पिटारा** में बाल साहित्य उपलब्ध है। **सृजनगाथा** हिंदी साहित्य, संस्कृति और भाषा के विकास के लिए एक प्रयास है।**साहित्य कुंज** पाक्षिक साहित्यिक पत्रिका है। इसमें कहानियों, कविताओं और आलेखों का संकलन रहता है। **कालायन** पत्रिका में कविताएं, लेख, नाटक, उपन्यास आदि के साथ-साथ हिंदी भाषा की जानकारी दी जाती है। अन्यथा भारत और अमरीकावासी मित्रों द्वारा आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रेषित करने का प्रयास है। **तृप्तिलोक** हिंदी की पाक्षिक पत्रिका है जो पहली और सोलहवीं तारीख को प्रकाशित होती है। यहां ई-पुस्तकें भी उपलब्ध होती हैं।**इट नेट** पर प्रमुख कवियों की रचनाओं को पढ़ा जा सकता है। जियोसिटीज पर

पूरी भगवद्गीता हिंदी में पढ़ी जा सकती है। वेबदुनिया साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशन का महाजाल स्थल है। अन्य वेबसाइटों पर भी इसी प्रकार की सामग्री पाठकों को मिल सकती है।इंटरनेट पर हिंदी साहित्य की प्रस्तुति ब्लॉगों के माध्यम से भी होती है। इन ब्लॉगों पर अनेक साहित्य प्रेमी अपनी और अन्य व्यक्तियों की रचनाओं को सामने रखते हैं और टीका-टिप्पणियों को आमंत्रित करते हैं। ये टीका-टिप्पणियां पाठकों की विचारधरा को तो सामने लाती हैं ही, किसी रचना की गुणवत्ता और उसकी महत्ता को भी रेखांकित करती हैं। इस प्रकार के ब्लॉग निम्नलिखित हैं-

blog.masijivi.com

hemadixit.blogspot.com

jankipul.com, nukkadh.com

drharisharora.blogspot.com

vibhav.blogspot.com

sahityalochan.blogspot.com

nayasamay.blogspot.com

rajbhashamanas.blogspot.com

manishkumar.blogspot.com

vartmaansrijan.blogspot.com

vishwagatha.blogspot.com

ravisrivastava.uvach.blogspot.com

rishabhuvaach.blogspot.com

anunaad.blogspot.com, rajy.blogspot.com

यही नहीं, ऑनलाइन हिंदी साहित्य की रचना की जाती है और हिंदी कविता लेखन प्रतियोगिताएं की जाती हैं। ये रचनाएं डाक से भी मंगाई जाती हैं और ईमेल के द्वारा भी मंगाई जाती हैं। सोशल साइटस, जैसे फेसबुक पर भी ऐसी प्रतियोगिताएं देखने को मिलती हैं जो एक प्रकार से हिंदी और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में अपना योगदान देती हैं।इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हिंदी शब्दकोश संबंधी सुविधाएं प्रदान करती हैं, जैसे शब्दकोश डॉट कॉम, ई-महाशब्दकोश, शब्दमाला आदि। ई-महाशब्दकोश सी-डैक, भारत सरकार की प्रस्तुति है। इसके अतिरिक्त कुछ ऑफलाइन साइट्स भी हैं, जैसे शब्द-ज्ञान। इसकी मदद से एक बार इंटरनेट से शब्दकोश डाउनलोड कर बिना इंटरनेट से जुड़े भी शब्दकोश की सहायता ली जा सकती है। इन सभी शब्दकोशों से न केवल इच्छित शब्दों का अर्थ ढूंढा जा सकता है बल्कि उन शब्दों के शुद्ध हिंदी उच्चारण और उदाहरण सहित उनके प्रयोगों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि हिंदी कंप्यूटिंग में यूनीकोड के आने से हालांकि काफी दिक्कतें दूर हो गई हैं लेकिन अभी भी कई मामलों में मानकीकरण नहीं हो पाया है। एक सर्वस्वीकृत की-बोर्ड की समस्या अभी भी बनी हुई है। अनेक प्रकार के फांट हैं जो यूनीकोड में रूपांतरित नहीं हो पाते। प्रिंटर और स्कैनर की अनुकूलता की समस्या भी बनी हुई है। इनके लिए व्यापक और गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।

8.10 सारांश

कंप्यूटर पर हिंदी अनुवाद भी संभव है और हिंदी शिक्षण भी। इस दृष्टि से अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। 'मंत्र राजभाषा' इसमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से 'लीला राजभाषा' एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 'श्रुतलेखन राजभाषा' और यूनिकोड भी एक विशिष्ट उपलब्धि है। इनके प्रयोग से हिंदी को कंप्यूटर पर प्रयोग करने में काफी लाभ मिला है। यूनिकोड ने सभी भाषाओं में लेखन, टंकण के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान किया है जिससे फांट संबंधी अनेक समस्याएं दूर हो गई हैं।इंटरनेट ने भी हिंदी और हिंदी साहित्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इंटरनेट पर अनेक वेबसाइट्स है जिनसे निरंतर हिंदी विकास को प्राप्त हो रही है और उसका विश्वव्यापी विस्तार हो रहा है। अनेक सोशल वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर ने भी हिंदी के विकास-रथ को आगे बढ़ाया है। हिंदी में ईमेल और चैटिंग की सुविधा मिलने से हिंदी प्रेमियों को जहां एक ओर खुशी मिली है, वहीं दूसरी ओर भाषा-विस्तार में भी मदद मिली है

8.11 शब्दावली

रोजमर्रा - हर दिन का

वैश्विक - विश्व स्तर का

द्विभाषिक - दो भाषाओं वाला

प्रयोक्ता - प्रयोग करने वाला

बहुअर्थी - अनेक अर्थ वाला

8.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

राजभाषा भारती, अप्रैल-जून 2007

इस्पात भाषा भारती, जुलाई-सितंबर 2005, जनवरी-मार्च 2003

सं पूरनचंद टंडन, (2004) सूचना प्रौद्योगिकी, हिंदी और अनुवाद, भारतीय अनुवाद परिषद, दिल्ली

8.13 निबंधात्मक प्रश्न

1 . कम्प्यूटर क्या है? विस्तार से समझायें. कम्प्यूटर और हिन्दी के संबंधों को स्पष्ट करते हुए उसकी उपयोगिता को समझाइये .

2.कंप्यूटर पर हिंदी-प्रयोग के विकास में सहायक अन्य सॉफ्टवेयरों पर एक लेख लिखिए तथा इंटरनेट पर हिंदी की स्थिति की विवेचना कीजिए

इकाई 9 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020: भाषा-संदर्भ

इकाई की रूपरेखा

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 राष्ट्रीय शिक्षानीति के मुख्य बिंदु

9.4 राष्ट्रीय शिक्षानीति और भाषा

9.5 सारांश

9.6 शब्दावली

9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.8 उपयोगी पाठ्य पुस्तकें

9.9 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

प्रथम शिक्षा नीति 1968 में डीएस कोठारी की अध्यक्षता में बनी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी और 1992 में उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन भी किए गए। अब 34 वर्षों बाद 29 जुलाई, 2020 नीति आई है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा करें कि उससे पहले यह जानना है कि भाषा के सन्दर्भ में सर्वप्रथम व्यापक सन्दर्भ राष्ट्रीय पाठ्य चर्या 2005 में व्यापक रूप से दिखाई देती है। यह वह पहला दस्तावेज है जिसमें भाषा और बोली के भेद को काफी हद तक दूर ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें अलग तरह से समझने का आग्रह दस्तावेज में किया गया। दस्तावेज कहता है कि जब हम घर की भाषा (ओं) और मातृभाषा(ओं) की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत घर की भाषा, बड़े कुनबे की भाषा, आस-पड़ोस की भाषा आदि आ जाती हैं, जो बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से ग्रहण कर लेता है। बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है। हम रोज़मर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे, स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता

रखते हैं। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही दो या तीन भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता होती है। वे न केवल उन भाषाओं को सही-सही बोल लेते हैं, बल्कि उनका उचित प्रयोग भी कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि भिन्न प्रतिभा वाले बच्चे, जो बोल नहीं पाते वे भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए उतने ही जटिल वैकल्पिक संकेतों और प्रतीकों का विकास कर लेते हैं। भाषाएँ एक प्रकार से स्मृतिकोश का भी काम करती हैं, जिसमें अपने सहवक्ताओं से विरासत में मिले संकेतों के साथ अपने जीवन-काल में बनाए संकेत भी शामिल होते हैं। ये वे माध्यम भी हैं जिनसे अधिकतर ज्ञान का निर्माण होता है, इसलिए इनका मनुष्य के विचार और उसकी अस्मिता से गहरा संबंध होता है। वास्तव में, उनका अस्मिता के साथ इतना गहरा संबंध होता है कि बच्चे की मातृभाषा(ओं) को नकारना या उनको मिटाने के प्रयास उसके व्यक्तित्व में हस्तक्षेप की तरह लगते हैं। प्रभावी समझ और भाषा(ओं) के प्रयोग के माध्यम से बच्चे विचारों, व्यक्तियों और वस्तुओं तथा अपने आसपास के संसार से अपने आपको जोड़ पाते हैं। अगर हम भाषा शिक्षण के लिए स्कूल में कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि बच्चे की सहज भाषायी क्षमता को पहचाने और याद रखें कि भाषाएँ सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से बनती हैं और हमारे दैनंदिन व्यवहार से बदलती रहती हैं। शिक्षा में भाषाओं के लिए आदर्श यही है कि उनका इसी संसाधन के आधार पर विकास हो और साक्षरता के विकास के साथ (लिपियों में ब्रेल भी) अकादमिक भाषा के रूप में इसे विकसित करने के लिए समृद्ध भी किया जाए। जिन बच्चों में भाषा संबंधी अक्षमता हो उनके लिए मानक संकेत भाषा अपनाई जाए जिससे उनके सतत और पूर्ण विकास को समर्थन मिलता रहे। विद्यार्थियों की भाषिक क्षमता की पहचान से उनका स्वयं के और अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। यही वही प्रस्थान बिंदु जैसे और व्यापक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे सामने रखा। आगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भाषा के संदर्भो पर विस्तार से विद्यार्थियों के समक्ष रखेंगे।

9.2 उद्देश्य

- शिक्षा नीति के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी देना
- शिक्षा नीति में उल्लेखित भाषा के सन्दर्भों से विद्यार्थियों को परिचत कराना

9.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु

भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा-प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्षमणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग, तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंशाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें 'राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल' युवक-युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, जो अब तक चल रही थी । इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति, तथा 1993 में प्रो. यशपाल समिति का गठन किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है । यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की सकल घरेलू उत्पाद के 6% के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया।

प्राथमिक शिक्षा से सम्बंधित प्रावधान

- 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम का दो समूहों में विभाजन
- 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये आँगनवाड़ी/बालवाटिका/पूर्व-स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण 'प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा' की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

- NEP में MHRD द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' की स्थापना की मांग की गई थी जो "निपुण भारत मिशन" के रूप में संचालित है।
- राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी।

भाषायी विविधता का संरक्षण

इस शिक्षा नीति में पाँचवीं कक्षा की शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी दी जाएगी। 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किये जाएंगे। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर लिये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या

की रूपरेखा' का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा

नयी शिक्षा नीति-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' को 29.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगीं। NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाणपत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' दिया जाएगा, जिससे अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारत उच्च शिक्षा आयोग

चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है-

- **विनियमन हेतु** - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद
- **मानक निर्धारण** - सामान्य शिक्षा परिषद
- **वित पोषण** - उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद
- **प्रत्यायन** - राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद

देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' की स्थापना की जाएगी।

अभ्यास प्रश्न

क .नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई

क. 21

ख. 20

ग. 23

घ. 24

ख. शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

क. NCERT के परामर्श के आधार पर

ख. HCERT के आधार पर

ग. सरकार के आधार पर

घ. प्रधानाचार्य के परामर्श पर

लघु उत्तरीय प्रश्न

क. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

ख. बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं ?

9.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भाषा

हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं जिनको कई विद्वान भाषा और बोलियों, दो वर्गों में भी बांटते हैं। प्रारम्भ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं वह बढ़कर अभी 22 हो गयी हैं। इसके अतिरिक्त बोलियों को मिलाकर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1369 भाषाएं हैं जिसमें 121 भाषाएं 10 हजार से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। यूनेस्कों के अनुसार विगत 50 वर्षों में 197 भारतीय भाषाएं लुप्त प्राय हो चुकी हैं, अनेक लुप्त प्राय होने की कगार पर हैं। एक भाषा मरने से उस भाषा को बोलने वालों की सभ्यता, संस्कृति आदि समाप्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भाषा का महत्व और बढ़ जाता है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भली-भांति स्वीकार किया है। इस दृष्टि से नीति में लिखा है-संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केदस्तावेज बिंदु 22 से भाषा के सन्दर्भों में विस्तार से प्रकाश डाला गया है जो इस तरह से है

22. भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

22.1

भारत संस्कृति का समृद्ध भण्डार है जो हज़ारों वर्षों में विकसित हुआ है और यहाँ की कला, साहित्यिक कृतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, भाषाई अभिव्यक्तियों, कलाकृतियों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के स्थलों इत्यादि में परिलक्षित होता हुआ दिखता है। भारत में भ्रमण, भारतीय अतिथि सत्कार का अनुभव लेना, भारत के खूबसूरत हस्तशिल्प एवं हाथ से बने कपड़ों को खरीदना, भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ना, योग एवं ध्यान का अभ्यास करना, भारतीय दर्शनशास्त्र से प्रेरित होना, भारत के अनुपम त्यौहारों में भाग लेना, भारत के वैविध्यपूर्ण संगीत एवं कला की सराहना करना और भारतीय फिल्मों को देखना आदि ऐसे कुछ आयाम हैं जिनके माध्यम से दुनिया भर के करोड़ों लोग प्रतिदिन इस सांस्कृतिक विरासत में सम्मिलित होते हैं, इसका आनन्द उठाते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा है जो भारत के पर्यटन स्लोगन के अनुसार भारत को वास्तव में "अतुल्य ! भारत" बनाती है। भारत की इस सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसार, देश की उच्चतर प्राथमिकता होना चाहिए क्योंकि यह देश की पहचान के साथ-साथ इसकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।

22.2

भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न सिर्फ राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना ज़रूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्म-सम्मान बच्चों में निर्मित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है।

22.3

संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम कला है। कला - सांस्कृतिक पहचान, जागरूकता को समृद्ध करने और समुदायों को उन्नत करने के अलावा व्यक्तियों में संज्ञानात्मक और सृजनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने तथा व्यक्तिगत प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। व्यक्तियों की प्रसन्नता/कल्याण, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक पहचान वह महत्वपूर्ण कारण हैं जिसके लिए सभी प्रकार की भारतीय कलाएँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा से आरम्भ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए।

22.4

भाषा, निःसंदेह, कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। विभिन्न भाषाएँ, दुनिया को भिन्त्र तरीके से देखती हैं इसलिए मूल रूप से किसी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों को कैसे समझता है या उसे किस प्रकार ग्रहण करता है यह उस भाषा की संरचना से तय होता है। विशेष रूप से, किसी संस्कृति के लोगों का दूसरों के साथ बात करना जैसे परिवार के सदस्यों, प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों, समकक्षों, अपरिचित आदि भाषा से प्रभावित होता है तथा बातचीत के तौर-तरीकों को भी प्रभावित करती है। लहज़ा, अनुभवों की समझ और एक ही भाषा के व्यक्तियों की बातचीत में अपनापन, यह सभी संस्कृति का प्रतिबिम्ब और दस्तावेज हैं। अतः संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्म आदि के के रूप में कला की पूरी तरह सराहना करना बिना भाषा के संभव नहीं है। संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए, हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा।

22.5

दुर्भाग्य से, भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाई जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। विभिन्न भाषाएँ विलुप्त होने के के कगार पर गार पर हैं विशेषतः वे भाषाएँ जिनकी लिपि नहीं है। जब किसी समुदाय या जनजाति के उस भाषा को बोलने वाले वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु होती है तो अक्सर वह भाषा भी उनके साथ समाप्त हो जाती है: और प्रायः इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्तियों को संरक्षित या उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई या उपाय नहीं किए जाते हैं।

22.6

इसके अलावा, वे भारतीय भाषाएँ भी, जो आधिकारिक रूप से लुप्तप्राय की सूची में नहीं है- जैसे आठवीं अनुसूची की 22 भाषाएँ वे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही है। भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना बाहिए जिसमें पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, वीडिओ, नाटक, कविताएँ, उपन्यास, पत्रिकाएं आदि शामिल है। भाषाओं के शब्दकोशों और शब्द भण्डार को आधिकारिक रूप से लगातार अपडेट अद्यतन होते रहना वाहिए और उसका व्यापक प्रसार भी करना चाहिए ताकि समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर इन भाषाओं में चर्चा की जा सके। दुनियाभर के देशों द्वारा - अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई, जापानी आदि भाषाओं में इस प्रकार की अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री बनाने और दुनिया की अन्य भाषाओं की महत्त्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद किया जाता है तथा शब्दभंडार को लगातार

अद्यतन किया जाता है। परंतु अपनी भाषाओं को जीवत और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद के लिए ऐसी अधिगम सामग्री, प्रिंट सामग्री और शब्दकोश बनाने के मामले में भारत की गति काफ़ी धीमी रही है।

22.7

इसके अतिरिक्त, कई उपाय करने के पश्चात् भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव-आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अन्तःक्रिया करने की क्षमता पर केन्द्रित हो न कि केवल भाषा के साहित्य, शब्दभंडार और व्याकरण पर। भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण- अधिगम के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए।

22.8

स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, कई पहलों की चर्चा अध्याय 4 में की जा चुकी है जिसमें - सभी स्कूली स्तरों पर संगीत, कला और हस्तकौशल पर बल देना;, बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूला का जल्द क्रियान्वयन, साथ ही जब संभव हो मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव-आधारित भाषा शिक्षण; उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलों से जोड़ना; पाठ्यचर्या, मानविकी, विज्ञान, कला, हस्तकला और खेल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेशन करना, जब भी ऐसा करना प्रासंगिक हो; पाठ्यचर्या में अधिक लचीलापन, विशेषकर माध्यमिक स्कूल में और उच्चतर शिक्षा में, ताकि विद्यार्थी एक आदर्श संतुलन कायम रखते हुए अपने लिए कोर्स का चुनाव कर सकें जिससे वे स्वयं के सृजनात्मक, कलात्मक, सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का विकास कर सकें आदि शामिल है।

22.9

उच्चतर शिक्षा एवं उससे आगे की शिक्षा के साथ कदम से कदम मिलाते हुए बाद में उल्लिखित प्रमुख पहलों को संभव बनाने के लिए आगे भी कई कदम उठाये जायेंगे। पहला, ऊपर उल्लिखित सभी कोर्स को विकसित करना एवं उनका शिक्षण, शिक्षकों एवं संकाय की उत्कृष्ट टीम का विकास करना होगा। भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शनशास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देश भर में शुरू किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा, साथ ही इन विषयों में (दोहरी डिग्री चार वर्षीय बी. एड. सहित) डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे। ये विभाग एवं कार्यक्रम, विशेष रूप से उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों

के एक बड़े कैडर को विकसित करने में मदद करेगा, साथ ही साथ कला, संगीत, दर्शनशास्त्र एवं लेखन के शिक्षकों को भी तैयार करेगा जिनकी देश भर में इस नीति को क्रियान्वित करने हेतु तुरंत आवश्यकता होगी। एनआरएफ इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान हेतु वित्त मुहैय्या कराया जाएगा। स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्त-शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहाँ अध्ययन कर रहे हों वे वहाँ की संस्कृति एवं स्थानीय ज्ञान को जान सकें, उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं हस्त-शिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, प्रत्येक स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स यह प्रयास करेगा कि कलाकार वहीं निवास करें जिससे कि छात्र कला, सृजनात्मकता तथा क्षेत्र/देश की समृद्धि को बेहतर रूप से जान सकें।

22.10 अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और / या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा ताकि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात दोनों में बढ़ौतरी हो सके, इसके साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवन्तता को प्रोत्साहन मिल सके मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बढ़ावा दिया जाएगा। चार वर्षीय बीएड दोहरी डिग्री कार्यक्रम को दो भाषाओं में चलाने से भी मदद मिलेगी, जैसे कि देश भर के विद्यालयों में विज्ञान को दो भाषाओं में पढ़ाने वाले विज्ञान और गणित शिक्षकों के कैडर के प्रशिक्षण में।

22.11

उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, कलाकृति संरक्षण, ग्राफिक डिजाईन एवं वेब डिजाईन के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम एवं डिग्रियों का सूजन भी किया जाएगा। अपनी कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करना, कलाकृतियों का संरक्षण करना, संग्रहालयों और विरासत या पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास करना जिससे पर्यटन उद्योग को भी काफी मजबूती मिल सके।

22.12

यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को शामिल करना होगा जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ और सराहना होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इस दिशा में देश के 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, जहाँ

शिक्षण संस्थान छात्रों को इन क्षेत्रों के बारे में ज्ञानवर्धन करने के लिए स्थलों और उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं, स्वदेशी साहित्य और ज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए भेजेंगे।

22.13

उच्चतर शिक्षा में कला, भाषा और मानविकी के क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम बनाने से ऐसे रोजगार के ऐसे गुणवत्तापूर्ण अवसर भी पैदा होंगे जो इन योग्यताओं का प्रभावकारी उपयोग कर पायेंगे। अभी भी हजारों की संख्या में अकादमिया, संग्रहालय, कला वीथिकाएँ और धरोहर स्थल है जिनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। जैसे ही योग्य व्यक्तियों से रिक्त पदों को भरा जाएगा, एवं अधिक कलाकृतियों को जुटाया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा, इसके अतिरिक्त संग्रहालय (जिनमें आभासी (वर्चुअल) संग्रहालय / ई-संग्रहालयों सहित), वीथिकाएँ और धरोहर स्थल हमारी विरासत और भारत के पर्यटन उद्योग को संरक्षित रख पाएँगी।

22.14

भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, जिससे सर्वसाधारण को विभिन्न भाज्ये एवं विदेशी भाषाओंमें उच्चतर गुणवत्ता वाला अधिगम सामग्री और अन्य महत्त्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार का संस्थान देश के लिए महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करेगा साथ ही अनेक बहु-भाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा जिससे सभी भारतीय भाषाओं को प्रसारित और प्रचारित करने में मदद मिलेगी। आईआईटीआई को अपने अनुवाद और व्याखा करने के प्रयासों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा। आईआईटीआई समय के साथ स्वाभाविक रूप से उन्नति करेंगे और जैसे जैसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की मांग बढ़ेगी, संस्थान को उच्चतर शिक्षण संस्थानों सहित, देश भर के विभिन्न स्थानों में खोला जा सकेगा ताकि अनुसंधान विभाग के साथ सहभागिता सुगम हो सके।

22.15

संस्कृत भाषा के वृहद् एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के बलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं

विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा स्कूलों में त्रि-भाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में भी। इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे

गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र नाटक विधा, योग आदि से जोड़ा जाएगा। अतः इस नीति के बाकी हिस्से से संगतता रखते हुए, संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे, वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतरविषयी अनुसंधान का संचालन करते हैं उन्हें सम्पूर्ण नवीन बहु-विषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित / मजबूत किया जाएगा। यदि छात्र चाहे तो संस्कृत उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय बहु-विषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जायेगी।

22.16

भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया है। इसी प्रकार से सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, जिनमें शास्त्रीय भाषाओं एवं साहित्य पढाया जा रहा है, उनका विस्तार किया जाएगा। अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के दृढ प्रयास किये जायेंगे। देश भर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा, छात्रों के नए बैच बैच को बड़ी संख्या में अभिलेखों एवं अन्य विषयों के साथ उनके अंतर्संबंधों के अध्ययन का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध होने या उनमें विलय का प्रयास करेंगे ताकि एक सुदृढ़ एवं गहन बहुविषयी कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संकाय काम कर सके एवं छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय भी बहुविषयी बनेंगे; जहाँ प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस भाषा में बी एड दोहरी डिग्री प्रदान करेगी लकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषा शिक्षक तैयार हो सकें। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित है कि भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परिसर में एक पाली फारसी, एवं प्राकृत भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला, कला इतिहास एवं भारत विद्या का अध्ययन किया जा रहा तेले वहाँ भी इसी प्रकार के कदम उठाये जायेंगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधानों को एनआरएफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

22.17

शास्त्रीय, आदिवासी ओर लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किए जाएंगे। प्रोद्योगिकी एवं काउडसोर्सिंग, लोंगों की व्यापक भागीदारी के साथ, इन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

22.18

भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जायेगी जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किन्तु सटीक शब्द भण्डार तय किया जा सके, तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोष जारी किया जा सके (विश्व में कई भाषाओं अन्य कई भाषाओं के सफल प्रयासों के सदृश)। इन शब्दकोशों के निर्माण के लिए ये अकादमियां एक दुसरे से परामर्श लेगी, कुछ मामलों में आम जनता के सर्वश्रेष्ठ सुझावों को भी लेंगी। जब भी संभव हो, साझे शब्दों को अंगीकृत करने का प्रयास भी किया जाएगा। ये शब्दकोष व्यापक रूप से प्रसारित किये जायेंगे ताकि शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन, बातचीत आदि में इस्तेमाल किया जा सके एवं किताब के रूप में तथा ऑनलाइन उपलब्ध हों। अनुसूची 8 की भाषाओं के लिए इन अकादिमियों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अथवा उनके साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं की अकादमी केंद्र अथवा/और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जायेंगी।

22.19

सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं एवं और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का, वेब आधारित प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्लेटफार्म पर विडियो, शब्दकोष, रिकॉर्डिंग एवं अन्य सामग्री होगी जैसे लोगों द्वारा भाषा बोलना (विशेषकर बुजुर्गों द्वारा), कहानियां सुनाना, कविता पाठ करना, नाटक खेलना लोक गायन एवं नृत्य करना आदि। देश भर के लोगों को इन प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिससे वो इन प्लेटफार्म/पोर्टल/विकीपीडिया पर प्रासंगिक सामग्री जोड़ सकेंगे। विश्वविद्यालय एवं उनकी शोध टीम एक दूसरे के साथ तथा देश भर के समुदायों के साथ काम करेंगी ताकि इन प्लेटफार्म को और समृद्ध किया जा सके। संरक्षण के इन प्रयासों तथा इनसे जुड़े अनुसंधान परियोजनाओं, उदाहरण के लिए इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान आदि को एनआरएफ द्वारा वित्तीय सहायता दी जायेगी।

22.20

स्थानीय मास्टर्स तथा / या उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जायेगी। भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं प्रसार तभी संभव है जब उन्हें नियमित तौर पर प्रयोग किया जाए

तथा शिक्षण-अधिगम के लिए प्रयोग किया जाए। भारतीय भाषाओं में, विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कविताओं एवं गद्य के लिए पुरस्कार की स्थापना जैसे प्रोत्साहन के कदम उठाये जायेंगे ताकि सभी भारतीय भाषाओं में जीवंत कवितायें, उपन्यास, पाठ्य पुस्तकें, कथेतर साहित्य का निर्माण एवं पत्रकारिता जैसे अन्य कार्य सुनिश्चित किये जा सकें। भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोज़गार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा।

अभ्यास प्रश्न

क . भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ है शामिल है

क. 22
ख. 23
ग. 25
घ. 32

ख . शास्त्रीय भाषा से आशय है

क. नेपाली
ख. राजस्थानी
ग. मराठी
घ. संस्कृत

लघु उत्तरीय प्रश्न

क. भारतीय भाषाओँ से आप क्या समझते है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
ख. भारतीय भाषाओँ को शिक्षण का हिस्सा क्यों बनाया जाना चाहिए

9.5 सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों की मदद करने के लिए आवश्यक सुधार प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा के सुधार ढांचे में सुधार जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) 2023, प्रारंभिक मसौदे से हटकर, भारतीय स्कूलों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने, तीन भाषाओं को पढ़ाने का आदेश देती है। एनईपी 2020 के अनुरूप, यह क्षेत्रीय भाषाओं

(आर1), दूसरी भाषा (आर2) और किसी तीसरी भाषा (आर3) को सीखने पर जोर देता है।मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं में शिक्षण के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं। ग्रेड-5 तक अनिवार्य रूप से शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। आगे यह भी कहा गया है कि यह बेहतर होगा कि ग्रेड-8 और उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा हो। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। यदि निजी स्कूल इस नीति को मानेंगे तभी इसके अपेक्षित परिणाम सामने आयेंगे। इसमें इस बात को स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया है कि किसी भाषा को सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में केवल अच्छी अंग्रेजी सिखाने के उद्देश्य से पूरी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजी माध्यम से अपनाये जाने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। भले ही छात्र अवधारणाओं को समझने के बजाए रटने पर मजबूर हों। यूनेस्को द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट 2005 के एक तथ्य के अनुसार एक बार विषय की मूल अवधारणा अपनी भाषा में समझ में आ जाए तो उच्चतर शिक्षा में किसी भी भाषा में अध्ययन सहज हो सकता है।

दुनिया भर के भाषाविद और शिक्षाविद इस बात पर निर्विवाद रूप से एकमत हैं कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने से बालक की मौलिक रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने में निश्चय ही मदद मिलती है। मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनशीलता को बचाया जा सकता है। भाषाविदों का मानना है कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा में जितनी ज्यादा पकड़ रखते हैं, वे उतने ही रचनात्मक और तार्किक होते हैं। इससे मस्तिष्क पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ता है। हमारे देश में शिक्षा पर समय-समय पर गठित सभी समितियों, सभी शैक्षिक आयोगों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को ही बनाए जाने की बात कही गयी है। वर्तमान में भारत में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की स्थिति और उनकी संख्या लगातार दयनीय होती जा रही है। वहीं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को निगलते जा रहे हैं। भारतीय भाषाओं के बहुत से स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलते जा रहे हैं। भारत की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नही मिल पायी है, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है। युनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को 'लुप्तप्राय घोषित कर दिया है। देश में इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति की अभिव्यक्ति को संरक्षित या उन्हें रिकार्ड करने के लिए कोई ठोस नीति अभी तक नहीं थी। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं विशेषकर मातृभाषाओं या स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का माध्यम

और उसके आगे यथासंभव भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात कही गयी है।

9.6 शब्दावली

स्थानीय भाषा – क्षेत्र में बोली जा रही भाषा

द्विभाषित- दो भाषाओँ में

शास्त्रीय भाषा- संस्कृत, फ़ारसी, रोमन आदि

9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

9.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु उपशीर्षक में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर

क . ख

ख . क

9.4 राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भाषा उपशीर्षक में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर

क . क

ख . घ

9.8 उपयोगी पाठ्य पुस्तकें / दस्तावेज

NEP – 1986
संशोधित NEP – 1992
NCF – 2005
NEP -2020
NCF – 2023

9.9 निबंधात्मक प्रश्न

क. राष्ट्रीय शिक्षानीति पर निबन्ध लिखिए

ख. राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020 में भाषा सन्दर्भ विषय पर निबन्ध लिखें